ध्येय IAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

अक्टूबर 2018 अंक 02

विषय सूची

अक्टूबर 2018
अंक–2

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–18

- सांसद और विधायक की वकालत रहेगी जारी
- नीति आयोग : पूर्ववर्ती संस्था से कितना अलग
- आयुष्मान भारत : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- भारत मालदीव संबंधों की वर्तमान पड़ताल
- आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक और भारत
- सी बेड माइनिंग : कलयुग का समुद्र मंथन
- नीति निर्माण में व्यवहार विज्ञान की भूमिका

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 19–23

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 24–31

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 32–40

सात महत्वपूर्ण तथ्य 41

सात महत्वपूर्ण खेल 42–45

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 46

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. सांसद और विधायक की वकालत रहेगी जारी

चर्चा का कारण

हाल ही में सासंदों और विधायकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस करने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब एम.पी., एम.एल.ए. और एम.एल.सी. कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खण्डपीठ ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एम. पी., एम.एल.ए. या एम.एल.सी. कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सांसद पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनका कोई नियोक्ता नहीं है, इसलिए वो प्रैक्टिस कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में वकील श्री अश्विनी उपाध्याय ने सांसदों और विधायकों को कानूनी अभ्यास से रोकने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था। हालाँकि, पत्र के जवाब में गठित बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तीन सदस्यीय उपसमिति ने फैसला दिया था कि सांसदो/विधायकों को अभ्यास करने पर रोक की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात श्री उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें हितों के टकराव तथा BCI के नियमों के उल्लंघन के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा वकील और कानून-निर्माता की दोहरी भूमिका निभाने की अनुमति को चुनौती दी गई थी।

अश्विनी उपाध्याय की याचिका के मुताबिक बार काउंसिल के विधान और नियमावली के अनुसार कहीं से वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि वकालत पूर्णकालिक पेशा है। ऐसे में सांसद और विधायक जब सरकारी खजाने से वेतन और भत्ते लेते हैं तो कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? याचिका में कहा गया है कि जब तक कोई भी सांसद या विधायक पद पर हैं तब तक उसकी वकील के रूप में प्रैक्टिस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए एवं शपथ लेते ही उसके लाइसेंस को तब तक प्रतिबंध कर देना चाहिए जब तक वो सांसद या विधायक है। उपाध्याय ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का 1994 में दिये गये निर्णय का हवाला दिया जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को कोर्ट ने कहा कि, वो तब तक वकालत के योग्य नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो डॉक्टर के पद से इस्तीफा ना दे दें। सुप्रीम कोर्ट के (8.4.1996) फैसले के अनुसार और बीसीआई नियम 49, किसी भी व्यक्ति, फर्म, निगम या सरकार के पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी एक वकील के रूप में अभ्यास नहीं कर सकते। अदालत में विधायकों और सांसदों को वकील के रूप में अभ्यास करने से रोकने के लिए सीजेआई और बीसीआई अध्यक्ष को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। अक्सर हम सुनते हैं कि कई मंत्री, नामी सांसद, विधायक और अन्य नेता वकील हैं वो उस वक्त भी वकालत करते हैं जब किसी संसद, विधानसभा या विधानपरिषद के सदस्य होते हैं। इसी याचिका का हवाला देते हुए बार काउंसिल ने उन सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को नोटिस भेजा था जो बतौर वकील प्रैक्टिस करते हैं इन सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों (विधायक) को नोटिस का जवाब एक सप्ताह के भीतर देना था। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी, केटीएस तुलसी, विवेक तन्का, के. परासरन आदि कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहिए?

विपक्ष में तर्क

- यदि कोई व्यक्ति सांसद या विधायक या मंत्री रहते हुए किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो वो फैसले को प्रभावित कर सकता है।
- वहीं दूसरी तरफ वो संसद या विधान परिषद की कार्यवाहियों में शामिल नहीं होगा तो देश के लिए नीति निर्माण में भाग नहीं ले सकेगा। इस प्रकार वह देश के साथ न्याय नहीं कर पायेगा।
- इससे गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि राजनेता होने के नाते फैसले को धन बाल के माध्यम से अपने पक्ष में कर सकता है।
- इस व्यवस्था से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लगेगा।
- बार कौंसिल ऑफ इंडिया के 49वें नियम में कहा गया है कि कोई भी पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी, चाहे वह किसी निगम, निजी कंपनी या सरकार से संबंधित हो, अदालत के समक्ष वकील के रूप में अभ्यास नहीं कर सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी अन्य व्यावसाय की खोज में शामिल नहीं हो सकता है और निश्चित रूप से किसी अन्य सरकारी सेवा के दौरान वकील के रूप में अपनी सेवाओं की पेशकश नहीं कर सकता है।
- डॉ. हनीराज एल चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा (1996) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वकील बनने योग्य किसी व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जाएगा यदि वह पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य के रूप से किसी सेवा या रोजगार में है।
- कानून-निर्माता सार्वजनिक खजाने से अपना वेतन और पेंशन लेते हैं इसलिये उन्हें

'कर्मचारी' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- वकीलों का कार्य पूर्णकालिक गतिविधि है। ऐसा ही सांसदों और विधायकों के संदर्भ में भी है अर्थात वे संसद और विधानसभाओं के पूर्णकालिक सदस्य हैं। उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेना पड़ता है, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मिलना पड़ता है और उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। उनके काम को सुविधाजनक बनाने के लिये उन्हें बंगला, कार, कार्यालय, वेतन जैसी सभी सुविधाएँ दी जाती हैं इसलिये, उन्हें जनता के पास जाना चाहिये और उनकी सेवा करनी चाहिये क्योंकि भारत को समर्पित सांसदों की जरूरत है।
- जो सांसद और विधायक वकीलों के रूप में अभ्यास करते हैं वे याचिकाकर्त्ता से शुल्क लेते हैं और प्रतिवादी से अपना वेतन भी प्राप्त करते हैं। इसमें प्रतिवादी केंद्र या राज्य सरकार होती है। यह अपने आप में विरोधाभासी है क्योंकि वे सार्वजनिक खजाने से वेतन प्राप्त करते हैं और सरकार के खिलाफ दलीलें पेश करते हैं। इसे व्यावसायिक दुर्व्यवहार के रूप में भी देखा जा सकता है।
- सांसदों और विधायकों के पास किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की शक्ति भी होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि वे अपने किसी मुकदमे में अनुकूल फैसले की मांग रखते हुए न्यायाधीश पर दबाव डाल सकते हैं।

पक्ष में तर्क

- विशेषज्ञता के संदर्भ में भी संसद विविधता का एक मंच होना चाहिए चाहे वो विविधता विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों से ही क्यों न हो क्योंकि विविधता होने से नीतियों में भी विविधता आती है।
- संघ लोक सेवा आयोग में भी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ चुनकर आते हैं जिससे सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में व्यापक स्तर पर सफलता मिलती है।
- वास्तव में वकील स्पष्ट और तार्किक सोच के लिये जाने जाते हैं। कानून का प्रशिक्षण उन्हें कानून और कानून-निर्माण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है इसलिए देश के लिए नीति निर्माण में उनकी योग्यता काफी महत्वपूर्ण शाबित हो सकती है।
- सांसद या विधायक होने के नाते वकील जनता

की बात को संसद से लेकर न्यायपालिका में प्रभावी तरीके से रख सकते हैं।

- इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं कि जो पेसे से वकील होते हुए भी जनता के प्रभावी और लोकप्रिय प्रतिनिधि भी शाबित हुए हैं जैसे-महात्मा गाँधी,जवाहर लाल नेहरु, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर आदि। इन्होंने न तो न्यायपालिका को प्रभावित किया न ही अपने पक्ष में ही कोई निर्णय किये।
- वकील, अधिवक्ता अधिनियम और बार परिषद के नियमों के अधीन होते हैं, जो कानून का अभ्यास करने वालों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। भेदभाव इस तथ्य में भी निहित है कि अन्य पेशों में लगे कर्मचारी जैसे-अभियंता, चिकित्सक आदि अधिवक्ता अधिनियम के समान किसी भी कानून के तहत ऐसे प्रतिबंधों का सामना नहीं करते हैं।
- खास तौर से कानूनी पेशे के संबंध में, जब कोई वकील किसी कॉर्पोरेट हाउस से किसी वाद का संक्षिप्त विवरण स्वीकार करता है और वह सदन का सदस्य भी है, तब हितों के टकराव का प्रश्न हमेशा उठता है। यह सुस्पष्ट है कि कोई भी किसी खास व्यक्ति के लिये सदन में उपस्थित नहीं होता है और न ही वह उसके पक्ष में गुटबाजी कर सकता है।
- हालाँकि, यह हर किसी पर लागू होता है। संसद गुटबाजी की जगह नहीं है। अगर किसी ने पैसा स्वीकार किया है या किसी भी तरीके से किसी को लाभान्वित किया है या किसी विशेष मामले में जानकारी दी है और संसद में उस व्यक्ति के लिये गुटबाजी किया है, तो यह गैर-कानूनी एवं नैतिकता के दृष्टिकोण से गलत है।
- यह उन उद्यमियों के लिये भी समान रूप से लागू होता है जो विधानसभा या सांसद के सदस्य हैं। उल्लंघन की स्थिति में कोई भी विशेषाधिकार समिति या नैतिकता समिति को सूचित कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का मत

हाल ही में दिए अपने निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून-निर्माताओं को पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता क्योंकि इस परिस्थिति में उनमें नियोक्ता और कर्मचारी जैसा कोई संबंध नहीं है। कानून-निर्माता अधिनियम 1954 (संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954) के तहत वेतन या इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के तहत विभिन्न भत्ते प्राप्त करता है। केवल इस तथ्य के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार और कानून-निर्माता के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध है। विधायकों को जनता का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन उनकी स्थिति अद्वितीय या अलग है और निश्चित रूप से वे किसी भी व्यक्ति, सरकार, कंपनी या निगम के पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारियों में से नहीं हैं। जब तक सदन भंग नहीं हो जाता है तब तक वे किसी पद पर होते हैं। सदन के अध्यक्ष द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक या विशेषाधिकार के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कर्मचारियों के रूप में माना जा सकता है। इसी तरह, सदन के कार्य हेतु कानून-निर्माताओं द्वारा की जाने वाली भागीदारी को किसी भी मानक के तहत नियोक्ता को कर्मचारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया

बार काउंसिल ऑफ इंडियन को विनियमित और प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिवक्ता अधिनियम,

1961 के तहत संसद द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है। यह व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करते हुए तथा बार काउंसिल पर अनुशासनिक अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर विनियामक कार्य करता है। यह कानूनी शिक्षा के लिये मानक निर्धारित करने के साथ-साथ उन विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है, जिनकी उपाधि अधिवक्ता के रूप में नामांकन हेतु योग्यता निर्धारण करने का कार्य करेगी। इसके अलावा, यह वकीलों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करता है तथा उनके लिये कल्याणकारी योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये धन इकट्ठा करने जैसे कार्यों का दायित्त्व भी संभालता है।

निष्कर्ष

जिस प्रकार से भारत विविधताओं वाला देश है ठीक उसी प्रकार संसद में भी विविधता होनी चाहिए क्योंकि विविधता से ही नीति निर्माण में विविधता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। भारत की आजादी में वकीलों का एक बहुत बड़ा गुट कार्यरत था जिसने जनता की आवाज को प्रभावी तरीके से उठाया। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सराहनीय है। हाँ इस बात का अवश्य ध्यान रखने की जरूरत है कि आपराधिक प्रवृत्ति के एम.पी., एम.एल.ए. भी इसी वर्ग में शामिन न हो जाएं। आज जिस तरह से राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है इससे कहीं न्यायपालिका या विधायिका की कार्यप्रणाली तथा विश्वसनीयता पर सवालिया निशान न उठने पाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

■

2. नीति आयोग : पूर्ववर्ती संस्था से कितना अलग

संदर्भ

1 जनवरी 2015 को स्थापित नीति आयोग या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना सरकार के विचार मंत्र (थिंक-टैंक) के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। यह संस्था केन्द्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाती है इसके साथ ही यह राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करती है और भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में प्रगति का अनुवीक्षण करती है। यह संस्था केन्द्रीय और राज्य सरकारों को नीति के प्रमुख घटकों के संबंध में सुसंगत कार्यनीति और तकनीकी सलाह प्रदान करती है। इसके तहत आर्थिक क्षेत्र के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामले, देश के भीतर और अन्य राष्ट्रों में उपलब्ध सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेशन तथा विशिष्ट मुद्दों पर सहायता प्रदान करना शामिल है।

पृष्ठभूमि

योजना आयोग का गठन एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके लगभग 65 वर्षो के बाद देश ने अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था से उभरते वैश्विक परिदृश्य की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्वयं को परिवर्तित किया है।

बीते वर्षो के साथ सरकार का संस्थागत ढांचा विकसित और परिपक्व हुआ है। इससे कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित हुई है जिसने संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों की विशिष्टता बढ़ाई है। नियोजन की प्रक्रिया के संदर्भ में शासन की 'प्रक्रिया' को शासन की 'कार्यनीति' से अलग करने साथ ही साथ उसे ऊर्जावान बनाने की जरुरत है। शासन संरचना के संदर्भ में हमारे देश की जरूरतें बदली हैं। ऐसे में एक ऐसे संस्थान की स्थापना की आवश्यकता थी जो सरकार के दिशात्मक और नीति निर्धारक थिंक टैंक के रूप में कार्य करे। नीति आयोग प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण के प्रमुख तत्वों के बारे में महत्वूपर्ण और तकनीकी सलाह देगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयात के मामले, देश के भीतर और अन्य देशों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के प्रसार, नए नीतिगत विचारों को अपनाने और विषय आधारित विशिष्ट सहायता शामिल हैं।

नीति आयोग किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है

योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर यह है कि इससे केन्द्र की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। नीति आयोग ने लोगों के विकास के लिए नीतियाँ बनाने के लिए विकेन्द्रीकरण (सहकारी संघवाद) को शामिल किया है। इसके आधार पर केन्द्र के साथ-साथ राज्य भी योजनाओं को बनाने में अपनी राय रख सकेंगे। इसके अंतर्गत योजना निचले स्तर पर स्थित इकाईयों गांव, जिले एवं राज्यों का केन्द्र के साथ आपसी बातचीत के बाद तैयार की जाएगी। इनका उद्देश्य जमीनी हकीकत के आधार पर योजना बनाना होगा। योजना आयोग में सशक्त राष्ट्र से सशक्त राज्य की कल्पना की गई थी, अर्थात इसमें केंद्रीकरण की भावना कूट कूट कर भरी पड़ी थी। जबकि नीति आयोग लगातार बदल रहे एकीकृत विश्व के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होगा, भारत जिसका एक भाग है।

सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि विश्व के सकारात्मक प्रभावों को अपनाते हुए इस संस्थान को इस नीति का पालन करना होगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में एक ही मॉडल प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता अर्थात विकास के लिए हमें अपनी नीति स्वयं निर्धारित करनी होगी। देश में और देश के लिए क्या हितकारी है, संस्थान को इस पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जो विकास के लिए भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित होगा। इन आशाओं को जीवंत बनाने के लिए ही यह संस्थान है। इसे राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, विषय विशेषज्ञ और संबंधित संस्थानों सहित तमाम हितधारकों के बीच गहन विचार विमर्श के बाद प्रस्तावित किया गया। ''सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण'' इस आयोग की प्राथमिकता है जो भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुकूल है।

नीति आयोग के उद्देश्य

1. यह राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा।
2. सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और क्षेत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा।

3. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए क्षेत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर स्तर तक पहुँचाएगा।
4. आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्य नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाए।
5. हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम होगा।
6. रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढाँचा तैयार करेगा और पहल करेगा साथ ही साथ उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएंगे।
7. महत्त्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही शैक्षिक तथा नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देगा।
8. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितकारों के सहयोग, समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा।
9. विकास के एजेंडों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
10. अत्याधुनिक कला संसाधन केन्द्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ हितधारकों तक जानकारी पहुँचाने में भी मदद करेगा।
11. आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रम और उपायों के कार्यान्वयन के सक्रिय मूल्यांकन के साथ सक्रिय निगरानी की जाएगी ताकि सेवाएँ प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।
12. कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर।
13. राष्ट्रीय विकास के एजेंडों और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियाँ संपादित करना।

नीति आयोग की संरचना

नीति आयोग के गठन की व्यवस्था इस प्रकार है-

- भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
- इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (विधान सभाओं वाले केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत) सभी केन्द्रशासित प्रदेशों के उप राज्यपाल शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशिष्ट आमंत्रित सदस्य में संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ, सुविज्ञ और विशिष्टजन शामिल होते हैं।
- पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा निम्नलिखित हैं-
  - **उपाध्यक्षः** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
  - **सदस्यः** पूर्णकालिक, आंशकालिक
  - **पदेन सदस्य**
  - **मुख्य कार्यकारी अधिकारीः** भारत सरकार के सचिव स्तर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी।

भारत का विजन दस्तावेज

- विजन (2017-18 से 2031-32): 15 वर्षीय
  - प्रौद्योगिकी का विकास एवं पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप नीतियाँ बनाना।
  - अगले 15 वर्षों तक देश के समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों को शामिल करना।
- रणनीति (2017-18 से 2023-24): 7 वर्षीय
  - सात वर्षीय रणनीति है जो अगले सात सालों तक विकास के रोडमैप के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित करती है।
- एक्शन एजेंडा (2017-18 से 2019-20): 3 वर्षीय
  - तीन वर्षीय एक्शन प्लान के तहत अगले तीन वर्षों में भावी कार्यो और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीति को दो भागों में बाँटा गया है।

नवाचार में सुधार

- अटल इनोवेशन मिशन, जिसे नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है, ने भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिये पहले से ही सराहनीय काम किया है।
- इसके अलावा आयोग ने देश भर के स्कूलों में 1,500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की है और मार्च 2019 तक इनकी संख्या 5000 तक पहुँचने की उम्मीद है।
- युवा नवप्रवर्तनकों और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिये आयोग द्वारा 20 अटल इनक्यूवेशन सेंटर भी स्थापित किये गए हैं।
- अतः यह आयोग बेहतर कार्यसंस्कृति के प्रदर्शन के साथ, देश में एक कुशल, पादरर्शी, अभिनव और उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित करने की सरकार की योजनाओं का एक अभिन्न और प्रासंगिक घटक बना हुआ है।
- डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा।
- नीति आयोग वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लीक्ष्य को हासिल करने में तीव्र गति से कार्य कर रहा है।

नीति आयोग की आलोचना

- कुछ आलोचकों का मानना है कि विकास हेतु योजना बनाने में प्रतिमान के बिना भारत नए विचारों के साथ नहीं बदल सकता है।
- नीति आयोग द्वारा योजना आयोग की प्रतिस्थापना एक असमान समाज की आधुनिक अर्थव्यवस्था में बदलने के कार्य की मांग करता है जो कि अपने समाज के सभी नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करता है।
- हालाँकि, सार्वजनिक या निजी निवेश के क्षेत्र में अकेले निर्देशन के कारण इसकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसा लगता है कि दीर्घकालिक परिणामों का नीति निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- यदि नीति आयोग को थिंक टैंक मान भी लिया जाए, तो इसका तात्पर्य है कि नए विचारों के सृजन के समय यह सरकार से एक सम्मानजनक बौद्धिक दूरी बनाए रखता है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्धारकर्त्ता के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के आधारभूत और सामाजिक रूप से उन्मुख योगदान की प्रशंसा के बिना, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के गुणों का बखान करता है।
- इसके अलावा, आलोचकों का यही भी मानना है कि भारत जैसे देश नए विचारों और रणनीतियों के साथ स्वयं को कैसे बदल

सकते हैं जबकि विकास के लिये योजना बनाने का कोई प्रतिमान ही नहीं है।

- देश के अधिकांश गरीबो का उत्थान कैसे हो? न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक रोजगार सुरक्षा के साथ एक सभ्य नौकरी कैसे प्राप्त की जा सके, इस संदर्भ में नीतिआयोग कोई व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत नहीं कर पाया है।

चुनौतियाँ

- नीति आयोग की व्यापक भूमिका एवं कार्यों को देखते हुए अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए इसे वित्त आयोग की तरह संवैधानिक निकाय न बनाना तर्क से परे है।
- नीति आयोग की संरचना को देखते हुए आशंका है कि इस पर नौकरशाही के हावी होने का खतरा है।
- नीति आयोग के साथ विभिन्न मंत्रालयों के संघर्ष का खतरा है क्योंकि अनेक मुद्दों पर ओवरलैपिंग की संभावनाएँ बनी रहती हैं।
- इसमें सदस्यों की संख्या पूर्व में गठित योजना आयोग की अपेक्षा अधिक है इसलिए टीम इंडिया के सभी सदस्यों एवं विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने की चुनौती बरकरार है।
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के नाम पर कई बार राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने की शिकायत करते हैं।
- सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या में बढ़ोतरी नीति आयोग के लिए चिंता का विषय है।

आगे की राह

- योजनाओं का और अधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।
- प्रशासन संरचना में बदलाव की आवश्यकता है।
- इसके उत्तरदायित्व का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर करना चाहिए।
- धन का व्यय अधिक नहीं होना चाहिए।
- नीति आयोग के पास आर्थिक सुधारों को लागू करने की स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानव विकास की अवहेलना नहीं होनी चाहिए जैसा कि लैटिन अमेरिकन देशों और अफ्रीका के देशों में हुआ।
- अत: उपर्युक्त संदर्भ में भारत को एक ऐसी योजना की आवश्यकता है जो सामाजिक न्याय को संबोधित करे, क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानताओं को कम करे तथा पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

■

3. आयुष्मान भारत : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

चर्चा का कारण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। सरकार का दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर योजना है, जिससे करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए पांच लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। वैसे, यह योजना प्रभावी तौर पर 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पूरी तरह लागू हो जाएगी। अभी देश के 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 445 जिलों में यह योजना लागू की जा रही है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है?

50 करोड़ से ज्यादा लोगों (10.74 करोड़ परिवारों) को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली यह अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में नहीं चल रही है। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या पूरे यूरोपीय यूनियन अर्थात 27-28 देशों की आबादी के बराबर है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की आबादी मिला लें तो उससे भी ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत सरकार देशभर में डेढ़ लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर के तौर पर विकसित करेगी तथा ये जिला अस्पताल से डिजिटली लिंक होंगे। इन केन्द्रों पर जांच से लेकर इलाज और दवाई तक मुहैया कराई जाएगी।

योजना के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक की दवाई और जांच का खर्च उठाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी बीमारी से पीड़ित है, तो उसे भी योजना का फायदा मिलेगा।

उद्देश्य

- मौजूदा सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 2025 तक अपने जीडीपी का 2½ फीसदी खर्च करने का लक्ष्य रखा है। जो अभी 2 फीसदी से कम है।
- इसके तहत दो तरह के स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाया गया है।
  - सबसे पहले स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के निर्माण को गाँवों तथा घरों के करीब लाना ताकि स्वास्थ्य सेवाएँ जल्द से जल्द मिल सकें।
  - दूसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
- इसके तहत मानव संसाधन के विकास पर जो दिया गया है। इसके लिए बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का लक्ष्य है।
- साथ ही मौजूदा अस्पतालों की गुणवत्ता में वृद्धि भी की जाएगी।
- इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
- 1.50 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा।

पात्रता: इस योजना में परिवार की सदस्यों की संख्या या उनकी उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में जो भी गरीब था, वो इस योजना के तहत आएगा, लेकिन 2011 के बाद गरीब की श्रेणी में आए लोग अभी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिक परिवारों को इस योजना का फायदा होगा। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अभी 8.03% ग्रामीण और 2.33% शहरी परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। परिवारों का चयन जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही किया गया है। गांवों में 7 पैमानों पर लोग चुने गए हैं और शहरों में 11 पैमानों पर लोग चुने गए हैं। इन लोगों में कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, घरेलू सहायक, रेहड़ी-पटरी वाले, मोची, फेरीवाले, मजदूर, प्लंबर, राजमिस्त्री, पेन्टर,

वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली और सफाईकर्मी शामिल हैं। जो लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा उठा रहे हैं, वो भी इस नई योजना का फायदा उठा सकते हैं।

नाम की जाँचः आयुष्मान भारत में किसी व्यक्ति का नाम है या नहीं, ये जानने के तीन तरीके हैं।

पहला तरीका है योजना की वेबसाइट, जिसका नाम है mera.pmjay.gov.in.। इस वेबसाइट के होमपेज पर ही 'PM Jan Arogya Yojana' का बॉक्स मिलेगा।

इसमें व्यक्ति को फोन नंबर डालना होगा। इसके बाद उसके फोन में OTP आएगा, जिसे वेबसाइट पर डालकर वह जान सकता है कि उसका नाम लिस्ट में है या नहीं।

दूसरा विकल्प है टोलफ्री फोन नंबर, इसमें कोई व्यक्ति '14555' पर फोन करके जान सकता है कि उसका नाम योजना में है या नहीं। इस नंबर पर उससे कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी, ये सूचनाएं देने पर उसे अपनी पात्रता का पता चल जायेगा।

तीसरा तरीका है लिस्टेड हॉस्पिटल। जो भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत से जुड़े हैं, वहां आरोग्य मित्र रखे गए हैं। कोई व्यक्ति उनसे मिलकर पता कर सकता है कि उसका नाम योजना में है या नहीं।

आरोग्य मित्रः आरोग्य मित्र व्यक्ति से राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज मांग सकते हैं। पहचान साबित होने के बाद अगर व्यक्ति का नाम योजना में होगा, तो उसे एक ई-कार्ड दे दिया जाएगा। इसी कार्ड के जरिए वह कभी भी 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। ई-कार्ड में आगे व्यक्ति का फोटो और नाम होगा और पीछे पता लिखा होगा। एक बार ई-कार्ड मिलने के बाद इलाज के लिए कोई भी दूसरा दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी इसके लिए ई-कार्ड काफी है। उसमें सभी जानकारी होगी और किसी कागजी कार्रवाई में पड़ने की जरूरत नहीं होगी।

इलाज की सुविधाः केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये छूट दी है कि थे अपनी सहूलियत के हिसाब से इस योजना को अपने प्रदेश में लागू करें। अभी पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, केरल, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। ये खुद की ऐसी ही योजना चाहते हैं या इन राज्यों में ऐसी कुछ

योजनाएं पहले से चल रही हैं लेकिन देश के 36 में से 29 राज्यों से शुरू हो रही इस योजना में 13000 हॉस्पिटल शामिल हो चुके हैं। अगर किसी राज्य ने अभी तक योजना लागू नहीं की है, तो लाभार्थी दूसरे राज्य में भी इसका फायदा उठा सकते हैं। 13 हजार अस्पतालों से शुरुआत के अलावा सरकार का लक्ष्य अगले चार साल में चार लाख हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर बनाने का है जिसमें जांच, इलाज और दवाई की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होगी।

किन बीमारियों का इलाजः सरकार के अनुसार इस योजना के तहत करीब 1300 पैकेज हैं, जिनमें कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, बाइपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की सर्जरी, दांतों की सर्जरी, आंखों की सर्जरी जैसे इलाज और MRI और CT स्कैन जैसे जांच शामिल हैं।

2500 नए आधुनिक अस्पतालः आयुष्मान योजना से 2500 नए अच्छी क्वालिटी के आधुनिक अस्पताल बनेंगे। इनमें से ज्यादातर छोटे कस्बों में बनेंगे और निम्नवर्गीय से लेकर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए रोजगार और कमाई के अवसर पैदा होंगे।

पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेसः आयुष्मान योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस होगी। साथ ही इसमें किसी भी तरह का पंजीकरण नहीं होगा। इसके लिए केवल ई-कार्ड ही काफी है, जिसमें सभी जानकारियां होंगी। इसके अलावा मरीज का इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा, उसे एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा।

इस योजना की आवश्यकता क्यों?

देश की एक बड़ी आबादी गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं है। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से लग सकता है। अध्ययन में सामने आया कि भारत में 5.5 करोड़ लोग सिर्फ इसलिए गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए क्योंकि उन्हें इलाज में काफी पैसा बहाना पड़ा। इनमें से 3.8 करोड़ लोग तो सिर्फ दवाओं पर खर्च करने के कारण ही गरीब हो गए। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (NSSO) के हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश के करीब 85.9 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 82 प्रतिशत शहरी परिवारों की हेल्थकेयर इंश्योरेंस तक पहुंच नहीं है।

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और आयुष्मान भारत के CEO डॉ. इंदु भूषण के मुताबिक भारत सरकार सालाना स्वास्थ्य पर अपनी GDP का 1.13% हिस्सा खर्च करती है, जो दूसरे विकासशील देशों से कम है। चीन अपनी GDP का 2.45% और थाईलैंड 2.90% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। महंगे इलाज की वजह से भारत के करीब 66 लाख परिवार हर साल गरीब की श्रेणी में आ जाते हैं। 24.9% ग्रामीण और 18.2% शहरी उधार लेकर अपना इलाज कराते हैं। भारत के 17.3% लोग अपने बजट का 10% इलाज में खर्च करते हैं। सरकार के मुताबिक उन्हें ऐसी स्वास्थ्य योजना की जरूरत थी, जिससे लोगों को इलाज कराने में आर्थिक मदद मिले। साथ ही, गरीबों को भी अमीरों जैसा इलाज मिल सके। इसके लिए केंद्र सरकार 2018-19 के बजट से इस योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए दे चुकी है। योजना के कुल खर्च में से 60% केंद्र सरकार लगाएगी और 40% राज्य सरकारों को खर्च करना होगा।

शोध पत्रिका 'द लांसेट' की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत स्वास्थ्य सेवाओं और गुणवत्ता के मामले में 195 देशों की सूची में 145 वें स्थान

पर है। हालांकि इसमें सुधार तो हुआ है लेकिन सुधार की रफ्तार काफी धीमी है।

भारत स्वास्थ्य से संबंधित वैश्विक बिमारियों का 32 फीसदी बोझ उठाता है। दिल की बिमारियाँ 1990 की तुलना में आज दो गुना हो गई हैं। आज भी भारत में कुपोषण और खून की कमी से आबादी का एक बड़ा हिस्सा जूझ रहा है।

डॉयबिटीज और दिल की बिमारियाँ अब ग्रामीण इलाकों को भी तेजी से अपने चपेट में ले रही हैं। इसकी सबसे ज्यादा मार वो लोग झेलते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है।

देश की करीब 63 फीसदी आबादी के पास आज भी किसी भी रूप में स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं है। कई परिवार अपनी बिमारी के इलाज में अपने जीवन भर की कमाई खर्च कर देते हैं और कई बार तो बिमारी के चलते कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं।

लाभ

- लाभार्थी परिवारों के लोग द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के तहत पैनल के अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से भर्ती हो सकते हैं।
- यह योजना लाभार्थियों को नकदी रहित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इससे अस्पताल में भर्ती होने पर आने वाले खर्च में कमी आएगी।
- इससे भयंकर स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान उत्पन्न वित्तीय जोखिम कम होगा। पात्र लोग सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के दायरे में गरीब, वंचित ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिकों की पेशेवर श्रेणियां आएंगी।
- एसईसीसी के डाटाबेस में वंचना के आधार पर पात्रता तय की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वंचना की श्रेणियां (डी1,डी2,डी3,डी4,डी5, डी6 और डी7) के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की गयी है।
- शहरी क्षेत्रों में 11 पेशेवर मापदंड पात्रता तय किये गये हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके लाभार्थी भी इस नयी योजना के अंतर्गत आएंगे।
- योजना से 15000 अस्पताल जोड़े जाएंगे। अभी तक 13 हजार अस्पताल जोड़े गए हैं। इन अस्पतालों के जुड़ने से आम जनता तक इसका लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।
- आयुष्मान भारत की गाईडलाइन के मुताबिक ये पूरी तरह से कैसलेस और पेपरलेस होगा।
- इसके तहत प्राइवेट तथा सरकारी दोनों ही अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकेगा।
- योजना के मुताबिक परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो सभी को फायदा मिलेगा। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी उम्रसीमा नहीं है।
- इसके तहत बच्चियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस योजना के तहत कोई भी इलाज करने से मना नहीं कर सकता।
- इसके साथ ही अस्पताल मरीज से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता।
- इस योजना के तहत आने वाले मरीज भारत के किसी भी जगह पर लाभ ले सकते हैं।
- इस बीमा पॉलिसी के बाद लोग प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे।
- इसके बाद अस्पतालों को भी अपने चिकित्सा शुल्क कम करने होंगे।
- इस योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आधार से लिंक करने की भी योजना है।

किन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा

- वो पात्र नहीं हैं जिनके पास 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन और फिशिंग बोट है।
- वो जिनके पास 3 पहिया और 4 पहिया एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आर्थात ट्रैक्टर है।
- वे परिवार जिनके पास 50 हजार रुपये से ज्यादा की लिमिट का क्रेडिट कार्ड है।
- जिस परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी करता है।
- या वैसे परिवार जो गैर कृषि कारोबार में रजिस्टर्ड हैं।
- किसी भी परिवार में घर का कोई सदस्य 10 हजार रुपये से अधिक कमाता है।
- इनकम टैक्स भरने वाले परिवार।
- प्रोफेशनल टैक्स भरने वाले परिवार।
- ऐसे परिवार जिनके पास 3 या उससे अधिक कमरे की पक्की दीवार और छत वाला मकान है।
- वे जिनके पास रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन है।
- जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा 2 फसल सीजन वाली सिंचित भूमि है।
- जिनके पास एक सिंचाई यंत्र के साथ 7.5 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन हो।

वैश्विक परिदृश्य

अमेरिका और ब्राजील जैसे विश्व के अन्य देशों में भी नागरिकों के लिए प्रभावी स्वास्थ्य योजनाएं, कार्यक्रम और सुविधाएं दी जाती हैं जिसका लक्ष्य गरीबों के सेहत और हालात को सुधारना होता है।

दक्षिण अफ्रीकाः यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली देश की ज्यादातर आबादी को सुविधाएं देती है। हालांकि निजी क्षेत्र की तुलना में ये धन और कर्मचारियों के अभाव से जूझ रही है।

हांगकांगः अस्पताल प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है जो सार्वजनिक अस्पतालों का संचालन और प्रबंधन करता है। प्रारंभिक स्वास्थ्य शिक्षा, पेशेवर स्वास्थ्य सेवाएं, और पूरी तरह विकसित स्वास्थ्य देखभाल और दवा प्रणाली है। यहां मेडिकल प्रैक्टिस के ऊंचे मानदंड हैं।

फ्रांसः यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसमें राज्य सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य सेवाओं का भुगतान नहीं किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में 70 फीसद और दवाओं में 35 से 100 फीसद तक बीमा से कवर किया जाता है।

अमेरिकाः अफोर्डेबल केयर एक्ट 2010 में अमेरिका की 98 फीसद आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा सुविधा है। इसके तहत अमेरिका की सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी के स्तर से चार गुना अधिक आय वालों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं में सब्सिडी मिलती है।

ब्रिटेनः सभी स्थाई नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती है। 16 साल से कम उम्र और पिछड़ों का इलाज मुफ्त होता है। अन्य लोगों को इलाज के बाद सामान्य टैक्स के रूप में पैसे चुकाने होते हैं। इस सुविधा में कुछ बदलाव हुए हैं जिसके बाद दवा और दांत के इलाज में पैसे चुकाने होते हैं।

चुनौतियाँ

- भारत में स्वास्थ्य सेवाएँ किसी से छिपी नहीं हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थिति बदहाल है।
- जो अच्छे अस्पताल हैं वो आम आदमी के पहुँच से बाहर हैं।
- बढ़ती आबादी भी एक बड़ी चुनौती है।
- बुनियादी सुविधाओं जैसे डॉ., नर्स, वार्ड-बॉय आदि की कमी।

- देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का कुल 70 फीसदी निजी क्षेत्रों को जाता है।
- स्वास्थ्य सेवाएँ दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है।
- स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार।
- सरकारी बजट की कमी।
- दूर-दराज के क्षेत्रों में खासतौर से ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य देख-भाल केंद्रों की कमी।
- स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ता बाजारवाद जिससे कि डॉ. मरीजों के प्रति गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की कमी है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा बनायी गई नीतियों का उचित तरीके से क्रियानवयन नहीं हो पाना आदि।

निष्कर्ष

वास्तव में आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है तथा इस योजना से स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक रूप से बदलाव आएगा। लेकिन इस क्षेत्र में सरकारी बजट को 2-3 फीसदी तक बढ़ाने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार व बाजारवाद को कम किया जाना चाहिए। इसके लिए लोगों को जागरूक किये जाने की जरूरत है साथ ही अन्य सरकारी नीतियों की तरह आयुष्मान भारत भी उपेक्षा का शिकार न हो जाए इसलिए इसे मजबूती के साथ लागू किये जाने की आवश्यकता है। तभी जाकर स्वास्थ और स्वच्छ भारत के निर्माण का सपना पूरा हो सकेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

4. भारत मालदीव संबंधों की वर्तमान पड़ताल

चर्चा का कारण

हाल ही में संपन्न मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की जीत हुई है। उन्होंने अब्दुल्ला यामीन को हराकर यह जीत हासिल की है। मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के उम्मीदवार मोहम्मद सोलिह ने 58.3 प्रतिशत मत प्राप्त किया तथा वे अब मालदीव के सातवें राष्ट्रपति होंगे। हालाँकि चुनावी प्रक्रिया के दरम्यान कई अवांछित सियासी घटनाएं हुईं, जिनकी वजह से इन चुनावों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने पर ही संदेह के बादल घिर गये थे। यूरोपीय यूनियन ने अपने चुनाव प्रेक्षक वहां भेजने से इंकार कर दिया था, क्योंकि उसने यह पाया कि मालदीव इन चुनावों की मॉनिटरिंग की बुनियादी शर्तें पूरी नहीं करता। पड़ोसी द्वीपीय देश मालदीव सरकार के पिछले पांच वर्षो से भारत विरोधी कदमों को लेकर हालिया चिंता को वहां के चुनाव परिणामों ने कुछ हद तक दूर किया है।

पृष्ठभूमि

भारत और मालदीव के रणनीतिक और सैन्य सहयोग दोनों देशों के अनुकूल रहे हैं। भारत ने द्वीपीय राष्ट्र को अपनी सुरक्षा बनाये रखने में अहम योगदान दिया है। भौगोलिक दृष्टि से मालदीव हिंद महासागर में भारत के लक्ष्यद्वीप द्वीपसमूह के दक्षिण में स्थित है। 1966 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। भारत पहला राष्ट्र था जिसने मालदीव की आजादी को मान्यता प्रदान किया। तब से लेकर अब तक भारत और मालदीव के बीच एक मजबूत सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए हैं।

भारत और मालदीव ने औपचारिक रूप 1976 में अपनी समुद्री सीमा का निर्धारण किया। हालांकि 1982 में मामूली राजनीतिक टकराव सामने तब आया जब मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने मीनीकाय द्वीप पर अपना अधिकार जताया था। मालदीव और भारत ने 1981 में व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये। दोनों ही देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), के संस्थापित सदस्य हैं तथा दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ, और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

भारत ने 3 नवंबर, 1988 को ऑपरेशन 'कैक्टस' शुरू कर तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून गयूम की सरकार के तख्तापलट की कोशिशों को नाकाम कर दिया था। अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत संघ, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने भारत की इस कार्यवाही की तारीफ की थी।

ऑपरेशन कैक्टस की सफलता के बाद से भारत और मालदीव के संबंधों में काफी वृद्धि हुई। भारत ने मालदीव के द्वीपक्षीय मामलों में भाग लिया और उसे बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार और श्रम संसाधनों के विकास के लिये व्यापक आर्थिक सहायता प्रदान की है। भारत द्वारा मालदीव की राजधानी में इंदिरागांधी मेमोरियल अस्पताल' की स्थापना की गई है। भारत में दूर संचार और एयर लिंक्स विस्तार के साथ-साथ क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास, मालदीव को भारत की सहायता के प्रमुख घटकों में से एक है।

भारत और मालदीव के बीच मजबूत राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए मालदीव की ओर से पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम तथा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार भारत का दौरा किया है। जनवरी 2014 में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने भारत का दौरा किया था। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी अक्टूबर, नवंबर 2015 में मालदीव का दौरा किया था। प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जुलाई 2015 में मालदीव के स्वर्ण जयंती स्वतंत्रता समारोह में उपस्थित हुए। जून 2015 में नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ० महेश शर्मा ने भी- यू.एन.डब्लू.टी.ओ सम्मेलन में भाग लिया। मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री श्री ऐडम शरीफ उमर (जनवरी, फरवरी 2016) ने भारत की यात्रा की। इतने राजनीतिक दौरे यह बताते हैं कि मालदीव भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार ने मालदीव के शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंगीकार कार्यक्रम के लिय 5.30 मिलियन अमेरिकी डालर की एक परियोजना को वित्त पोषित किया है। इस परियोजना के तहत 27 माह की अवधि (2011-13) में कंप्यूटर कौशल के द्वारा पूरे द्वीप समूह से लगभग 5000 शिक्षकों एवं युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

अप्रैल 2006 में भारतीय नौसेना ने 46 मीटर लंबा एक त्रिकोण वर्ग का फास्ट अटैक विमान मालदीव को भेंट किया। भारत ने द्विपीय देश को भारत की सुरक्षा ग्रिड में लाने की प्रक्रिया तब शुरू की जब 2009 में 'उदारवादी इस्लामी राष्ट्र' ने दिल्ली से संपर्क करना शुरू किया। उनको डर था कि कहीं सैन्य शक्ति और निगरानी क्षमता में कमी के कारण आतंकवादी मालदीव के द्वीपों पर कब्जा ना कर लें।

भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है। शुरूआत में निर्यात साधारण था परंतु धीरे-धीरे बढ़कर आज भारत-मालदीव द्वीपक्षीय व्यापार 700 करोड़ रुपये के आस-पास पहुँच चुका है। भारत-मालदीव द्वीपक्षीय व्यापार 2010-11 में 127.5 मिलियन डॉलर था, जो नवंबर, 2015 तक 206.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।

मालदीव में लगभग 25,000 भारतीय रहते हैं। (दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय) मालदीव में आने वाले पर्यटकों में 6% हिस्सा भारतीय पर्यटकों का है।

भारत शिक्षा, उपचार, मनोरंजन और व्यापार के लिये मालदीव के नागरिकों का पसंदीदा स्थान है। विदेश मंत्रालय के अनुसार मालदीव के नागरिक भारत में उच्च शिक्षा, चिकित्सा उपचार के लिए दीर्घकालिक वीजा की मांग कर रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य

अब्दुल्ला यामीन ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने विरोधियों के दमन की नीति अपनायी थी और हर असहमत आवाज को दबाने का काम किया था। गौरतलब है कि यामीन के सामने विपक्ष के समर्थन प्राप्त सोलिह के अलावा कोई और बतौर उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ था। इसका मुख्य कारण यह था कि ज्यादातर लोगों को यामीन सरकार ने जेल में डाल दिया था या निर्वासित कर दिया था। अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के समय राजनीतिक पार्टियों, अदालतों और मीडिया पर कार्रवाई की गयी।

इस दौरान, अब्दुल्ला यामीन के खिलाफ महाभियोग की कोशिश कर रहे सांसदों पर भी कार्रवाई की गयी। साल की शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था, तब यामीन सरकार ने चीफ जस्टिस को भी जेल में डाल दिया था और फरवरी महीने में 15 दिन के लिए आपातकाल भी लगा दिया था।

इस साल के फरवरी महीने में यामीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को जेल में कैद कर दिया गया था। चुनावों में जीत के बाद, मोहम्मद सोलिह ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात की है।

वर्षों से मालदीव और भारत के बीच काफी मजबूत संबंध रहे हैं और इस देश पर भारत का काफी प्रभाव भी रहा है। लेकिन इस देश में चीन की दिलचस्पी हाल के वर्षों में बढ़ी है। हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन वैश्विक व्यापार और आधारभूत संरचना के निर्माण के जरिये मालदीव में भी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। यह देश समुद्री जहाजों का महत्वपूर्ण मार्ग है। ऐसे में भारत और चीन दोनों की नौसैनिक रणनीति के लिए यह देश महत्वपूर्ण है। दूसरे, चीन अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड के एक अहम मार्ग के तौर पर मालदीव को देख रहा है।

अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने भी भारत की जगह चीन को ज्यादा तरजीह दी थी और भारत की कई परियोजनाओं को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, इस साल भारत द्वारा मिलान में आठ दिवसीय सैन्य अभ्यास में शामिल होने के आमंत्रण को भी मालदीव ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद, मालदीव में वैध रूप से काम कर रहे भारतीयों के वीजा नवीनीकरण से भी यामीन सरकार ने इंकार कर दिया था।

मालदीव में चीनी कंपनियां बुनियादी संरचनाओं की कई परियोजनाओं में लगी हैं। चीन-मालदीव मैत्री सेतु एक ऐसी ही परियोजना है। इस सेतु की वास्तविक लागत 25.37 करोड़ डॉलर है, जिसका 57.5 प्रतिशत चीनी सरकार से अनुदान के तौर पर मिला है, जबकि लागत का अन्य 36.1 प्रतिशत मालदीव को चीन सरकार से तरजीही कर्ज के तौर पर मिला है। बाकी 6.4 प्रतिशत मालदीव को स्वयं वहन करना है।

अतीत के अपने सियासी व्यवहारों की वजह से ऐसा यकीन किया जाता है कि मालदीव के अधिकतर नेता अपने व्यक्तिगत हितों से ही निर्देशित होते हैं। संयुक्त विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों का अपना जाती सियासी एजेंडा है। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि सोलिह उन्हें किस तरह संभाल पाते हैं।

ऐसे में भारत के लिए चीन की जगह लेना बहुत मुश्किल होगा। चीन ने मालदीव में 70 फीसदी से ज्यादा निवेश किया है और आज मालदीव पर जितना अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है, उसका 80 फीसदी चीन का ही है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मालदीव पर एक अनुमान के मुताबिक चीन का 1.3 अरब डॉलर का कर्ज है।

मालदीव में सत्ता परिवर्तन और भारत

हिंद महासागर में छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बने देश मालदीव में विपक्षी दलों के गठबंधन का सत्ता में आना इसलिए राहत की खबर है, क्योंकि

राष्ट्रपति चुनाव में पराजित हुए अब्दुल्ला यामीन भारतीय हितों की घोर अनदेखी करने के साथ ही तानाशाही तेवर दिखाने में लगे हुए थे। भारत की चिंता का कारण केवल यह नहीं था कि यामीन चीन को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, बल्कि यह भी था कि वह चरमपंथी तत्वों के प्रति नरमी बरत रहे थे। इसका एक प्रमाण गत दिवस तब मिला जब कुछ लोगों ने एक ब्रिटिश कलाकार द्वारा समुद्र तट पर बनाई गई प्रतिमाओं को इसलिए तोड़ डाला कि इस्लाम में किसी के चित्रण पर रोक है। यह घटना शायद इसलिए घटी, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति यामीन भी कलाकृति के तौर पर चर्चित इन प्रतिमाओं को नष्ट करना चाहते थे।

हालांकि नवंबर में राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले मोहम्मद सोलिह भारत समर्थक माने जाते हैं, लेकिन नई दिल्ली को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि वह कहीं चीन के दबाव अथवा प्रलोभन में न आ जाएं। भारत को केवल इससे खुश नहीं होना चाहिए कि जीत हासिल करने वाले गठबंधन के नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति नशीद इस पर बल दे रहे हैं कि मालदीव की नई सरकार को चीन के साथ किए गए समझौतों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कई देशों में इस तरह की कवायद के बाद वही हुआ जैसा चीन चाहता था। यदि मालदीव चीन के साथ किए गए समझौतों की समीक्षा इस दृष्टि से नहीं करता कि कहीं वह उसके कर्ज के जाल में तो नहीं फंस जाएगा तो उसे वैसे ही हालात से दो-चार होना पड़ सकता है जिनसे श्रीलंका हुआ। श्रीलंका चीनी कर्ज के जाल में ऐसा फंसा कि उसे अपने हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। चीन भारी-भरकम कर्ज देकर उन देशों को खास तौर पर अपने शिकंजे में लेने के लिए जाना जाता है जिनका सामरिक महत्व है। मालदीव का सामरिक महत्व किसी से छिपा नहीं।

चूंकि लक्षद्वीप से मालदीव की दूरी 1200 किलोमीटर के करीब है इसलिए भारत यह नहीं चाहेगा कि चीन वहां अपना मजबूत ठिकाना बनाए। भारतीय नेतृत्व इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि चीन हिंद महासागर में अपना दखल बढ़ाता रहे। वह दक्षिण चीन सागर पर तो अपना अधिकार चाह रहा है, लेकिन हिंद महासागर को साझे समुद्र के तौर पर देख रहा है। भले ही चीन यह सफाई देता रहे कि भारत की घेरेबंदी में उसकी दिलचस्पी नहीं, लेकिन पहले श्रीलंका, फिर मालदीव और नेपाल में उसकी सक्रियता के बाद इन देशों की सरकारों ने जिस तरह भारत से दूरी बनानी शुरू की उससे तो यही रेखांकित होता है कि भारतीय हित उनकी प्राथमिकता में नहीं है। इसका एक प्रमाण पाकिस्तान में निर्मित हो रहे आर्थिक गलियारे से भी मिलता है। चीन यह जानते हुए भी इस आर्थिक गलियारे को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजारना चाहता है कि यह भू-भाग मूलतः भारत का हिस्सा है। स्पष्ट है कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए और सतर्क रहना होगा।

भारत के लिए मलदीव की महत्ता

भारत के लिए मालदीव, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक नजरिए से बेहद अहम देश है।

1. मालदीव हिंद महासागर में स्थित 1200 द्वीपों का देश है, जो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम है। मालदीव के समुद्री रास्ते से निर्वाध रूप से चीन, जापान और भारत को एनर्जी की सप्लाई होती है।
2. चीन 10 साल पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के जहाजों को भेजना शुरू कर चुका था। अदन की खाड़ी में ऐंटी पायरेसी अभियानों के नाम पर मालदीव इंटरनैशनल जियो पॉलिटिक्स में धीरे-धीरे काफी अहम बन गया है। इसलिए भारत को भी इस क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभाने का मौका मिला है।
3. दक्षिण एशिया की मजबूत ताकत होने और हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के नाते भारत को मालदीव के साथ सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में मजबूत संबंध बनाए रखने की जरूरत है।
4. मालदीव में चीन की बड़ी आर्थिक मौजूदगी भी भारत के लिए चिंता की बात है। कहा जाता है कि मालदीव को बाहरी मदद का 70 फीसदी हिस्सा अकेले चीन से मिलता है।
5. पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद तथा वर्तमान राष्ट्रपति सहित विपक्ष का समर्थन करने वाली मालदीव की बड़ी आबादी चाहती है कि भारत और मालदीव के रिश्तों में फिर से मजबूती आये।
6. मालदीव SAARC का भी सदस्य है। ऐसे में इस इलाके में भारत को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मालदीव को अपने साथ रखना जरूरी है। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा उड़ी में किए गए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में होने वाले SAARC सम्मेलन का भारत द्वारा बहिष्कार करने के आह्वन पर मालदीव एकमात्र ऐसा देश था जिसने इस आह्वान पर अनिच्छा जताई थी।
7. यामीन के शासनकाल में मालदीव में कट्टरपंथ तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा अक्सर कहा जाता है रहा है कि सीरिया में लड़ाई के लिए मालदीव से कई लड़ाके गए थे। अपने पड़ोसी देश में कट्टरपंथ का बढ़ना भारत के लिए ठीक नहीं है। अब जब मलदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो स्थिति में बदलाव आने की उम्मीद है।
8. मालदीव के साथ भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। मालदीव के साथ नई दिल्ली का धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध है। 1965 में आजादी के बाद मालदीव को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में भारत शामिल था। बाद में भारत ने 1972 में मालदीव में अपना दूतावास भी खोला।
9. मालदीव के लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के लिहाज से भारत एक पसंदीदा देश है। विदेश मंत्रालय के अनुसार मालदीव के नागरिकों द्वारा उच्च शिक्षा और इलाज के लिए लॉन्ग टर्म वीजा की मांग बढ़ती जा रही है।

निष्कर्ष

हाल ही में संपन्न मालदीव चुनाव में भारत समर्थक राजनीतिक दल की जीत हुई है। इससे भारत-मालदीव संबंधों में नई मजबूती आने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से चीन मालदीव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है उससे भारत को सतर्क भी रहने की जरूरत है। हिन्द महासागर में स्थित होने के कारण मालदीव सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश है। इसलिए भारत को अपनी एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से मालदीव के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। चूंकि मालदीव सार्क का सदस्य देश है ऐसे में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत को सार्क देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करने में प्राथमिकता देनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

5. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक और भारत

चर्चा का कारण

वर्तमान समय में भारत लगातार विकास कर रहा है और नए मुकाम हासिल कर रहा है इसका एक बड़ा उदाहरण है कि भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भी अपनी स्थिति में सुधार किया है। भारत अब दो पायदान ऊपर चढ़कर 96वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के अग्रणी थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी और कैनेडियन थिंकटैक फ्रेजर इंस्टिट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी 'वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018' रिपोर्ट में चीन 108वें, बांग्लादेश 120वें, पाकिस्तान 132वें पायदान पर हैं। सूचकांक में कुल 162 देशों को शामिल किया गया है। इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक-2018 में पहले स्थान पर हांगकांग जबकि सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है। फ्रेजर इंस्टिट्यूट करीब 100 देशों के शोध संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर यह वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है।

आर्थिक स्वतंत्रता क्या है?

आर्थिक स्वतंत्रता स्वयं स्वामित्व की अवधारणा पर आधारित होता है। इस स्व-स्वामित्व के कारण व्यक्तियों को यह चुनने का अधिकार है कि वे अपने जीवन को आकार देने के लिए अपने समय और प्रतिभा का उपयोग कैसे करें। आर्थिक स्वतंत्रता की आधारशिला व्यक्तिगत पसंद, स्वैच्छिक विनिमय, खुले बाजार तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित और लागू संपत्ति अधिकार हैं। जिस देश में आर्थिक स्वतंत्रता मौजूद होती है उस देश के नागरिकों के पास खुद का विकल्प होता है या छूट होती है कि वे अपने माल और सेवाओं का उत्पादन कैसे करें।

दूसरे शब्दों में आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति अपने खुद के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव अथवा किसी दूसरे माध्यम से जैसे हिंसा या धोखाधड़ी के द्वारा इन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

आर्थिक स्वतंत्रता की माप

विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता में प्रकाशित सूचकांक उस अवस्था को मापता है जिस पर देश की नीतियाँ और आर्थिक संस्थान, आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की माप करने के लिए 42 बिंदूओं का उपयोग किया जाता है तथा 5 व्यापक क्षेत्रों में आर्थिक स्वतंत्रता की माप की जाती है जैसे कि-

सरकार का आकारः मापन की इस ईकाई में सरकार का आकार, उसका खर्च, कर अधिरोपण, नियंत्रित उद्यमों में वृद्धि एवं सरकारी निर्णय व्यक्तिगत पसंद को प्रतिस्थापित करते हैं जिससें आर्थिक स्वतंत्रता कम होती है।

कानूनी प्रणाली और संपत्ति अधिकारः व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सही अधिग्रहित संपत्ति आर्थिक स्वतंत्रता और नागरिक समाज दोनों का एक केंद्रीय तत्व है। वास्तव में यह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कानूनी प्रणाली और सपंत्ति अधिकार जितना उदार होगा आर्थिक स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी।

बचत धन (साउण्ड मनी): साउण्ड मनी उस धन को कहते हैं जो किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा अर्जित मजदूरी या वेतन के रूप में अपने पास बचा के रखते है। संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए साउण्ड मनी आवश्यक होती है लेकिन जब मुद्रा सफीति उच्च स्तर पर या अस्थिर रहती है तो लोगों को भविष्य के लिए योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित होने लगती है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रताः आदान-प्रदान करने की स्वतंत्रता इसके व्यापक अर्थो में खरीदना, बिक्री करना, अनुबंध करना आदि को शामिल किया जाता है जो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होता है लेकिन इन प्रक्रियाओं में जब व्यक्तिगत आजादी शामिल नहीं किया जाता है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

विनियमनः सरकारें न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नीतियों का उपयोग करती हैं बल्कि वे ऐसे कई नियम भी विकसित करती हैं जो विनिमय करने, क्रेडिट प्राप्त करने, किराए पर लेने या काम करने के अधिकार को सीमित करते हैं या व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से संचालित करते हैं।

काटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी वार्षिक आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति संतोषजनक नही है। आर्थिक स्वतंत्रता और विकास के बीच मजबूत सहसंबंध होता है। ईएफडल्ब्लयु रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक रूप से स्वतंत्र शीर्ष राष्ट्रों में प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2016 में 40,376 डॉलर प्रतिवर्ष था वहीं आर्थिक रूप से निम्न स्वतंत्र देशों में प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन 5,649 डॉलर प्रतिवर्ष था अर्थात् जिन देशों में आर्थिक स्वतंत्रता अधिक है वहाँ प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी अधिक है। दूसरे शब्दों में शीर्ष 10 प्रतिशत देशों की औसत आय की तुलना में निम्न 10 प्रतिशत देशों की औसत आय में 7 गुना अंतर है। इसके अलावा शीर्ष और निम्न आर्थिक स्वतंत्रता वाले देशों की जीवन प्रत्याशा में लगभग 20 वर्षो का अंतर है। इसी प्रकार राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता तथा लिंग समानता के क्षेत्र में भी समान विचलन प्रदर्शित करते हैं।

आंशिक स्वतंत्रता से लाभ

- काटो एवं फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अनुसार जिन देशों में आर्थिक स्वतंत्रता पायी जाती है या कारोबारी माहौल होता है उन देशों में आय असमानता कम पायी जाती है जबकि जिन देशों मे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। उनमें आय असमानता काफी अधिक होती है जैसे- भारत, अफ्रीकी व एशियाई देशों में।
- उनकी जीवन प्रत्याशा उच्च होती है जबकि अन्य देशो में जीवन प्रत्याशा निम्न होती है जैसे भारत की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 68.8 वर्ष है वहीं विकसित देशों में ये 80 वर्ष है।
- प्रतिव्यक्ति जीडीपी उच्च तथा समान होती है।
- राजनीतिक स्वतंत्रता उच्च होती है अर्थात् सरकारी हस्तक्षेप कम होता है।
- नागरिक स्वतंत्रता उच्च होती है तथा लिंग असमानता कम पायी जाती है।
- रोजगारी माहौल पाया जाता है।

आर्थिक स्वतंत्रता और वैश्विक परिदृश्य

उल्लेखनीय है कि विश्व के देशों पर नजर डाले तो भारत के पड़ोसी देशों में से सिर्फ भूटान ही 73वें क्रम के साथ भारत से आगे है। सूची में नेपाल 102वें, श्रीलंका 106ठें, चीन 108वें, बांगलादेश 120वें, पाकिस्तान 132वें और म्यांमार 151वें क्रम के साथ भारत से पीछे हैं।

वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक-2018 में हांगकांग पहले, सिंगापुर दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे,

स्विट्जरलैंड चौथे और आयरलैंड पांचवें पायदान पर हैं जबकि, यूएस, जॉर्जिया, मॉरीशस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शीर्ष 10 में शामिल हैं। भारत (96) के अलावा अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में से जर्मनी (20वें), जापान (41वें), फ्रांस (57वें), रूस (87वें) और चीन (108वें) क्रम पर रखा गया है।

आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले वेनेजुएला को क्रम में अंतिम (162वां) स्थान प्रदान किया गया है जबकि, लीबिया, अर्जेंटिना, अल्जीरिया, सीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अंगोला गुएना-बिसाव और सुडान क्रमशः 161वें, 160वें, 159वें, 158वें, 157वें, 156वें, 155वें, 154वें, 153वें और 152वें क्रम पर हैं।

विदित हो कि यह सूचकांक देशों में 'सरकार के आकार', 'संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा के लिए कानूनी संरचना', 'धन तक लोगों की पहुंच', 'वैश्विक व्यापार की स्वत्तंत्रता और कर्ज के नियमन' तथा 'श्रम व व्यवसाय' जैसे पांच अव्ययों की माप पर आधारित होता है।

आर्थिक स्वतंत्रता और भारत की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि

यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में सुधार किया है। भारत इस तरह के कई मुकाम हासिल कर चुका है। पिछले कुछ क्षेत्रों में भारत की कुछ अहम उपलब्धियाँ निम्न हैं-

मानव विकास सूचकांकः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 14 सितंबर को जारी ताजा मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में एक स्थान ऊपर चढ़कर 130वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की क्रय क्षमता के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय करीब 4.55 लाख रुपये पहुंच गई है जो पिछले साल से 23,470 रुपये अधिक है। इसके साथ ही जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत की स्थिति बेहतर हुई है। भारत में जीवन प्रत्याशा 68.8 साल है जबकि 1990 में 57.9 साल थी।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्सः हाल ही में दुनियाभर में इनोवेशन के मामले में भारत की रैंकिंग में 3 स्थान का सुधार हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) की सूची में भारत 57वें नंबर पर है, पिछले साल भारत 60वें नंबर पर था।

ग्लोबल पीस इंडेक्सः ग्लोबल पीस इंडेक्स-2017 में भारत चार पायदान ऊपर चढ़कर 137 वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब 163 देशों में पिछले साल की रैंकिंग 141 की तुलना में चार पायदान सुधार के साथ 137वें नंबर पर है।

दुनिया का छठा सबसे धनी देशः भारत 8,230 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व का छठा सबसे धनी देश है। अफ्रे एशिया बैंक की वैश्विक संपत्ति पलायन समीक्षा (AfrAsia Bank Global Wealth Migration Review) रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 62,584 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष पर है। रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत, ब्रिटेन और जर्मनी को पछाड़ दुनिया का चौथा सबसे धनी देश बन जाएगा।

मार्केट कैपिटलाइजेशनः मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत, टॉप 10 की सूची में दुनिया का 8वां बड़ा बाजार बन गया है।

समृद्धिः लंदन स्थित लेगातुम इंस्टिट्यूट के लेगातुम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स के मुताबिक समृद्धि के लिहाज से भारत 2016 के मुकाबले 2017 में चार स्थान ऊपर पहुंचकर रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में चीन 90वें नंबर पर है।

ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्सः ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स में एक पायदान ऊपर चढ़कर भारत 68वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत रैंकिंग में जबरदस्त 29 स्थानों की बढ़त के साथ 69 वें स्थान पर रहा था।

विश्व प्रतिभा रैंकिंगः विश्व स्तर पर भारत प्रतिभा आकर्षित करने, उसे विकसित करने और उसे अपने यहां बनाए रखने के मामले में तीन पायदान का सुधार किया है। स्विट्जरलैंड स्थित International Institute for Management Development (IMD) की ओर से तैयार की गई इस रैंकिंग में भारत अब 54वें से 51वें स्थान पर आ गया है।

भरोसेमंद सरकारों मेंः हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के एक सर्वे में भारत सरकार को दुनिया की तीसरी सबसे भरोसेमंद सरकार बताया गया है।

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस': भारत ने विश्व की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में 30 अंको की जबरदस्त उछाल हासिल किया है। अब भारत विश्व की ओवरऑल रैंकिंग में 100 वें स्थान पर आ गया है, जो कि पिछले साल 130 वें स्थान पर था।

ईज ऑफ पेइंग टैक्स (EPT): वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, ईज ऑफ पेइंग टैक्स में भारत 53 स्थानों की छलांग लगाकर 119वें स्थान पर आ गया है। इससे पहले भारत का स्थान 172वां था।

भारत और आर्थिक विकास

मूलतः आर्थिक स्वतंत्रता एक स्वतंत्र आर्थिक एजेंट के रूप में कार्य करने की आजादी है जो स्वैच्छिक, निर्णय को मजबूत बनाती है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है गरीबों के लिए आर्थिक एजेंसी एक जर्जर स्थिति को दर्शाता है। भारत ने पिछले दो-तीन दशकों से गरीबी में व्यापक रूप से कमी की है तथा उदारीकरण के बाद भारत के नागरिकों मे आर्थिक स्वतंत्रता के दायरे को और बढ़ाया है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के अनुसार वर्ष 2022 तक भारत में 20 मिलियन लोग गरीबी रेखा से उपर उठकर समाज के मूख्य धारा में शामिल हो जाएंगे जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।

हाँलांकि भारत ने उदारीकरण के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से सुधार किया है चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, जैसे- विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते आदि, भूमि सुधार के क्षेत्र में भूमि का डिजिटलीकरण, स्वरोजगार के क्षेत्र में कौशल विकास योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैण्डअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मेक इन इंडिया आदि। कृषि क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ-साथ सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जा रही है जिसका परिणाम यह है कि भारत ने विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में सुधार किया है। लेकिन अभी भी भारत विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में निम्न स्तर पर बना हुआ है या यूँ कहें कि 1990 के उदारीकरण के बाद कुछ खास प्रगति नहीं हुई है।

भारत की निम्न रैंकिंग के कारण

- आजादी के 70 साल बाद भी भारत आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में काफी पीछे है जिसका कारण निम्नलिखित है-
- चूंकि भारत एक विकासशील देश है यहाँ धन तथा आधुनिक संसाधन दोनों की कमी है जिससे सरकारी निवेश समिति है।
- भारत में कानून प्रणाली अधिक जटिल है तथा यहाँ मुकदमों का भंडार है। सभी लंबित मुकदमों में सबसे अधिक भूमि विवाद के ही है। वही हाल संपत्ति के क्षेत्र में भी है। जिससे नये रोजगार शुरू करने या सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
- भारत में बचत मनी (साउण्ड मनी) का उपयोग सही क्षेत्र में न होना। जैसे लोगों के

पास मौजूद धन या अर्जित मजदूरी/वेतन या तो मुद्रा स्फीति की भेंट चढ़ जाता है या स्वास्थ्य क्षेत्र में ही खर्च हो जाता है इसका सबसे बड़ा कारण भारत में मुद्रा स्फीति की ऊंची दर का होना है। उदाहरण के तौर पर हाल के दिनों में पेट्रोलियम पदार्थ की ऊंची कीमते, रुपये का निम्न स्तर पर पहुँच जाना आदि। अर्थात् मुद्रा स्फीति में स्थायित्व की कमी पायी जाती है इससे न केवल निर्यात प्रभावित होता है बल्कि निवेश में भी कमी आती है।

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता के क्षेत्र में देखा जाए तो हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये हैं लेकिन इन समझौतों पर कुछ खास प्रगति नहीं हुई है क्योंकि उपरोक्त क्रियाओं में व्यक्तिगत कारोबारी का हस्तक्षेप न होकर सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा होता है।
- विनियमन के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भूमिका बहुत कम है क्योंकि भारत में ज्यादातर विनियमन सरकार द्वारा ही संपन्न किया जाता है।
- भारत की बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधन।
- व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार।
- सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन उचित तरीके से न हो पाना।
- व्यापक स्तर पर अशिक्षा, गरीबी तथा बेरोजगारी।
- राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव।
- एकल खिड़की (Single window clearence) का अभाव।
- आर्थिक क्षेत्र में विद्यमान कानून का जटिल होना।
- अभी भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप का अधिक होना।

आगे की राह

- अगर भारत को आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा बढ़ती जनसंख्या के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास में ही खर्च हो जाता है।
- भ्रष्टाचार पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने की जरूरत है क्योंकि निजी व्यक्ति जब कोई रोजगार की शुरूआत करता है तो उसे विभिन्न स्तर पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है जिससे निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
- सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन उचित और प्रभावी तरीके से किये जाने की आवश्यकता है साथ ही जवाबदेही और पारदर्शिता को बनाये रखना जरूरी है।
- भारत में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को कम किये जाने की जरूरत है।
- आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ये आवश्यक है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत किया जाए क्योंकि ऐसा अकसर देखा गया है कि जब सरकारें बदलती हैं तो नीतियों में भी परिवर्तन हो जाता है।
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस को बढ़ावा दिया जाए तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए सरकारी नीतियों को पारदर्शी व उदार बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उचित सब्सिडी भी दिये जाने की आवश्यकता है।
- आर्थिक क्षेत्र में विद्यमान कानून को नये सिरे से अवलोकन करने की जरूरत है। साथ ही इनमें व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है।
- सरकारी हस्तक्षेप को कम करने की जरूरत है। साथ ही देश मे कारोबारी माहौल बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे।

■

6. सी बेड माइनिंग : कलयुग का समुद्र मंथन

चर्चा का कारण

हाल ही मे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ''डीप ओशन मिशन'' की रूपरेखा का अनावरण किया। विदित हो कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे गहरे समुद्र में खनन अन्वेषण के लिए यू.एन. इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी द्वारा वर्ष 1987 में हिन्द महासागर बेसिन में पॉलिमेआलिक नोड्यूल्स में अन्वेषण का मौका मिला था।

गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ने हिंद महासागर में गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों के अन्वेषण के लिए चीन सहित अन्य देशों की तरह भारत के साथ भी 15 वर्ष का समझौता किया है। इस समझौते के अनुपालन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने उत्खनन गतिविधियां शुरू की है जिनके लिए मध्य हिंद महासागर में कुल 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ भारत दुनिया के कुछ गिने-चुने देशों में शामिल हो गया जो आगामी कुछ वर्षो में गहरे समुद्र में खनिजों का उत्खनन करने में सक्षम हो जाएंगे।

गहरे समुद्र में उत्खनन क्यों?

पिछले दशक से दुनिया में गहरे समुद्र में उत्खनन की गतिविधियों का नया चरण शुरू हुआ है। इसके लिए दो कारक जिम्मेदार हैं- पहला, बहमूल्य धातुओं की बढ़ती मांग और दूसरा, भोजन। दुनिया की बढ़ती आबादी को ज्यादा भोजन की जरूरत है तथा फास्फोरस आधारित उर्वरकों का दुनिया के भोजन उत्पादन में बहुत महत्व है। समुद्र तल में फास्फोरस ग्रंथिकाओं का खनन कृत्रिम उर्वरक का श्रेष्ठ स्रोत है।

गहरे समुद्र में खनन अपेक्षाकृत नए खनिज की पुन: प्राप्ति की प्रक्रिया है जो समुद्र के तल में होती है। समुद्रीय खनन स्थल आमतौर पर पॉलीमेटालिक ग्रंथिकाओं या सक्रिय और विलुप्तु हाइड्रोथर्मल छिद्रों के विशाल क्षेत्रों के आसपास होते हैं। वे समुद्र की सतह से करीब 1,400-3,700 मीटर नीचे होते हैं। विलुप्त हाइड्रोथर्मल छिद्रों में सल्फाकइड जमा हो जाती है जिसमें चांदी, सोना, तांबा, मैग्नीज, कोबाल्टी और जस्ते जैसी बहुमूल्य धातुएँ होती हैं। यह कच्ची सामग्री समुद्र की गहराई में विभिन्न रूपों में पाई जाती है तथा आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद खानों की तुलना में अधिक सांद्र होती है।

स्मरणीय है कि समुद्र की गहराई में जमा हुई धातुओं को हाइड्रॉलिक पम्प या बाल्टी प्रणाली

के इस्तेमाल से निकाला जाता है। उसके बाद इस कच्चे माल को प्रसंस्कृत करने के लिए जमीन पर लाया जाता है। पॉलीमेटॉलिक ग्रंथिकाओं में निकेल, तांबा, कोबाल्ट और मैग्नीज पाए जाते हैं। यह सब 4,000 से 6,000 मीटर की गहराई पर मिलते हैं। वही मैग्नीज 800 से 2,400 मीटर नीचे मिलता है। मुख्य रूप से इसमें कोबाल्ट, वैनेडियम, मॉलिबिडनम और प्लेटिनम पाया जाता है। यह सल्फाइड औसतन 1,400 से 3,700 मीटर गहराई पर मिलता है जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, कुछ सोना और चांदी शामिल होती है।

भारत को इससे फयदा

एक अनुमान के अनुसार धरती के 75 प्रतिशत हिस्सों पर पानी है। आकार के हिसाब से यह बहुत बड़ा हिस्सा है। तेल के अलावा इसके नीचे और भी बहुत सारी मूल्यवान सामग्री दबी पड़ी है लेकिन अभी भी उन्हें निकालने के लिए जरूरी तकनीक हमारे पास नहीं है। उदाहरण के लिए जर्मन शहर कील के हेल्महोल्त्स समुद्री रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिकों ने पाया है कि लाल सागर में करीब 30 से 40 टन सोना दबा हुआ है। इसके लिए समुद्र की गहराइयों से 16 मीटर तक लंबा जमीन का टुकड़ा काटकर ऊपर लाया गया था।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो इस मामले में वह वैश्विक लाभ कि स्थिति में है। संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा पॉलिमेटेलिक नोड्यूल (पीएमएन) के दोहन के लिये भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन (सीआईओबी) में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर की साइट आवंटित की गई है। ये पीएमएन लोहे, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट से युक्त समुद्र तल पर बिखरी हुई चट्टानें हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि मध्य हिंद महासागर में समुद्र के तल पर 380 मिलियन मीट्रिक टन पॉलिमेटेलिक नोड्यूल उपलब्ध हैं। अगर इस बड़े रिजर्व की 10% प्राप्ति हो जाए तो अगले 100 वर्षों तक भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।

दूसरी तरफ भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है जो गहरे समुद्र में ''अज्ञात और अप्रयुक्त'' है। यह भारत को एक लाभदायक स्थति प्रदान करती है। वर्तमान मे समुद्र की विविध चीजों पर शोध से मानव जरूरतों के बारे में विस्तृत खोज तो हो ही रही है, पानी का यह अथाह भंडार रोजगार का भी बड़ा स्रोत है। दुनिया की 10-12 फीसदी जनसंख्या को समुद्र रोजगार दिला सकता है जिसमें 90 फीसदी नौकरियाँ विकासशील देशों में छोटे मछली पालकों के लिये पैदा की जा सकती हैं।

समुद्र में कीमती पत्थरों और खनिजों का भी भंडार है। नमक का करोड़ों का कारोबार होता ही है। केंद्र सरकार ब्लू इकॉनोमी पर काम कर रही है। इसका मतलब है समुद्र के जरिये कमाई का साधन प्राप्त किया जा सकता है।

मछली पालन, नमक, खनिज और कीमती पत्थरों के अलावा इस खारे पानी को पीने या फिर सिंचाई के योग्य बनाने पर भी शोध हो रहे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल यात्रा के दौरान समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के प्रयोग को देखकर आये हैं। अब एनआईओ इस पर काम कर रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि समुद्र से तेल, गैस और अन्य ईंधन का बड़ा कारोबार शुरू हो चुका है।

वैज्ञानिक के अनुसार समुद्री पदार्थों की खोज और शोध में आज इतनी चीजें मिली हैं कि उनके जरिये कैंसर, अस्थमा, अलजाइमर जैसी तमाम बीमारियों को ठीक करने में काम आने वाली दवा बनायी जा रही है। उन्होंने विभिन्न शैवाल, स्पॉज और अन्य समुद्री जीव-जंतुओं की जानकारी देते हुए बताया कि कई दवा कंपनियां और समुद्री विज्ञान से जुड़े लोग लगातार इस दिशा में शोध कर रहे हैं।

सरकार द्वारा इस क्षेत्र में पहल

सरकार द्वारा इस क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ गहरे समुद्री खनन, पानी के नीचे के वाहनों, पानी के नीचे रोबोटिक्स और महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं के लिये प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

विदित हो कि समुद्र की गहराई स्थान विशेष के हिसाब से है, कहीं ज्यादा और कहीं कम। हाल ही मे इस संदर्भ में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने गहरे महासागर का अन्वेषण करने के लिए डीप ओशन मिशन (डीओएम) की एक रूपरेखा का अनावरण किया। इसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गहरे महासागर में अन्वेषण को बढ़ाना है। इसमे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक राव साहब का योगदान भी उलेखनीय रहा है। वे पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले समुद्र की गहराई में उतरकर कई सैंपल लिये।

इस के तहत केंद्र ने पाँच साल की योजना बनाई है और समुद्र तथा उसके संसाधनों का पता लगाने के लिए 8000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अब गहरे पानी में उपस्थित तत्वों, गैस, तेल, खनिज पदार्थों, कीमती पत्थरों आदि की खोज पर काम तेज हुआ है। उम्मीद है कि यह भविष्य में आय का सबसे बड़ा स्रोत साबित होगा।

खनिज पदार्थों की निकासी के लिये पहली बार समुद्र में खनन की नयी तकनीक विकसित की गयी है। भारत जहां हिंद महासागर में काम कर रहा है वहीं फ्रांस, रूस, जापान, चीन, जर्मनी, कोरिया जैसे देश प्रशांत महासागर में समुद्र के संसाधनों को खोजने के अभियान में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो कुछ कंपनियाँ भी इसमें आगे आयी हैं।

इस मिशन के तहत प्लेटिनम, मैग्नाइट, जिरकोन, गार्नेट, कोर्नेडम, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, इल्मेनाइट, आदि भंडारों का पता लगाया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट कहा जा सकता है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय पॉलिमेटालिक मोड्यूल कार्यक्रम के अंतर्गत नोड्यूल खनन के लिए सीएसआईआर-एनआईओ द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन, सीएसआईआर-नेशनल मेटालर्जिकल लैबोरेट्री और सीएसआईआर- खनिज एवं धातु प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा धातु निष्कर्षण प्रक्रिया विकास और राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा खनन प्रौद्योगिकी विकास का अध्ययन किया गया है।

पृथ्वी विज्ञान की ओ-स्मार्ट योजना

सरकार द्वारा इस क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक व्यापक योजना 'महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान (O-SMART) को अपनी मंजूरी दी। इस योजना की कुल लागत 1623 करोड़ रुपए है और यह योजना 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान लागू रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत महासागर के विकास से जुड़ी 16 उप-परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बातें

- ओ-स्मार्ट के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं से तटीय और महासागरीय क्षेत्रों के अनेक क्षेत्रों जैसे- मत्स्य पालन, समुद्र तटीय उद्योग, तटीय राज्यों, रक्षा नौवहन, बंदरगाहों आदि को आर्थिक लाभ मिलेगा।
- वर्तमान में पांच लाख मछुआरों को मोबाइल के जरिए रोजाना सूचना मिलती है, जिसमें मछली मिलने की संभावनाएं और समुद्र तट में स्थानीय मौसम की स्थिति की जानकारी शामिल है। इससे मछुआरों का तलाशी वाला

समय बचेगा जिसके परिणाम स्वरूप ईंधन की बचत होगी।

- ओ-स्मार्ट के कार्यान्वयन से सतत विकास लक्ष्य-14 से जुड़े मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी, जिनका उद्देश्य महासागरों के इस्तेमाल, निरंतर विकास के समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है।
- यह योजना (ओ-स्मार्ट) नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी पृष्ठभूमि प्रदान करेगी।
- ओ-स्मार्ट योजना के अंतर्गत स्थापित आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, सुनामी, झंझावात जैसी समुद्री आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने में मदद करेंगी।
- इस योजना के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियाँ भारत के आस-पास के समुद्रों से विशाल समुद्री सजीव और निर्जीव संसाधनों को उपयोग में लाने में मदद करेंगी।

भारत के समक्ष चुनोतियाँ

1. समुद्र की सीमा तो अथाह है। लगभग सभी देशों के हिस्से समुद्र आता है फिर भी समुद्र में हिस्सेदारी की लड़ाई होती रही है। हर समुद्र में एक निश्चित दूरी तक संबंधित देश का अधिकार होता है। उसके बाद हर समुद्र में एक क्षेत्र ऐसा भी होता है जहां शोध जैसे कामों के लिए दुनिया के किसी भी देश की एंट्री हो सकती है। हालांकि इस इलाके में सिर्फ शोध कार्य ही हो सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि बावजूद इसके विवाद बना रहता है। उदाहरण स्वरूप दक्षिण चीन सागर मामले में चीन और अन्य देशों का मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक भी गया है। वही भारत के हालात भी इस मामले में कुछ खास अच्छे नही है।

   पश्चिमी देशों ने जहां प्रशांत महासागर पर अधिक ध्यान दिया है, वहीं चीन का जोर हिंद महासागर पर है। हिंद महासागर खनिजों से भरा पड़ा है और उसका कम दोहन हुआ है। विदित हो कि दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की खोज के लिए 2011 में आइएसए के साथ सीओएमआरए का करार हुआ था। यह इस विशाल दक्षिणी इलाके में पहला करार था। कुछ भारतीय रणनीतिकारों ने इसे भारत के बिल्कुल बगल में चीन की चढ़ाई की शुरुआत के तौर पर देखा था। उल्लेखनीय है कि 2005 में चीन ने दुनिया भर का सर्वे किया था और वह इस राय पर पहुंचा कि दूसरे समुद्रों की तुलना में हिंद महासागर में मौजूद खनिज संसाधनों की गुणवत्ता ऊंचे स्तर की है। ऐसे में चीन समुद्र की गहराइयों में उतरने के अपने कार्यक्रम को जरा भी धीमा नहीं होने देना चाहता है। हलाकि चीन प्रतिस्पर्धा की संभावना को कम अहमियत देते हुए भारत के साथ सहयोग करने की बात कह रहा है लेकिन भारत इस मामले में अतीत से सबक लेते हुए सचेत भी है।
2. गहरे खनन के लिए, समुद्र तल से सतह तक सामग्री लाने के लिए काफी चुनौती है। इसके लिए जिस सामग्री को पंप करने की जरूरत है वह न केवल भारी होती है, बल्कि उसमें बहुत घर्षण भी होता है। वहीं दूसरी ओर इस भारी और घर्षण सामग्री पंप करने के चलते समुद्र की सतह के नीचे भारी मशीनरी के लिए एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। महासागर में इतनी गहराई से काम करने के लिए मशीनरी प्राप्त करने के इंजीनियरिंग के अलावा, कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है।
3. किसी भी खनन ऑपरेशन के साथ, पर्यावरणीय चिंताओं को उठाया जाता है चूँकि स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र इससे गहरे तौर पर प्रभावित होता है। पर्यावरणविद् का मानना है कि ठीक इसी तरह कि भारी खनन गतिविधियाँ समुद्री जीवन के महत्वपूर्ण आवासों को बाधित करेगी। हरित समूहों ने फलते-फूलते समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावित होने की चिंता और चेतावनी जाहिर की है। 2011 में शुरू हुआ डीप सी माइनिंग कैंपेन कहता है कि खनन और दोहन का यह काम गहरे समुद्र के अनूठे और अल्पज्ञात पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की विनियामक व्यवस्थाओं या संरक्षण क्षेत्रों की गैर-मौजूदगी में किया जा रहा है।

   15 मई को कैंपेन ने सीबेड अथॉरिटी को एक नोट सौंपा, जिसमें कहा गया कि खनिज भंडारों के पास रहने वाले मूल निवासियों की सहमति और पारिस्थितिकी तंत्रों पर खनन के प्रभाव के बारे में जरूरी रिसर्च के बगैर दोहन की इजाजत न दी जाए।
4. वर्तमान मुख्य चिंताओं में से एक बड़े खनन उपकरण के परिणामस्वरूप भारी अशांति का होना है, जो लंबी दूरी पर तलछट तक असर करेगा। धीरे-धीरे जीवन को परेशान करेगा। भय यह है कि इस पारिस्थितिक तंत्र में बाधा उत्पन्न करने से श्रृंखला के नीचे कई और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाली श्रृंखला की प्रतिक्रिया हो सकती है। इस संदर्भ में अत्यधिक अशांति कोई मुद्दा नहीं है। गहरे समुद्र की ड्रेजिंग परियोजनाओं के लिए कहीं अधिक पर्यावरण सुरक्षित है।
5. वर्तमान में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर के मुकाबले ट्रोपिकल हिंद महासागर पर ग्लोबल वार्मिंग का असर ज्यादा पड़ रहा है। अर्थात् अंटार्कटिका में घुलनशीलता बढ़ेगी तो उसका असर हमारे समुद्रों पर पड़ना अवश्यंभावी है।

   ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के बढ़ते जल स्तर और उसके तापमान के बढ़ने को लेकर जहां दुनियाभर में एक ओर चिंता है तथा इसके लिये निरंतर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये विकसित और भारत जैसे विकासशील देशों में दबाव बढ़ रहा है उस स्थिति में समुद्र को राजस्व का स्रोत समझना भविष्य में नयी परेशानियाँ खड़ी कर सकता है जिसके समाधान के उपायों पर भी अभी से विचार करना होगा।

आगे कि राह

देश की बढ़ती जनसंख्या और जमीन पर कम होती संभावनाओं के बीच अब दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत ने भी समुद्री शोध से अधिक राजस्व हासिल करने के बारे में सोचना और उस पर काम करना अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल है जो ब्लू क्रांति को संभव बनाएगी। यहाँ ध्यान योग्य बात है कि ब्लू इकॉनोमी या समुद्री अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब है कि समुद्र में व्याप्त खनिज पदार्थों, गैस, तेल एवं अन्य उपयोगी तत्वों का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हो।

गहरे समुद्र में सर्वेक्षण का काम भले ही व्यापक स्तर पर हुआ हो, लेकिन अभी तक दुनिया के किसी देश ने गहरे पानी में खनन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। भारत दुनिया के उन आठ देशों में शामिल है, जिसे आईएसए ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में एक लाख 50 हजार वर्ग किलोमीटर में सर्वेक्षण का विशेष अधिकार दिया है जिसमें से 75 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भारत को

खनन की अनुमति होगी। यह भारत को अभूतपूर्व स्थिति प्रदान करती है। समुद्र तल में जिन कीमती खनिज पदार्थों की खोज की जा रही है उनमें अधिकतर ऐसे हैं जो भविष्य में धातुओं का विकल्प होंगे। इसमें प्लेटिनयम, मैग्नाइट, जिरकोन, रूताइल, इल्मेनाइट, गार्नेट, कोर्नेडम, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर आदि शामिल हैं। रत्नागिरी में इल्मेनाइट, केरल के समुद्र में मोनाजाइट और जिरकॉन तथा विशाखापत्तनतम में गार्नेट की प्रचुर मात्रा के भंडारों की पहचान की गयी है।

यहाँ सवाल यह भी है कि आखिरकार जमीन पर खनन से हो रही तबाही समुद्र के भीतर कितना नुकसान पहुंचायेगी। इस बारे में पूछने पर एनआईओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक राहुल शर्मा ने कहा, ''खनन करने से जमीन पर नुकसान होता है लेकिन समुद्र में खनन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होगी जहां पर खुदाई के बजाय तल में फैले खनिजों को एकत्र किया जाएगा। समुद्र में जीव-जन्तुओं पर खनन का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके कुछ प्रतिशत प्रभाव से इंकार भी नहीं किया जा सकता है।''

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।
- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

7. नीति निर्माण में व्यवहार विज्ञान की भूमिका

चर्चा का कारण

हाल ही मे ओईसीडी रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया भर के 202 संस्थान विकसित और साथ ही विकासशील देशों में सार्वजनिक नीति के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि लागू कर रहे हैं।ये संस्थान व्यावहारिक और सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ साझेदार हैं जो प्रभावी सार्वजनिक नीतियों को डिजाइन करने के लिए तथा मानव व्यावहार को समझने के लिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति को एक दूसरे से जोड़ते हैं।

गौरतलब है कि इनमे से अधिकतर संस्थान यू.एस., यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं जबकि कुछ पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में पाए जाते हैं।

पृष्टभूमि

व्यावहार विज्ञान को विज्ञान की वह शाखा (जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, या मानव विज्ञान) माना जाता है जो मुख्य रूप से मानव कार्यवाही से संबंधित है और अक्सर समाज में मानव व्यावहार के बारे में सामान्यीकरण करना चाहता है।

प्रभावी सार्वजनिक नीतियों को डिजाइन करने के लिए व्यावहार विज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उससे पहले भारत मे निति निर्माण को जानना जरूरी हो जाता है। दरअसल, नीति वह माध्यम या साधन है जिसके सहारे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के सामने आंतरिक और बाह्य कई तरह की समस्याएँ होती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए उन समस्याग्रस्त क्षेत्रों से संबद्ध नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। इस प्रक्रिया में सरकार के विभिन्न अंगों के साथ-साथ गैर सरकारी माध्यमों की भूमिका भी होती है। नीति निर्माण के लिए कई बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे-

- लोकनीति निर्माण की प्रकृति भविष्योन्मुखी होती है अतः इसके निर्माण के समय भविष्य की अनिश्चितताओं, आशंकाओं एवं समस्याओं का संभावित अनुमान लगाना पड़ता है।
- नीति-निर्माण का मुख्य चिंतन लोकहित की पूर्ति पर केंद्रित रहता है। अतः लोकनीति निर्माण के समय जनहित के विविध पक्षों को ध्यान में रखा जाता है।
- किसी देश की अर्थव्यवस्था, समाज, शासन तथा प्रशासन में उपलब्ध बहुत सारी उपसंरचनाएँ लोक नीति की संरचना को प्रभावित करती हैं।
- लोकनीति निर्माण सरकारी निर्णयों की परिणति कहलाती है
- स्वयं लोकनीति तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया परिवर्तनकारी होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज, सरकार एवं उसके पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। किसी एक पक्ष या स्थान का परिवर्तन, अन्य संबंधित आयामों को अवश्य प्रभावित करता है।
- लोकनीति निर्माण को एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है, चुँकि इसमें कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तत्व एवं आयाम सहसम्बद्ध होते हैं।

नीति बनाने में व्यावहारिक विज्ञान

व्यावहारिक विज्ञान की आवश्यकता नीति निर्माण में वर्तमान में आवश्यक हो गई है। दरअसल वर्तमान में सर्वे में यह बात सामने आयी है कि सरकार द्वारा तार्किक नीति व्यावहारिक धरातल पर नहीं आ पा रही है।

संवैधानिक स्थिति तो यही है कि विधायिका नीति-निर्माण करती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है लेकिन संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में यह अलगाव व्यावहारिक नहीं हो पाता क्योंकि संविधान में ही कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है। इतना ही नहीं इस व्यवस्था में विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं इसलिए नीति क्रियान्वयन में विधायिका की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। नीति-क्रियान्वयन में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर न्यायपालिका भी अपनी भूमिका निभाती है। गोरतलब है की नीति क्रियान्वयन मूलतः सरकार का दायित्व है लेकिन इसमें गैर-सरकारी अभिकरणों की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। इसमें विभिन्न तरह के एन.जी.ओ., दबावसमूह, मानवाधिकार संगठन, विभिन्न तरह के नागरिक संगठन इत्यादि को भी रखा जा सकता है लेकिन ऐसा कभी-कभार होता है। आम धारणा है कि नीतियाँ तो बेहद अच्छी होती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। अथाह धन खर्च करने के बावजूद भी अधिकांश योजनाएँ अपने लक्ष्यों व्यावहारिकता को प्राप्त नहीं कर पाई हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में नीति क्रियान्वयन में एक बड़ी चुनौती के साथ तालमेल न बैठा पाना है

नीति बनाने में व्यावहार विज्ञान रहित सरकारें क्यों हैं

सरकारों द्वारा किया गया नीति-निर्माण बड़ी संख्या में लोगों के व्यावहार को प्रभावित करता है। नीतियाँ मानव व्यावहार से तर्क संगत न होने के करण सही रूप में लागू नही हो पता है। उदाहरण के लिए, शौचालयों तक पहुंच के बावजूद, खुले में शौचालय एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस विरोधाभास का जवाब ढूंढने पर व्यावहारिक ढाँचे प्रासंगिक हो जाते हैं।

गौरतलब है कि अच्छी तरह से सार्वजनिक नीति कार्यक्रम उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है

जो उनसे लाभान्वित होते हैं। नीति के इरादे और सरकार की कार्रवाई के बीच अंतर को भरने के लिए, व्यावहार विज्ञान की आवश्यकता है। इसके सही रूप से व्यावहारिक धरातल पर क्रियान्वयन न होने के निम्न करण है-

त्रुटिपूर्ण नीतिः किसी भी नीति के क्रियान्वयन की प्रथम शर्त है उसका त्रुटिरहित होना। अगर नीति के बुनियादी स्वरूप ही दोषपूर्ण हो तो उसे क्रियान्वित करने में असंख्य बाधाएँ आएंगी। कई बार नीतियाँ बिना गहन अध्ययन एवं शोध के ही तैयार कर ली जाती हैं। इस संबंध में दूसरी बात यह है कि किसी भी नीति के पीछे एक सोच काम करती है। अगर उस सोच में ही बुनियादी कमी हो तो उसका असर नीति पर भी पड़ता है। नीति भी उस कमी की शिकार हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसे लागू करना बेहद जटिल हो जाता है और नीति भी अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती है। सरकारें प्रायः समस्याओं के ऊपरी कारणों पर ध्यान देती हैं उसके बुनियादी कारणों पर नहीं। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। नक्सलवाद देश में एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद बड़ा खतरा माना जा रहा है। इस समस्या से निबटने के लिए अबतक अत्यधिक संसाधन झोंके जा चुके हैं। बावजूद इसके नक्सल आंदोलन कमजोर पड़ने की अपेक्षा शक्तिशाली होता जा रहा है। इसका मूल कारण है कि सरकार इसे कानून एवं व्यवस्था की समस्या अधिक मानती है जबकि यह समस्या अधिकांश रूप से बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा एवं शोषण इत्यादि से जुड़ी है। इस प्रकार यह राजनीतिक-आर्थिक समस्या अधिक है और इससे दोनों मोर्चो पर निपटा जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि नक्सल समस्या से निपटने वाली नीति के पीछे सोच काम कर रही है और उसमें वर्तमान समय के अनुरूप व्यवाहारिक परिवर्तन किए बिना वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

जमीनी हकीकत का आभावः नीति क्रियान्वयन के व्यावहारिक मानव विज्ञान सम्मुख एक चुनौतीपूर्ण विषय है जिम्मेदार अधिकारियों का विशिष्ट वर्गीय चरित्र है। गौरतलब है कि लोकनीतियाँ तो आमजन के लिए बनाई जाती हैं और उन्हीं के लिए उनका क्रियान्वयन होता है लेकिन दुखद बात यह है कि जिन अधिकारियों के हाथ में इन नीतियों का क्रियान्वयन होता है वे जनता के सीधे संपर्क में नहीं होते। वे न तो जनता की भाषा और न उसका सामाजिक मनोविज्ञान समझते हैं। क्षेत्र विशेष की जनता के सामाजिक मनोविज्ञान को समझे बिना किसी भी नीति का क्रियान्वयन मुश्किल है। जनता की भावनाओं को न समझने के कारण कई बार अच्छी नीतियों को भी क्रियान्वित करना असंभव हो जाता है। इस समस्या को दूर करने हेतु व्यावहारिक धरातल पर पंचायती राज को सशक्त किया गया है और विकास के कई कार्य प्रत्यक्ष रूप से पंचायतों को सौंपे जा रहे हैं।

जागरूकता की कमीः जागरूकता के अभाव के कारण भी नीतियों का मानव व्यावहार के रूप में क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। कुछ मामलों में तो आम जनता को योजनाओं का पता ही नहीं चलता। जनता के अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहने से क्रियान्वयन अभिकरण गैर-जिम्मेदार हो जाते हैं। वे नीति का क्रियान्वयन मनमाने तरीके से करते हैं या उसे मात्र कागजी कार्रवाई तक सीमित कर देते हैं। किसी भी नीति के क्रियान्वयन के लिए एक जागरूक समाज का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि नीतियों से अंततः जनता ही प्रभावित होती है और उसे ही इसके प्रति सचेत होना होगा।

बुनियादी अवसंरचनाः नीतियों के निर्माण में व्यावहार संबंधी अंतर्दृष्टि कि एक और बड़ी बाधा नीतियों के अनुकूल बुनियादी ढाँचे का न होना भी है। यह अक्सर होता है कि नीतियों को बनाते समय और उन्हें लागू करते समय उस नीति के आवश्यक बुनियादी ढाँचे की चिंता नहीं की जाती जिसके कारण नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावी नहीं हो पाता या उसमें काफी देर लग जाती है। सुदूर गांवों में बिजली, सड़क, यातायात आदि जैसे बुनियादी ढांचे की बेहद कमी है। इस बात की अनदेखी करके कई बार नीतियाँ घोषित कर दी जाती हैं। उदाहरणार्थ, जिस गांव में सड़क और बिजली नहीं है वहां उसे टेलीफोन एक्सचेंज लगाकर टेलीफोन से जोड़ दिया जाता है। लेकिन बिजली के अभाव में इनका सुचारू रूप से काम करना लगभग असंभव है। इसी तरह कई और मामले होते हैं। जमीनी हकीकत को परखे बिना नीतियों का निर्माण नही किया जा सकता।

सामाजिक मानदंडः भारत जैसे विशाल देश में, सामाजिक मानदंड इतने स्थानीय रूप से विशिष्ट हैं कि केंद्र से व्यापक नीतियाँ अप्रभावी होने की संभावना होती है। ऐसे में व्यावहारिक टीम को स्थानीय विशिष्टताओं को पूरा करने के लिए एक लचीला सार्वभौमिक दृष्टिकोण के माध्यम से कार्य करना होगा।

विशिष्ट वर्गों की अवरोधक भूमिका

नीति निर्माण में व्यावहार संबंधी अंतर्दृष्टि की कमी का एक अन्य करण अभिजात वर्ग है। यह अभिजात वर्ग सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। समाज का यह तबका तमाम सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का फायदा खुद ही हड़प लेता है और उसे निचले तबकों तक पहुंचने ही नहीं देता। विकास संबंधी अधिकांश योजनाओं पर इन्हीं तबकों का वर्चस्व होता है। इसमें इनके साथ संबंधित अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है। यह बात ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि विभिन्न कारणों से ग्रामीण विशिष्ट वर्ग निर्णायक स्थिति में रहता है। गरीबों के नाम पर चलने वाली तमाम योजनाओं का वह अपने पक्ष में प्रयोग कर लेता है और गरीबों की स्थिति में सुधार नहीं आ पाता।

आंतरिक समस्याः भारत में नीति निर्माण व्यावहार संबंधी मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा एवं चुनौती देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति है। देश के आतंकवाद और नक्सल प्रभावित किसी भी क्षेत्र में कोई भी नीति ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाती। इन क्षेत्रों में कोई अधिकारी या कर्मचारी जाने से कतराता है। वस्तुतः आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित वही क्षेत्र हैं जो विकास की दृष्टि से बेहद पिछड़े हैं।

अपर्याप्त समयः नीति निर्माण पर अपर्याप्त समय देने से मानव के व्यावहारिक रूचि को परखने में कमी आ जाती है जिससे योजना के विफलता की दर बढ़ जाती है।

कमजोर परामर्श प्रक्रियाः अक्सर लोक नीति सरकार के बाहर के पर्याप्त आगत को शामिल किए बिना बना ली जाती है और न ही इनमें शामिल मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा की जाती है। अधिकतर क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ सरकार की पहुँच से बाहर होते हैं। अभी भी सरकार की नीति प्रक्रिया एवं व्यवस्था में बाहरी आगतों को प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थागत तरीका नहीं है, न ही जो इस नीतियों से प्रभावित होने वाले हैं या विकल्पों पर चर्चा और विभिन्न समूहों पर उनके प्रभावों पर विचार किया जाता है।। हालांकि, जब वास्तविक नीति-निर्माण और कार्य की बात होती है तो इसे बुद्धिमान, बेहतर सूचना वाले व्यक्ति द्वारा बनाया गया बताया जाता है। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय योजना आदि। दरअसल इसके व्यावहार में न आने का कारण इन नीतियों के निर्माता द्वारा आम-जन का मर्म न पहचान पाना है।

नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन के बीच अंतर्व्याप्ति: भारत के मंत्रालयों में नीति-निर्माण, निदेशक और ऊपर के स्तर पर घटित होता है, जबकि बेहद महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार के सचिव स्तर पर लिया जाता है, जो उनके मंत्रियों के मुख्य नीति-परामर्शक होते हैं। इस प्रकार नीति-निर्माण में नागरिकों की जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे समस्याएं उत्पन्न होती है।

नीति निर्माण में मानव व्यावहार विज्ञान लागू करते समय निम्न बातो पर विचार किया जा सकता है

नीति बनाने में व्यावहार विज्ञान को लागू करने से भारत मे न सिर्फ नीतियों का सही कार्यान्वयन होगा बल्कि कई भावी लाभ भी होगा। इसके लिये नीति निर्माण करते समय निम्न बातो पर ध्यान देना होगा -

- प्रभावी और निरंतर परिणामों को उत्पन्न करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों को किया जाना चहिए जैसे कि पीईएनएन सोएन एनजीओ द्वारा खुले शौचालय के खिलाफ काम करने का प्रयास।
- ठीक इसी तरह बिहार में किया गया प्रयास, फ्रंट लाइन श्रमिकों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लोकप्रिय 'अनुष्ठान' को ध्यान में रखा जा सकता है। सांस्कृतिक रूप से कार्य संदेशों को प्रेषित करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों पर व्यावहार विज्ञान लागू किया जाना।
- सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में व्यावहार विज्ञान की प्रकृति सार्वजनिक सेवा कार्यक्रमों को प्रभावी और निरंतर परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम बना सकता है।
- शौचालय के उपयोग को निरंतर आदत में बदलने के लिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सामाजिक उपायों के साथ खुले शौचालय और संबंधित व्यावहार बदलने तथा सामाजिक प्रेरकों का विश्लेषण करने के लिए तमिलनाडु और बिहार में अनुसंधान चल रहा है। इस तरह के और भी अनुसन्धान को प्रोत्सहन दिया जा सकता है।
- एक व्यावहार संबंधी अंतर्दृष्टि दृष्टिकोण से एकत्रित और मूल्यांकन किए गए डेटा का उपयोग कार्यक्रम प्रदर्शन के बेहतर प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।
- सरकारी नीति के क्रियान्वयन के इरादे से कार्य अंतराल को कम किया जा सकता हैं।
- नीति पालन हस्तक्षेप के व्यावहार जीवन में निरंतर प्रभाव के लिए गरीब तक सूचना को संचार के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, सरकार द्वारा मोबाईल सेवा किल्कारी, गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के बारे में मुफ्त, साप्ताहिक और समय-उपयुक्त ऑडियो संदेश सीधे परिवार के मोबाइल फोन पर पहुँच जाती है। यह स्वास्थ्य सेवाओं के उत्थान में सुधार पर केंद्रित है।
- कार्यक्रम प्रदर्शन को मापते समय व्यावहार का कठोर मूल्यांकन अक्सर याद किया जाता है, और अक्सर यह लापता डेटा अच्छी तरह से इच्छित सरकारी कार्यक्रमों के सीमित प्रभाव की व्याख्या करने में मदद कर सकता है
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए प्रभावशाली काम, डिशा डैशबोर्ड के माध्यम से राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी पर, जमीनी स्तर पर व्यावहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है जबकि डिशा में व्यावहार पर उपायों को शामिल नहीं किया गया है। यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मापता है एवं यह दिखाता है कि नीति निर्णय लेने में व्यावहार संबंधी अंतर्दृष्टि के उपयोग से भारत कैसे लाभ उठा सकता है।
- इस प्रकार मानव व्यावहार संबंधित नीतियाँ यादृच्छिक नियंत्रित, एवं सर्वोत्तम रणनीति चुनने, त्रुटियों को पहचानने और बहुत सारा पैसा बचाने में मदद कर सकते हैं।

आगे की राह

इस प्रकार स्पष्ट है की नीति निर्माण में व्यावहार संबंधी अंतर्दृष्टि के मूल्यांकन इस बात का पता लगाता है कि जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए नीतियों की शुरुआत हुई उसमें नीतियों को व्यावहारिक मानव विज्ञान स्तर पर लागू करने की कितनी जरूरत है तथा सरकार इसमें कहाँ तक सफल हुई है।

आज दुर्भाग्य यह है कि कई दशक बाद भी लोकनीति की समस्त प्रक्रिया से समाज का बहुलाभांश गायब है। आज भी नीति-निर्माण प्रक्रिया में उन वंचित तबकों के लिए कोई जगह नहीं है। यह विडंबना ही है कि जो तबका नीतियों से सर्वाधिक प्रभावित होता है और जिसके लिए अधिकांश नीतियाँ बनाई जाती हैं, वही इस नीति-निर्माण प्रक्रिया से बाहर है। लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी को दर किनार कर बनाई गई नीति कभी कारगर नहीं हो सकती। यदि नीतियों की सफल एवं प्रभावी बनाना है तो इसके लिए नीति-निर्माताओं को इस प्रक्रिया में मानव व्यावहारिक विज्ञान का ध्यान रखते हुए बहुसंख्यक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-4

- अभिवृत्ति: विषय-वस्तु, संरचना, प्रकार्य; विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध; नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति; सामाजिक प्रभाव और धारण।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

सांसद और विधायक की वकालत रहेगी जारी

प्र. ''हाल ही में दिये अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एम.पी., एम.एल.ए. और एम.एल.सी. कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस कर सकते हैं।'' इस कथन के संदर्भ में सांसदों या विधायकों का कोर्ट में प्रैक्टिस करना क्या न्यायपालिका या संसद की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है? समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का करण
- पृष्ठभूमि
- विपक्ष में तर्क
- पक्ष में तर्क
- सुप्रीम कोर्ट का मत
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में सांसदों और विधायकों द्वारा कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस करने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारीज कर दिया है।
- अब एम.पी.ए एम.एल.ए. और एम.एल.सी. कोर्ट में बतौर वकील प्रौक्टिस कर सकेंगे।

पृष्ठभूमि

- दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में वकील श्री अश्विनी उपाध्याय ने सांसदों और विधायकों को कानूनी प्रैक्टिस से रोकने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को पत्र लिखा।
- उपाध्याय ने इस बार सुप्रीम कोर्ट का 1994 में आया निर्णय का हवाला दिया जिससें प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को कोर्ट ने कहा कि, वो तब तक वकालत के योग्य नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो डॉक्टर के पद से इस्तीफा न दे दें।

विपक्ष में तर्क

- यदि कोई व्यक्ति सांसद या विधायक या मंत्री रहते हुए किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो वो फैसले को प्रभावित कर सकता है।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 49वें नियम में कहा गया है कि कोई भी पूर्ण कालिक वेतनभोगी कर्मचारी, चाहे वह किसी निगम, निजी कंपनी या सरकार से संबंधि हो, अदालत के समक्ष वकील के रूप में अभ्यास नहीं कर सकता है।

पक्ष में तर्क

- विशेषज्ञता के संदर्भ में भी संसद विविधता का एक मंच होना चाहिए चाहे वो विविधता विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों से ही क्यों न हो क्योंकि विविधता होने से नीतियों में भी विविधता आती है।
- इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखे गए है जो पेशे से वकील होते हुए भी जनता के प्रभावी और लोकप्रिय प्रतिनिधि भी शाबित हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का मत

- हाल ही मे दिये अपने निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून-निर्माताओं को पूर्ण कालिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस परिस्थिति में नियोक्ता और कर्मचारी जैसा कोई संबंध नहीं है।
- सदन के अध्यक्ष द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक या विशेषाधिकार के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

निष्कर्ष

- जिस प्रकार से भारत विविधताओं वाला देश है ठीक उसी प्रकार संसद में भी विविधता होनी चाहिए (जैसे इंजिनियर, डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता) क्योंकि विविधता से ही नीति निर्माण में विविधता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। हाँलाकि इस बात का अवश्य ध्यान रखने की जरूरत है कि आपराधिकरण वृत्ति के एम.पी., एम.एल.ए. भी इसी वर्ग में शामिल न हो जाएं। ■

नीति आयोग : पूर्ववर्ती संस्था से कितना अलग

प्र. ''विकास की नई आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए गठित 'नीति आयोग' का उद्देश्य देश का तीव्र विकास है।'' इस कथन के संबंध में नीति आयोग के प्रमुख कार्यों एवं चुनौतियों का वर्णन करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- संदर्भ
- पृष्ठभूमि
- नीति आयोग किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है
- नीति आयोग के उद्देश्य
- नीति आयोग की संरचना
- आलोचना
- आगे की राह

संदर्भ

- 1 जनवरी 2015 को स्थापित नीति आयोग या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना सरकार के विचार मंत्र (थिंक-टैंक) के रूप में कार्य करने के लिए की गई है।
- यह संस्था केन्द्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाती है इसके साथ ही यह राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करती है और भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में प्रगति का अनुवीक्षण करती है। यह संस्था केन्द्रीय और राज्य सरकारों को नीति के प्रमुख घटकों के संबंध में सुसंगत कार्यनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करती है।

पृष्ठभूमि

- योजना आयोग का गठन एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके लगभग 65 वर्षों के बाद देश ने अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था से उभरते वैश्विक परिदृश्य की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्वयं को परिवर्तित किया है।
- शासन संरचना के संदर्भ में हमारे देश की जरूरतें बदली हैं ऐसे में एक ऐसे संस्थान की स्थापना की आवश्यकता थी जो सरकार के दिशात्मक और नीति निर्धारक थिंक टैंक के रूप में कार्य करे। नीति आयोग प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण के प्रमुख तत्वों के बारे में महत्वूपूर्ण और तकनीकी सलाह देगा।

नीति आयोग किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है

- योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर यह है कि इससे केन्द्र की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा।
- नीति आयोग ने लोगों के विकास के लिए नीति बनाने के लिए विकेन्द्रीकरण (सहकारी संघवाद) को शामिल किया है।
- इसके आधार पर केन्द्र के साथ-साथ राज्य भी योजनाओं को बनाने में अपनी राय रख सकेंगे।
- योजना आयोग में सशक्त राष्ट्र से सशक्त राज्य की कल्पना की गई थी, अर्थात इसमें केंद्रीकरण की भावना कूट कूट कर भरी पड़ी थी।

नीति आयोग के उद्देश्य

- यह राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा।
- सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और क्षेत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा।

नीति आयोग की संरचना

- भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
- इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा विधान सभाओं वाले राज्यों सभी केन्द्रशासित प्रदेशों तथा दिल्ली और पुदुचेरी तथा अन्य केन्द्रशासित प्रदेशों के उप राज्यपाल शामिल हैं। एक मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी।
- पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा निम्नलिखित हैं-
  - **उपाध्यक्षः** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
  - **सदस्यः** पूर्णकालिक, आंशकालिक
  - **पदेन सदस्य**

आलोचना

- कुछ आलोचकों का मानना है कि विकास हेतु योजना बनाने में प्रतिमान के बिना भारत नए विचारों के साथ नहीं बदल सकता है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्धारकर्त्ता के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के आधारभूत और सामाजिक रूप से उन्मुख योगदान की प्रशंसा के बिना, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के गुणों का बखान करता है।
- देश के अधिकांश गरीबो का उत्थान कैसे हो? न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक रोजगार सुरक्षा के साथ एक सभ्य नौकरी कैसे प्राप्त की जा सके, इस संदर्भ में नीतिआयोग कोई व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत नहीं कर पाया है।

आगे की राह

- योजनाओं का और अधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।
- प्रशासन संरचना में बदलाव की आवश्यकता है।
- इसके उत्तरदायित्व का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर करना चाहिए।
- धन का व्यय अधिक नहीं होना चाहिए।
- नीति आयोग के पास आर्थिक सुधारों को लागू करने की स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानव विकास की अवहेलना नहीं होनी चाहिए जैसा कि लैटिन अमेरिकन देशों और अफ्रीका के देशों में हुआ। ■

आयुष्मान भारत : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखण्ड से आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजना की शुरूआत की है। ये योजना भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किस प्रकार बदलाव लायेगी? मूल्यांकन कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पी.एम. जन आरोग्य योजना क्या है?
- इस योजना की आवश्यकता क्यों?
- लाभ
- वैश्विक परिदृश्य
- चुनौतियाँ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखण्ड की राजधानी

रॉंची के प्रभात तारा मैदान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत की।

- इस योजना से करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी।

पी.एम. जन आरोग्य योजना क्या है?

- 50 करोड़ से ज्यादा लोगों (10.74 करोड़ परिवारों) को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली यह अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत सरकार देश भर में डेढ़ लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर विकसित करेगी।

इस योजना की आवश्यकता क्यों?

- देश की एक बड़ी आबादी गंभीर बिमारियों के इलाज का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं है।
- ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5.5 करोड़ लोग सिर्फ इसलिए गरीबी रेखा से नीचे पहुँच गए।

लाभ

- लाभार्थी परिवारों के लोग द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के तहत पैनल के अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से भर्ती हो सकते हैं।
- इस योजना के दायरे में गरीब, वंचित ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिकों की पेशेवर श्रेणियाँ आएंगी।

वैश्विक परिदृश्य

- अमेरिका और ब्राजील जैसे विश्व के अन्य देशों में भी नागरिकों के लिए प्रभावी स्वास्थ्य योजनाएं, कार्यक्रम और सुविधाएँ दी जाती हैं जिनका लाभ गरीबों के सेहत और हालात को सुधारना होता है। इस संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका, हॉगकॉग, फ्राँस, अमेरिक, ब्रिटेन आदि देशों के स्वास्थ्य क्षेत्रों की चर्चा करें।

चुनौतियाँ

- भारत में स्वास्थ्य सेवाएं किसी से छिपी नहीं हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थिति बदहाल है।
- देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का कुल 70 फीसदी निजी क्षेत्रों को जाता है।

निष्कर्ष

- वास्तव में आयुष्मान भारत या प्र. मं. जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है तथा इस योजना से स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक रूप से बदलाव आयेगा। ■

भारत मालदीव संबंधों की वर्तमान पड़ताल

प्र. हाल ही में संपन्न मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में लोकतंत्र के समर्थक मोहम्मद सोलिह की जीत हुई है, इस जीत को मालदीव में लोकतंत्र की वापसी मानी जा रही है। मोहम्मद सोलिह की जीत से भारत-मालदीव संबंधों में किस प्रकार बदलाव आयेगा मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- मालदीव में सत्ता परिवर्तन और भारत
- भारत के लिए मालदीव की महत्ता
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में संपन्न मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की जीत हुई है।
- यूरोपीय यूनियन ने अपने चुनाव प्रेक्षक वहाँ भेजने से इंकार कर दिया था, क्योंकि उसने यह पाया कि मालदीव इन चुनावों की मॉनिटरिंग की बूनियादी शर्तें पूरी नहीं करता।

वर्तमान परिदृश्य

- इस साल के फरवरी में यामीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को जेल में कैद कर दिया था।
- हिन्द महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन वैश्विक व्यापार और आधारभूत संरचना के निर्माण के जरिए मालदीव में भी तेजी से अपने पांव पसार रहा है।

पृष्ठभूमि

- 1965 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए है।
- मालदीव और भारत ने 1981 में व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये। दोनों ही देश शार्क के संस्थापक सदस्य देश है।

मालदीव में सत्ता परिवर्तन और भारत

- भारत की चिंता का कारण केवल यह नहीं था कि यामीन चीन को जरूरत से ज्यादा तवज्जों दे रहे थे, बल्कि यह भी था कि वह चरमपंथी तत्वों के प्रति नरमी बरत रहे थे।
- भारतीय नेतृत्व उसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि चीन हिन्द महासागर में अपना दखल बढ़ाता रहे।

भारत के लिए मालदीव की महत्ता

- भारत के लिए मालदीव आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक नजरिए से बेहद अहम देश है। क्योंकि मालदीव के समुद्री रास्ते से निर्बाध रूप से चीन, जापान और भारत को ऊर्जा की आपूर्ती होती है।
- पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद तथा वर्तमान राष्ट्रपति सहित विपक्ष का समर्थन करने वाली मालदीव की बड़ी आबादी चाहती है कि भारत और मालदीव के रिश्तों में फिर से मजबूती आये।

निष्कर्ष

- हाल ही में संपन्न मालदीव चुनाव में भारत समर्थक राजनीतिक दल की जीत हुई है इससे भारत-मालदीव संबंधों में नई मजबूती आने की

उम्मीद है लेकिन जिस तरह से चीन मालदीव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है उससे भारत को सर्तक भी रहने की जरूरत है। ■

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक और भारत

प्र. क्या आप को लगता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए व्यापार और उद्योग के निजि स्वामित्व में वृद्धि की जानी चाहिए? समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- आर्थिक स्वतंत्रता क्या है?
- आर्थिक स्वतंत्रता से लाभ
- आर्थिक स्वतंत्रताः वैश्विक परिदृश्य
- आर्थिक स्वतंत्रताः भारतीय परिदृश्य
- भारत और आर्थिक विकास
- भारत की निम्न रैंकिंग के कारण
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- वर्तमान समय में भारत लगातार विकास कर रहा है और नये मुकाम हासिल कर रहा है इसका एक बड़ा उदाहरण है कि भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में अपनी स्थिति में सुधार किया है भारत अब दो पायदान ऊपर चढ़कर 96वें स्थान पर पहुँच गया है।
- फ्रजर इंस्टिट्यूट करीब 100 देशों के शोध संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर यह वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है।

आर्थिक स्वतंत्रता क्या है?

- आर्थिक स्वतंत्रता स्वयं स्वामित्व की अवधारणा पर आधारित होता है इस स्व-स्वामित्व के कारण व्यक्तियों को यह चूनने का अधिकार होता है कि वे अपने जीवन को आकार देने के लिए अपने समय और प्रतिभा का उपयोग कैसे करें।

आर्थिक स्वतंत्रता से लाभ

- काटो एवं फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अनुसार जिन देशों में आर्थिक स्वतंत्रता पायी जाती है या कारोबारी माहौल होता है उन देशों में आय असमानता कम होती है। जीवन प्रत्याशा उच्च होती है, प्रतिव्यक्ति जीडीपी लगभग समान होती है तथा लिंग असमानता कम होती है आदि को दर्शाएँ।

आर्थिक स्वतंत्रता : वैश्विक परिदृश्य

- उल्लेखनीय है कि विश्व के देशों पर नजर डालें तो पड़ोसी देशों में से सिर्फ भूटान ही 73वें क्रम के साथ भारत से आगे है। सूची में नेपाल (102), श्रीलंका (106), चीन (108), बांग्लादेश (120), पाकिस्तान (132) और म्यांमार (151) वे क्रम के साथ भारत से पीछे है।

आर्थिक स्वतंत्रता : भारतीय परिदृश्य

- आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में दो पायदान चढ़ना भारत के लिए प्रशंसनीय हैं। यह कोई पहली बार नहीं है, भारत इस तरह के कई मूकाम हासिल कर चुका है। कुछ निम्न है- मानव विकास सूचकांक (130), ग्लोबल पीस इंडेक्स (57) मार्केट कैपिटेलाइजेशन (टॉप 10 की सूची में), ग्लोबल इंटरप्रेन्पोरसिप इंडेक्स (69), विश्व प्रतिभा रैंकिंग (51) ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (100) आदि की चर्चा करें।

भारत और आर्थिक विकास

- भारत ने पिछले दो-तीन दशकों से गरीबी में व्यापक रूप से कमी की है।
- ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूटशन के अनुसार वर्ष 2022 तक भारत में 20 मिलियन लोग गरीबी रेखा से उपर उठकर समाज के मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे।

भारत के निम्न रैंकिंग के कारण

- भारत में कानूनी प्रणाली अधिक जटिल है तथा यहाँ मुकदमों का भंडार है वहीं हाल संपत्ति के क्षेत्र में भी है।
- भारत में साउण्डमनी का उपयोग सही क्षेत्रों में न होना। जैसे लोगों के पास मौजूद धन या अर्जित मजदूरी/वेतन भत्तों मूद्रा स्फीति की भेंट चढ़ जाता है या स्वास्थ्य क्षेत्र में ही खर्च हो जाता है।

आगे की राह

- भ्रष्टाचार पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने की जरूरत है, सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन उचित एवं प्रभावी तरीके से किये जाने की आवश्यकता है।
- सिंगलविंडो क्लीयरेंस को बढ़ावा दिया जाए, आर्थिक क्षेत्र में विद्यमान कानून को नये सिरे से अवलोकन करने की जरूरत है। सरकारी हस्तक्षेप को कम करने की जरूरत है।

सी बेड माइनिंग : कलयुग का समुद्र मंथन

प्र. 'सी बेड डीप माइनिंग' से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके समक्ष चुनौतियों का वर्णन करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- सी बेड डीप
- सी बेड डीप माइनिंग का अर्थ
- सी बेड डीप माइनिंग का महत्व
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन की रूपरेखा का अनावरण किया।

सी बैड डीप माइनिंग का अर्थ

- गहरे समुद्र में उत्खनन की गतिविधियाँ जिसके माध्यम से समुद्र की गहराईयों में जमा हुई धातुओं, बहुमूल्य वस्तुओं व अन्य खनिज पदार्थो को प्राप्त किया जाता है।

सी बेड डीप माइनिंग का महत्व

- पिछले दशक से दुनिया में गहरे समुद्र में उत्खनन की गतिविधियों का नया चरण शुरू हुआ है। इसके लिए दो कारक जिम्मेदार है- पहला बहुमूल्य धातुओं की बढ़ती माँग और दूसरा भोजन। गहरे समुद्र का खनन इस संसाधनों की प्राप्ति की संभाना बढ़ाती है।

चुनौतियाँ

- पहली चुनौती समुद्र में हिस्सेदारी को लेकर संघर्ष।
- दूसरी चुनौती- खनन में प्रयोग होने वाली सामग्री अविश्वसनीय तथा शत्रुतापूर्ण वतावरण।
- तीसरी चुनौती- पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी चुनौतियाँ।
- चौथी चुनौती- ग्लोबल वार्मिंग संबंधित चुनौती।

आगे की राह

- देश की बढ़ती जनसंख्या और जमीन पर कम होती संभावनाओं के बीच दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत ने भी समुद्री शोध से अधिक राजस्व हासिल करने का यह प्रयास क्रांतिकारी कदम है जो ब्लू इकोनामी के साथ ब्लू क्रांति का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। ■

नीति निर्माण में व्यवहार विज्ञान की भूमिका

प्र. व्यवहार विज्ञान से आप क्या समझते है? नीति निर्माण में व्यवहार संबंधी अंर्तदृष्टि की कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके महत्व को बताइए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा के कारण
- व्यवहार विज्ञान का अर्थ
- व्यवहार संबंधी अंर्तदृष्टि कमी के कारण
- महत्व
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में आईसीडी़ रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया भर के 202 संस्थान विकसित और साथ ही विकासशील देशों में सार्वजनिक नीति के लिए व्यवहारिक अंर्तदृष्टि लागू कर रहे हैं।
- व्यवहार विज्ञान का अर्थ- व्यवहार विज्ञान को एक शाखा है जो मुख्य रूप से मानव कार्यवाही से संबंधित है और अक्सर समाज में मानव व्यवहार के बारे में सामान्यीकरण करना चाहता है। प्रभावी सार्वजनिक नीतियों को डिजाइन करने के लिए व्यवहार विज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

व्यवहार संबंधी अंतदृष्टि में कमी के कारण

- सरकारों द्वारा नीति-निर्माण बड़ी संख्या में लोगों, कभी-कभी लाखों लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है। लेकिन नीतियाँ मानव व्यवहार से तर्क संगत न होने पर सही रूप से लागू नही हो पाता है। इसके सही रूप से व्यवहारिक धरातल पर क्रियान्वयन न होने के निम्न कारण है-
  - त्रुटिपूर्ण नीति
  - जमीनी हकीकत का अभाव
  - जागरूकता की कमी
  - बुनियादी अवसरंचना
  - विशिष्ट वर्गो की भूमिका
  - आंतरिक सुरक्षा समस्या
  - अपर्याप्त समय
  - कमजोर परामर्श प्रक्रिया

व्यवहार विज्ञान का महत्व

- सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में व्यवहार विज्ञान की प्रकृत्ति सार्वजनिक सेवा कार्यक्रमों में प्रभावी और निरंतर परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम बन सकता है।
- एक व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि से एकत्रित और मूल्यांकन किए गए डेटा का उपयोग कार्यक्रम प्रदर्शन के बेहतर प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।

आगे की राह

- यह विडंबना ही है कि जो तबका नीतियों से सर्वाधिक प्रभावित होता है और जिसके लिए अधिकांश नीतियाँ बनाई जाती हैं वही इस नीति-निर्माण प्रक्रिया से बाहर है। यदि नीतियों की सफल एवं प्रभावी बनाना है तो इसके लिए नीति निर्माताओं को इस प्रक्रिया में मानव व्यवहारिक विज्ञान का ध्यान रखते हुए बहुसंख्यक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

Dhyeya IAS Now on WhatsApp

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending

"Hi Dhyeya IAS" Message on 9355174440.

You can also join Whatsapp Group through our website

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. नीति आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य समझौता

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के साथ 2018-2022 के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क पर 28 सितंबर 2018 को हस्ताक्षर किये। इस समझौते के तहत सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और भारत में संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय संयोजक यूरी अफान्सिव ने एक समारोह में फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किये। इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार भी मौजूद थे।

फ्रेमवर्क में भारत सरकार और भारत में संयुक्त राष्ट्र के दल के बीच विकास में सहयोग की रणनीति तय की गयी है जिससे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसमें 'गरीबी एवं शहरीकरण', 'स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता', 'शिक्षा', 'पोषण एवं खाद्य सुरक्षा', 'जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और आपदा से निपटने की तैयारी', 'कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सृजन' तथा 'लैंगिक समानता एवं युवा विकास' पर फोकस होगा। फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के लिए कुल 11,000 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान है जिसमें 47 प्रतिशत क्रियान्वयन के दौरान निजी तथा सरकारी क्षेत्र समेत विभिन्न स्रोतों से जुटाया जायेगा। इसमें कम आय वाले सात राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र और नीति आयोग द्वारा चिह्नित अति पिछड़े जिलों पर फोकस किया जायेगा।

वर्ष 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगाँठ मनायी जानी है और इसलिए देश के विकास में 2018 से 2022 का काल महत्वपूर्ण है। इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क का महत्त्व और बढ़ जाता है। यह वर्ष 2022 तक 'न्यू इंडिया' के निर्माण को गति देगा। भारत और संयुक्त राष्ट्र की टीमें मिलकर गरीब, कमजोर तथा हाशिये पर स्थित तबकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा ताकि उन्हें देश के तेज आर्थिक विकास का लाभ मिल सके। ■

2. स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सुखोई से सफल परीक्षण

वायु सेना ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 26 सितंबर 2018 को देश में ही बनी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सुखोई-30 लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल दृष्टि सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम है। अस्त्र को सेना में शामिल किये जाने से पहले के अंतिम चरण के परीक्षणों का हिस्सा होने के कारण इस परीक्षण की सफलता को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अस्त्र मिसाइल को देश में ही निर्मित और विकसित किया गया है।

अस्त्र मिसाइल का परीक्षण

वायु सेना ने मिसाइल का अपने कलाईकुंडा स्टेशन से परीक्षण किया और मिसाइल ने हवा में तैर रहे लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। यह मिसाइल अपनी श्रेणी की हथियार प्रणालियों में श्रेष्ठ है और इसके 20 से भी अधिक परीक्षण किये जा चुके हैं। मिसाइल ने उच्च मारक क्षमता के साथ सफलतापूर्वक निशाना लगाया जो मिशन के लक्ष्य को पूरा करता है। अभी तक हुए परीक्षणों में अस्त्र को पूरी तरह सुखोई एसयू-30 विमान से दागा गया है। विमान परीक्षण इसलिए महत्व रखता है क्योंकि यह रक्षा बेड़े में शामिल किए जाने से पहले अंतिम परीक्षण का हिस्सा था।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और सहयोगी टीम सदस्यों के प्रयासों की सराहना की जो इस मिशन में शामिल थे। उन्होंने कहा कि उन्नत हथियार प्रणाली के स्वदेशी डिजाइन और विकास में भारत ने उच्च स्तर की क्षमता हासिल कर ली है।

अस्त्र मिसाइल की विशेषताएं

अस्त्र मिसाइल दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है। यह हवा से हवा में मार करने वाला भारत द्वारा विकसित पहला प्रक्षेपास्त्र है। यह उन्नत प्रक्षेपास्त्र लड़ाकू विमान चालकों को 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों पर निशाना लगाने और मार गिराने की क्षमता देता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रक्षेपास्त्र को मिराज 2000 एच, मिग 29, सी हैरियर, मिग 21, एच ए एल तेजस और सुखोई एसयू-30 एमकेआई विमानो में लगाने के लिए विकसित किया है। यह ठोस ईंधन प्रणोदक इस्तेमाल करती है। हालांकि डीआरडीओ इसके लिये आकाश प्रक्षेपास्त्र जैसी प्रणोदन प्रणाली विकसित करना चाहती है। प्रक्षेपास्त्र पराध्वनि गति से लक्ष्य विमान अवरोधन करने में सक्षम है। ■

3. ट्रिपल तालाक अध्यादेश

हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश का अनुमोदन किया है जिसके द्वारा ट्रिपल तलाक अथवा तलाके बिद्दत/बिद्दा को दंडनीय अपराध बना दिया गया है जिसके लिए तीन वर्ष की कैद हो सकती है। अध्यादेश इसलिए निकाला जा रहा है कि मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार सुरक्षा) विधेयक, 2017 लोक सभा में पारित होने के बाद राज्य सभा में अटक गया है।

अध्यादेश के प्रावधान

- ट्रिपल तलाक एक संज्ञेय अपराध होगा जिसके लिए अधिकतम तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता हैं
- तीन तलाक को तभी अपराध माना जाएगा जब औरत या उसका कोई 'रक्त संबंधी रिश्तेदार' पुलिस में शिकायत दर्ज करेगा।
- इस मामले में समझौता तभी होगा जब औरत इसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने राजी होगी।
- मजिस्ट्रेट जमानत तभी देगा जब पत्नी इसके लिए सहमति देगी।
- बच्चों का संरक्षण औरत के पास रहेगा।
- मजिस्ट्रेट द्वारा तय किये गये संधारण (maintenance) खर्च माता को देय होगा।
- यह कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है।

तीन तलाक क्या है?

- इस्लाम में तलाक के तीन प्रकार हैं- अहसान, हसन और तलाके बिद्दत (Teen Talaq)
- इनमें से अहसान और हसन तलाक वापस ली जा सकती है, परन्तु तलाके बिद्दा वापस नहीं होती है।
- ज्ञातव्य है कि तलाके बिद्दा 20 से अधिक मुस्लिम देशों, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित, में प्रतिबंधित हो चुका है।

ट्रिपल तलाक क्या है?

ट्रिपल तलाक अर्थात् तलाके बिद्दत में पुरुष एक बार में तीन बार तलाक शब्द बोलता है। वह फोन पर भी ऐसा कर सकता है अथवा इसके लिए SMS भी कर सकता है। इसके लिए वह तलाकनामा भी दे सकता है। ऐसी तलाक तुरंत और अटूट रूप से लागू हो जाती है भले पुरुष बाद में समझौता करना भी चाहे। ■

4. तमिलनाडु सरकार द्वारा नीलकुरिंजी पौधे के संरक्षण की घोषणा

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नीलकुरिंजी नामक पौधे के संरक्षण के लिए योजना की घोषणा की है। यह पौधा बारह वर्षों में एक बार खिलता है। हाल ही में सरकार को इस पौधे के फूलों की व्यापारिक बिक्री की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।

नीलकुरिंजी पौधा

यह एक किस्म का उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह पौधा पश्चिमी घाट के शोला वन में पाया जाता है। पूर्वी घाट में यह पौधा शेवरॉय पहाड़ियों में पाया जाता है। यह पौधा केरल में अन्नामलाई हिल्स और अगाली हिल्स तथा कर्नाटक के संदुरु हिल्स में पाया जाता है। इस पौधे की लम्बाई 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। यह पौधा 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर उगता है। नीलकुरिंजी के फूल बैंगनी-नीले रंग के होते हैं। इसमें 12 वर्षों में एक बार ही फूल खिलते हैं। इन फूलों के कारण ही पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत कहा जाता है। इसे दुर्लभ किस्म का पौधा घोषित किया गया है। यह पश्चिम घाट के अतिरिक्त विश्व के किसी दूसरे हिस्से में नहीं उगता। यह पौधा संकटग्रस्त पौधों की प्रजाति में शामिल है।

पौध-संरक्षण क्या होता है?

फसल-उत्पादन के लक्ष्य हासिल करने में पौध-संरक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पौध संरक्षण के महत्वपूर्ण घटकों में समन्वित कीट प्रबंधन को प्रोत्साहन, फसल पैदावार को कीटों और बीमारियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ज्यादा पैदावार देने वाली नई फसल प्रजातियों को तेजी से अपनाए जाने के लिए संगरोधन (क्वारन्टीन) उपायों को सुचारू बनाना शामिल है।

इसके अंतर्गत बाहरी कीटों के प्रवेश की गुंजाइश समाप्त करना और पौध-संरक्षण कौशल में महिलाओं को अधिकारिता प्रदान करने सहित मानव संसाधन विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। ■

5. महिलाओं के लिये सबरीमाला मंदिर के दरवाजे खुले

सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। 4:1 के बहुमत से हुए फैसले में पाँच जजों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि हर उम्र की महिलाएँ अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा वर्ष 1991 में दिये गए उस फैसले को भी निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने से रोकना असंवैधानिक नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- सबरीमाला मंदिर की सैकडों साल पुरानी परंपरा जिसमें 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिये मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था, पूरी तरह से असंवैधानिक है।
- देश की संस्कृति में महिलाओं का स्थान आदरणीय है। जहाँ एक ओर देवी के रूप में महिलाओं को पूजा जाता है वहीँ दूसरी ओर उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा है। धर्म के नाम पर इस तरह की पुरुषवादी सोच उचित नहीं है और उम्र के आधार पर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है।
- रजोनिवृत्ति जैसे जैविक और शारीरिक

विशेषताओं के आधार पर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना असंवैधानिक है। यह महिलाओं के समानता के अधिकार और उनकी गरिमा का उल्लंघन है।

- मंदिर में महिलाओं का पूजा करने का अधिकार समानता का अधिकार है, अत: महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार देना मौलिक अधिकार है।
- सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश करने से रोकना महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह मात्र था यह धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 'केरल हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल', 1965 (Kerala Hindu Places of Public Worship Rules, 1965) के नियम संख्या 3 (b) जो मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है को संविधान की कानूनी शक्ति से परे घोषित किया है।
- महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना अस्पृश्यता का एक रूप है जो कि संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है।

विशेष

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में एक गैर-लाभकारी संगठन 'इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन' द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्ष 2017 में मामले को पाँच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ के हवाले कर दिया था।
- धार्मिक आजादी का अधिकार और महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव तथा मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नलिखित प्रश्नों की जाँच की-
  - क्या शारीरिक बदलाव के चलते महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने की प्रथा लिंग आधारित भेदभाव तो नहीं है?
  - क्या 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को बाहर रखना अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक रीति-रिवाज का अभिन्न हिस्सा माना जा सकता है?
  - क्या धार्मिक संस्था अपने मामलों का प्रबंधन करने की धार्मिक आजादी के तहत इस तरह के रीति-रिवाजों का दावा कर सकती है?
  - क्या अयप्पा मंदिर को धार्मिक संस्था माना जाएगा, जबकि उसका प्रबंधन विधायी बोर्ड, केरल और तमिलनाडु सरकार के बजट से होता है?
  - क्या ऐसी संस्था संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3), 39(ए) और 51 ए(ई) के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए इस तरह के प्रचलन को बनाए रख सकती है?
  - क्या कोई धार्मिक संस्था 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश को 'केरल हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल', 1965 (Kerala Hindu Places of Public Worship Rules] 1965) के नियम संख्या 3 के आधार पर प्रतिबंधित कर सकती है?

निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर दिया गया फैसला ऐतिहासिक है। इस फैसले के माध्यम से न्यायालय ने न केवल समानता को धर्म से ऊपर रखा है बल्कि आधुनिक सोच वाले समाज में रूढ़िवादी सोच के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव को खारिज कर दिया है। ■

6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु "वायु" प्रणाली का शुभारंभ

राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण से निजात पाने की दिशा में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पहल की गई है, जिसके तहत दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए "वायु" नामक मशीनें लगाईं जायेंगी। काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च-नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-नीरी) की तरफ से विकसित विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिंग यूनिट (वायु) का केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा शुभारंभ किया गया।

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि 15 अक्टूबर तक दिल्ली के अलग-अलग चौराहों पर 54 एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। दिल्ली के चौराहों पर लगने वाले ये यंत्र 500 वर्गमीटर में हवा साफ करेंगे जबकि सीएसआईआर-नीरी भविष्य में 10 किलोमीटर तक की हवा साफ करने वाला यंत्र को विकसित करने पर काम कर रहा है। इस एयर प्यूरीफायर को 10 घंटे चलाने में सिर्फ आधा यूनिट बिजली और मासिक 1500 रुपए रखरखाव पर खर्च होंगे।

यह हवा साफ करने की एक मशीन है जिसे व्यस्त व प्रदूषित चौराहों पर लगाया जायेगा। यह धूल कणों को सोख लेगा तथा वायु यंत्र दो सिद्धांत पर काम करेगा। पहले, हवा में जो प्रदूषित कण है उसे सोखेगा। दूसरा, एक्टिव प्रदूषण उसमें से हटा देगा। ये यंत्र पर्टिकुलेट मैटर निकालकर उसमें कार्बन एक्टिवेट करेगा। यह जहरीली गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड को हवा से खत्म करेगा। इस यंत्र में 1 पंखा और 1 फिल्टर है जो पर्टिकुलेट मैटर को सोखेगा। दो लैंप और आधा किलो कार्बन चारकोल जिसमें टाइटेनियम डाईऑक्साइड केमिकल मिला होगा, वो भी यंत्र में होगा।

उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण पद्धति के अतिरिक्त नीरी ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को शवदाह गृहों में धुएं को रोकने के लिए स्क्रबर और ढाबों में इस्तेमाल के लिए एक खास तरह का तंदूर डिजाइन सौंपा है। यह शवदाह गृहों व ढाबों में होने वाले प्रदूषण को 40% तक कम करेगा। ■

7. केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने लिव-इन सम्बन्ध में रहने वाले व्यक्तियों को भारत से और भारत में बच्चों को दत्तक के रूप में लेने की अनुमति दे दी है। ज्ञातव्य है कि पहले CARA ने लिव-इन में रहने वाले व्यक्तियों को दत्तक ग्रहण से मना कर दिया था क्योंकि इसके अनुसार बच्चा उसी परिवार में गोद लिया जा सकता है जो एक स्थायी परिवार हो जबकि लिव-इन परिवार एक स्थायी परिवार नहीं होता है।

2017 के दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार यदि कोई विवादित जोड़ा बच्चा गोद लेना चाहता है तो उनका वैवाहिक जीवन कम से कम 2 वर्ष

स्थिर रखना आवश्यक है। आवेदकों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्थिर होना चाहिए क्योंकि उन्हें एक बच्चे का लालन-पालन करना है। जहाँ तक अकेली स्त्री अथवा अकेले पुरुष की बात है तो नियम यह है कि अकेली स्त्री बच्चा या बच्ची किसी को भी गोद ले सकती है जबकि अकेला पुरुष केवल बच्चे को ही गोद ले सकता है।

CARA (Central Adoption Resource Authority) क्या है?

- केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है।
- CARA देशांतरीय दत्तक ग्रहण विषयक 1993 की हेग संधि, जिसे भारत ने 2003 में अंगीकृत किया था, में CARA को ऐसे मामलों के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण घोषित किया गया था।
- CARA का मुख्य कार्य अनाथ, त्यक्त और समर्पित किये गये बच्चों के दत्तकग्रहण को विनियमित करना है।
- हेग संधि (Hague Convention) का कार्य बच्चों और उनके परिवारों को विदेश में अवैध, अनियमित, समय-पूर्व अथवा अविचारित दत्तक ग्रहण से रक्षा करना है।
- हाल ही में अवैध दत्तकग्रहण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि एक महीने के अन्दर वे सभी बाल देखभाल संस्थानों को पंजीकृत करें और उन्हें CARA से जोड़ दें।
- ज्ञातव्य है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2015 में यह प्रावधान है कि बाल देखभाल की सभी संस्थाएँ पंजीकृत की जाएँ और उन्हें CARA से जोड़ दिया जाए। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन

हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस माँग को दुहराया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक कन्वेंशन (Comprehensive Convention on International Terrorism – CCIT) होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि अभी कुछ हाल के ही वर्षों में शक्तिशाली देशों को आतंकवाद के खतरों का अनुभव हुआ है और उनका ध्यान इन खतरों की ओर गया है परन्तु भारत बहुत पहले से आतंकवाद का शिकार रहा है। उसने सदा आतंकवाद की निंदा की है चाहे उसका रूप कैसा भी क्यों न हो। भारत यह कहता आया है कि आतंकवाद का सामना करने के लिए एक सम्पूर्ण दृष्टिकोण और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत यह कहता आया है कि आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए कानूनी तंत्रों की रचना होना आवश्यक है। इसी संदर्भ में भारत ने 1996 में ही एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कन्वेंशन के लिए एक प्रारूप का प्रस्ताव दिया था।

CCIT क्या है?

CCIT एक प्रस्तावित संधि है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को अपराध घोषित करना तथा आतंकवादियों, उन्हें पैसा और समर्थन देने वालों को धन, हथियार और सुरक्षित अड्डे की सुविधा से वंचित करना है। भारत द्वारा इस विषय में 1996 में दिए गए प्रारूप का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया जाना अभी भी शेष है।

CCIT क्या चाहता है?

- आतंकवाद की एक सार्वभौम परिभाषा : अच्छा आतंकी अथवा बुरा आतंकी नहीं होता अर्थात् आतंकी आतंकी होता है।
- आतंकवाद में संग्लन सभी समूहों पर प्रतिबन्ध लगाना और उन्हें धन प्राप्त करने और सुरक्षित स्थान की सुविधा का लाभ उठाने से रोकना।
- सभी आतंकवादी समूहों (सीमा-पार समूहों समेत) पर मुकदमा चलाना।
- सीमा-पार के आतंक को ऐसा अपराध घोषित करना जिसके लिए अपराधी को दूसरे देश को सौंपने में कोई रुकावट न हो। इसके लिए हर देश अपने घरेलू कानूनों में आवश्यक संशोधन करे।
- CCIT में दक्षिण एशिया में पाकिस्तान द्वारा सीमा-पार के आतंकवाद को समर्थन दिए जाने का विशेष उल्लेख है। ■

2. हिन्द महासागर नौसैनिक सिम्पोजियम

मानवीय सहायता एवं आपदा राहत विषय से सम्बंधित हिन्द महासागर नौसैनिक सिम्पोजियम (Indian Ocean Naval Symposium – IONS) के कार्यसमूह की तीसरी बैठक विशाखापत्तनम स्थित नौसेना के पूर्वी कमांड के मुख्यालय में आयोजित हो रहा है।

IONS क्या है?

- IONS 21वीं शताब्दी का पहला महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सुरक्षा पहल है जिसका अनावरण फरवरी, 2008 में हुआ था। यह एक ऐसा मंच है जहाँ स्थानीय नौसैनिक समस्याओं पर विचार होता है और सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा दिया जाता है। वर्तमान में इसमें 24 सदस्य और 8 पर्यवेक्षक नौसेनाएँ शामिल हैं।
- यह पहल एक स्वैछिक पहल (voluntary initiative) है जिसका उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्र के समुद्र तटों वाले देशों को एक मंच पर लाना और आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान करना है।
- 2014 में अंगिकृत इस संस्था के कारोबार प्रलेख के अनुसार इसमें कई कार्यसमूह होते हैं जो इन विषयों से सम्बंधित हैं- मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR), सूचना सुरक्षा एवं सह-संचालन तथा समुद्री डकैती-प्रतिरोध (जिसे आजकल सामुद्रिक सुरक्षा कहा जाता है)। ■

3. विश्व वन्यजीव फाउंडेशन (WWF) Tx2 कार्यक्रम

नेपाल शीघ्र ही विश्व का ऐसा पहला देश बनने वाला है जहाँ बाघों की संख्या दुगुनी हो जायेगी। ज्ञातव्य है कि बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव फाउंडेशन (WWF) Tx2 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेपाल सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि नेपाल में जंगली बाघों की संख्या 235 हो गयी है, जबकि 2009 में यह संख्या 121 थी। विदित हो कि नेपाल को यह सफलता इसलिए मिली है कि वहाँ का शासन बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध था और साथ ही वहाँ इसके लिए नए-नए उपायों को अपनाया गया। Conservation Assured Tiger Standards (CATS) के द्वारा बाघों के संरक्षण के प्रबंधन के लिए वैश्विक मानकों तक पहुँचने वाला पहला देश होने का प्रमाणपत्र दिया गया था।

Tx2 कार्यक्रम क्या है?

विश्व वन्यजीव फाउंडेशन (WWF) ने 2010 में

सेंट पीट्सबर्ग में आयोजित व्याघ्र सम्मेलन में महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम **Tx2** का अनावरण किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2022 तक पूरे विश्व में बाघों की संख्या को दुगुना करना है। विदित हो कि चीनी पंचांग के अनुसार 2022 बाघों का वर्ष है।

Tx2 का उद्देश्य

- विश्व के नेताओं को बाघों के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाए।
- बाघों के संरक्षण के लिए रेंजरों को प्रशिक्षण दिया जाये और साथ ही बाघों के अवैध शिकार पर रोक लगाई जाये। इसलिए संरक्षण मानक (CATS) और तकनीक (SMART) विकसित किये जाएँ।
- अवैध वन्यजीव व्यापार पर लगाम लगाई जाए।
- मुख्य व्याघ्र स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- यह प्रबंध किया जाए कि भविष्य में बाघ और मनुष्य दोनों में संघर्ष की स्थिति न उत्पन्न हो।

ज्ञातव्य है कि बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव फाउंडेशन (WWF) Tx2 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेपाल सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि नेपाल में जंगली बाघों की संख्या 235 हो गयी है, जबकि 2009 में यह संख्या 121 थी।

विदित हो कि नेपाल को यह सफलता इसलिए मिली है कि वहाँ का शासन बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध था और साथ ही वहाँ इसके लिए नए-नए उपायों को अपनाया गया। Conservation Assured Tiger Standards (CATS) के द्वारा बाघों के संरक्षण के प्रबंधन के लिए वैश्विक मानकों तक पहुँचने वाला पहला देश

विश्व में बाघ कहाँ-कहाँ हैं?

जंगली बाघ केवल एशिया में ही पाए जाते हैं। एशिया में ऐसे 13 देश जहाँ बाघ हैं- बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम।

■

4. नासा का गुब्बारा अभियान

नासा (NASA) ने गुब्बारा अभियान (balloon mission) के दौरान खींचे गये छायाचित्रों का विश्लेषण करना आरम्भ कर दिया है। ज्ञातव्य है कि इस अभियान के तहत हाल ही में रात में चमकने वाले बादलों (noctilucent clouds) अथवा ध्रुवीय मध्य-वायुमंडलीय बादलों (polar mesospheric clouds – PMCs) के चित्र खींचे थे। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को वायुमंडल तथा समुद्रों, झीलों और अन्य ग्रहीय वायुमंडलों के क्षोभ को अधिक अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी।

गुब्बारा अभियान क्या है?

जुलाई 28 को नासा ने टर्बो अभियान में एक विशाल गुब्बारा छोड़ा था जो धरातल से 50 मील ऊपर स्थापित किया गया था। यह गुब्बारा पाँच दिनों तक समताप मंडल में स्वीडेन के Esrange से लेकर कनाडा के Western Nunavut तक आर्कटिक के ऊपर उड़ता रहा। इस दौरान गुब्बारे के ऊपर रखे कैमरों ने 60 लाख अत्यंत साफ (high resolution) चित्र खींचे जिनसे वायुमंडलीय क्षोभ की प्रक्रिया का पता चलता है।

ध्रुवीय मध्य-वायुमंडलीय बादल (PMCs) क्या हैं?

ध्रुवीय मध्य-वायुमंडलीय बादल (PMCs) गर्मियों में ध्रुवों के 50 मील ऊपर बनते हैं। ये हिमकणों के बने होते हैं और आकाश में फीकी रेखाओं के समान दिखते हैं। ये बादल सायंकाल में तभी दिखाई पड़ते हैं जब सूरज के किरणों के कारण इनका रंग तेज इलेक्ट्रिक नीला अथवा उजला हो जाता है।

ये बादल वायुमंडलीय गुरुत्व लहरों से प्रभावित होते हैं, जो वायु के संवहन के कारण एवं वायु के ऊपर उठने के कारण बनती हैं। वायु के ऊपर उठने का कारण कभी-कभी पर्वतीय श्रृंखलाएँ भी होती हैं। ये लहरें निचले वायुमंडल की ऊर्जा को मध्य वायुमंडल तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं।

■

5. CPEC पर चीन–पाक को मिला सऊदी अरब का साथ

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर सऊदी अरब भी पाकिस्तान और चीन के साथ आ गया है। सऊदी अरब ने तीन अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, इसके तहत वह रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रॉजेक्ट्स की फाइनैंसिंग करेगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बताया, 'प्रधानमंत्री इमरान खान की हालिया सऊदी अरब यात्रा में इन समझौतों पर बातचीत हुई थी।'

इन समझौतों पर सऊदी राजदूत और पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। मंत्री ने कहा, 'तीन अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए ही पहला कदम उठा लिया गया है। यह बेहद सकारात्मक कदम है और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की ओर बढ़ने की आधारशिला है।'

पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक फवाद चौधरी ने कहा, सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आएगा और इन तीन समझौतों को जमीन पर उतारने के लिए रियाद और इस्लामाबाद के बीच अहम बातचीत होगी। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता भी होगी। मंत्री ने कहा, पीएम की हालिया यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी नेताओं ने एक से दो दिन में ही इन समझौतों पर सहमति जता दी थी। जबकि ऐसे मसलों पर कई बार महीनों लग जाते हैं।

भारत विरोध क्यों कर रहा है?

भारत द्वारा इसका विरोध इस कारण किया जा रहा है क्योंकि यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र बलूचिस्तान से होते हुए जायेगा। यातायात और ऊर्जा का मिला-जुला यह प्रोजेक्ट

समंदर में बंदरगाह को विकसित करेगा जो भारतीय हिंद महासागर तक चीन की पहुंच का रास्ता खोल देगा। ग्वादर, बलूचिस्तान के अरब सागर तट पर स्थित है। पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम का यह हिस्सा दशकों से अलगाववादी विद्रोह का शिकार है, जबकि काशगर चीन के मुस्लिम बहुल इलाके शिनजियांग में स्थित है। आर्थिक गलियारा उन इलाकों से होकर गुजरेगा जो पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों के हमले की जद में आते हैं। इसी माहौल के कारण भारत को इस बात का डर भी है कि इस परियोजना के कारण भारत के आस-पास के क्षेत्र में अशांति फैलने का डर बना रहेगा। ■

6. ग्लोबल मीडिया कॉम्पैक्ट का गठन

ग्लोबल मीडिया कॉम्पैक्ट के गठन के लिए दुनिया भर से 30 से अधिक संगठन एक साथ सामने आए जिनमें भारत का सूचना-प्रसारण मंत्रालय भी शामिल है। टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रति जागरुकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल मीडिया कॉम्पैक्ट एक नई मुहिम है। वर्ष 2015 में दुनिया भर के नेताओं ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया था। इस लक्ष्य को पाने की खातिर कॉम्पैक्ट में दुनिया भर की मीडिया एवं मनोरंजन कंपनियों को प्रेरित करने और इनके संसाधान एवं रचनात्मक प्रतिभा का लाभ उठाने की बात कही गई है।

भारत का सूचना-प्रसारण मंत्रालय 30 से अधिक संस्थापक कॉम्पैक्ट सदस्यों में से एक है। नाइजीरिया के चौनल्स मीडिया ग्रुप की अध्यक्ष ओलूसोला मोमोह ने यहां संस्थापक मीडिया संगठनों की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर कहा कि एसडीजी मीडिया कॉम्पैक्ट समाचार एवं मनोरंजन मीडिया का एक गठजोड़ है और यह जनसंवाद को प्रोत्साहन देने तथा टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसडीजी मीडिया कॉम्पैक्ट के संस्थापक मीडिया संगठनों में 100 से अधिक मीडिया एवं मनोरंजन संगठन शामिल हैं।

संस्थापक कॉम्पैक्ट सदस्यों में अल जदीद टीवी-लेबनान, असाही शिमबुन-जापान, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्ट डेवलपमेंट, यूरोप में एसोसिएशन ऑफ कॉमर्शियल टीवी, चाइना मीडिया ग्रुप, डेली स्टार अखबार- लेबनान, डेली ट्रिब्यून-फिलीपीन, डॉयचे वेले-जर्मनी, काथीमेरीनि-यूनान, एलबीसीआई टीवी-लेबनान, निक्कन कोगयो शिमबुन-जापान, तास-रूस, दिस डे-नाइजीरिया, टीवीसी-कम्युनिकेशंस-नाइजीरिया, टीवी-ब्रिक्स-रूस और वीडीएल रेडियो-लेबनान शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 (17 विकास लक्ष्य)

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
2. भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
3. सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
5. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
6. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7. सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
8. सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
9. लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा।
10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
11. सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
14. स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
15. सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
16. सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
17. सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्ति कार्यान्वियन के साधनों को मजबूत बनाना।

7. जीसीटीएफ आतंकवादी यात्रा पहल

जीसीटीएफ आतंकवादी यात्रा पहल

नई पहल यूएनएससी संकल्प 2396 को आतंकवादी यात्रा को रोकने के उद्देश्य से मजबूत करेगी। यह बढ़ती आतंकवादी स्क्रीनिंग और सूचना साझाकरण के माध्यम से आतंकवादी यात्रा का पता लगाने और हस्तक्षेप करने के लिए क्षमताओं में सुधार करेगा।

यह प्रभावी काउंटरवाद घड़ी और स्क्रीनिंग टूल्स को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए विशेषज्ञता साझा करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, कानून प्रवर्तन और सीमा स्क्रीनिंग चिकित्सकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा।

इस पहल के तहत 2018 और 2019 में चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला अच्छी प्रथाओं के सेट को विकसित करने के लिए बुलाई जाएगी जिसे 2019 जीसीटीएफ मंत्रिस्तरीय में अनुमोदित किया जाएगा। परिणाम दस्तावेज आतंकवादी यात्रा को रोकने के लिए यूएनएससी संकल्प 2396 में निर्धारित सीमा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए देशों और संगठनों को मजबूत करेगा।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने सर्वसम्मति से दिसंबर 2017 में संकल्प 2396

(यूएनएससीआर 2396) को अपनाया था, जिसमें सभी सदस्य राज्यों को यात्रा डेटा एकत्र करने और ज्ञात और संदिग्ध आतंकवादियों की निगरानी सूची विकसित करने के लिए सिस्टम लागू करने सहित विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। आतंकवादी यात्रा का मुकाबला करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण में से एक यात्री डेटा (एपीआई), यात्री नाम रिकॉर्ड (पीएनआर), और बॉयोमीट्रिक्स जैसे यात्री डेटा के माध्यम से था।

जीसीटीएफ का लक्ष्य आतंकवाद से निपटने के लिए सामरिक, दीर्घकालिक दृष्टिकोण विकसित करने और इसे कम करने वाली हिंसक चरमपंथी विचारधाराओं को रोकने के लिए क्षमताओं को मजबूत करना है। इसका लक्ष्य आतंकवादी भर्ती को कम करना और देशों की नागरिक क्षमताओं को अपनी सीमाओं और क्षेत्रों के भीतर आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

फॉल आर्मीवार्म

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में कर्नाटक के किसानों के सामने फॉल आर्मीवार्म या स्पोडोप्टेरा फ्रूगीपेर्डा के रूप में एक नई समस्या ने दस्तक दी है।

1.2 फॉल आर्मीवार्म (एफएडब्लू) या स्पोडोप्टेरा फ्रूगीवेर्डा (Spodoptera Frugiperda), अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक कीट है। यदि इसे लार्वा अवस्था में ही अच्छी तरह से नष्ट नहीं किया गया तो यह फसलों को काफी नुकसान पँहुचा सकता है।

परिचय

2.1 इस कीड़े की पहली पसंद मक्का है लेकिन यह चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सब्जियाँ और कॉटन समेत 80 से अधिक पौधों की प्रजातियों को खा सकता है।

2.2 एफएडब्ल्यू पहली बार 2016 की शुरुआत में मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया गया था और कुछ ही दिनों में लगभग पूरे उप-सहारा अफ्रीका में तेजी से फैल गया।

2.3 वर्ष 2017 में दक्षिण अफ्रीका में इस कीट के फैलने के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ था। ये कीट सबसे पहले पौधे की पत्तियों पर हमला करते हैं, इनके हमले के बाद पत्तियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे उन्हें कैंची से काटा गया हो। ये कीट एक बार में 900-1000 अंडे दे सकते हैं।

2.4 भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मई, 2018 में इस विनाशकारी कीट की मौजूदगी कर्नाटक में दर्ज की गई थी और तब से अब तक यह पश्चिम बंगाल तथा गुजरात तक पहुँच चुका है।

2.5 उचित जलवायु परिस्थितियों के कारण यह न केवल पूरे भारत में बल्कि एशिया के अन्य पड़ोसी देशों में भी फैल सकता है। कर्नाटक राज्य भारत में सबसे बड़े मक्का उत्पादकों में से एक है और मक्का देश में व्यापक रूप से उत्पादन किया जाने वाला तीसरा अनाज है।

2.6 वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय ने फॉल आर्मीवार्म से प्रभावित राज्यों के कृषि विभागों के लिये एक सलाह जारी की है। इसने कीट के प्रसार को ट्रैक करने हेतु व्यापक सर्वेक्षण किये जाने का सुझाव दिया है।

2.7 निदेशालय ने एक परजीवी नाम भी सुझाया जिसे कैटरपिलर के अंडों को नष्ट करने के लिये खेतों में छोड़ा जा सकता है।

2.8 इसके अलावा, निदेशालय ने आर्मीवार्म के खिलाफ लैम्बडा-सिहलोथ्रिन जैसे कीटनाशकों के उपयोग का भी सुझाव दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि कीटनाशक और परजीवी का उपयोग एक साथ नहीं किया जाना चाहिये।

आर्मीवार्म के फैलाव की वजह

3.1 जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ संक्रमित और गैर-संक्रमित क्षेत्रों के बीच बढ़ता व्यापार और परिवहन फॉल आर्मीवार्म के फैलाव के कारण हैं, जिसने संभावित रूप से दुनिया की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। गर्म और आर्द्र तापमान (20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच) तथा लंबे व शुष्क समयांतराल फॉल आर्मीवार्म के प्रजनन के लिये अनुकूल कारक हैं।

3.2 आर्मीवार्म के फैलाव के कुछ अन्य कारण-

3.2.1 प्रजनन में शीघ्रता।

3.2.2 भारतीय उपमहाद्वीप के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का आर्मीवार्म के अनुकूल होना, जो उन्हें पूरे साल भोजन उपलब्ध कराती है।

आर्मीवार्म का नियंत्रण

4.1 इस कीट को नियंत्रित करने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में जीएम फसलों और कीटनाशकों का उपयोग शामिल है, हालाँकि, कुछ आर्मीवार्म ने इन रणनीतियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है और वे फसलों को नष्ट कर रहे हैं।

4.2 आर्मीवार्म को नियंत्रित करने के लिये वैज्ञानिक प्राकृतिक तरीकों की तलाश में लगे हुए हैं। इन प्राकृतिक तरीकों में हड्डों (Wasps) का पालन तथा जीवाणु-युद्ध (germ warfare) भी शामिल हैं।

आगे की राह

5.1 भारत के मामले में मजबूत संगरोध प्रणाली फॉल आर्मीवार्म के प्रवेश को नहीं रोक सकती है लेकिन उसके प्रभावों को कम कर सकती है।

5.2 विदेशी फलों और फूलों को लाने के कारण होने वाले नुकसान को साइनबोर्ड पर चेतवानी के रूप में हवाई अड्डों पर लगाना, जागरूकता पैदा कर सकता है।

5.3 वनस्पति संगरोध अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण देना और खतरनाक प्रजातियों का पता लगाने के लिये उन्हें उपकरण प्रदान करना देश में आक्रामक वनस्पतियों के प्रवेश की संभावना को कम कर सकता है।

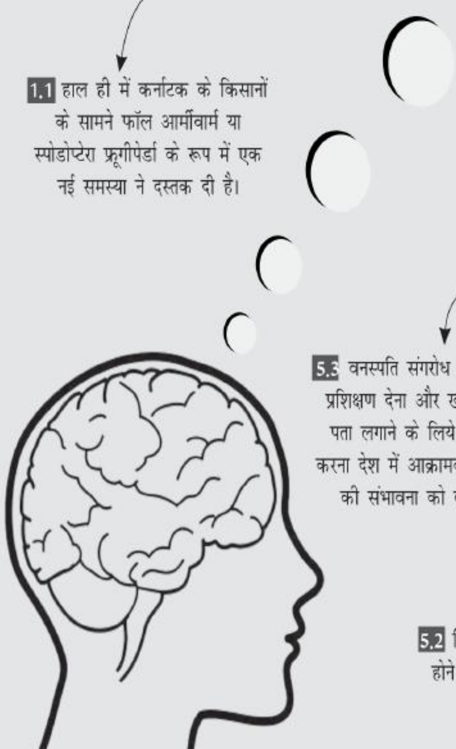

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2018

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी तथा मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2018 जारी किया गया।

1.2 रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 के बाद से भारत में 270 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं और देश में गरीबी दर 10 साल की अवधि में लगभग आधी हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में दिल्ली, केरल और गोवा में गरीबों की संख्या सबसे कम है।

वैश्विक दृष्टिकोण

2.1 विश्व के कुल बहुपक्षीय गरीबों में 83 प्रतिशत (1.1 अरब से अधिक) उप-सहारा अफ्रीका एवं दक्षिण एशिया में हैं।

2.2 इस रिपोर्ट के अनुसार अभी भी विश्व के सर्वाधिक 364 मिलियन (36.4 करोड़) भारतीय मल्टी डायमेंशनल गरीबी में जीवन जी रहे हैं।

2.3 भारत के पश्चात नाइजीरिया (97 मिलियन), इथियोपिया (86 मिलियन) और बांग्लादेश (67 मिलियन) में सर्वाधिक लोग मल्टीडायमेंशनल गरीबी में जीवन जी रहे हैं।

2.4 इस सूचकांक के अनुसार सभी गरीब लोगों में 46 प्रतिशत (61-2 करोड़) कम से कम छह संकेतकों में अपवंचित हैं।

2.5 सूचकांक के मुताबिक मल्टीडायमेंशनल गरीब लोगों में 49.9 प्रतिशत या 666 मिलियन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं।

भारतीय परिदृश्य

3.1 रिपोर्ट के अनुसार भारत में चार राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है।

3.2 इन चारों राज्यों में पूरे भारत के आधे से ज्यादा गरीब रहते हैं, जोकि करीब 19.6 करोड़ की आबादी है। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण खराब पोषण रहा।

3.3 मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश का सर्वाधिक गरीब जिला है जहां की 76.5 प्रतिशत आबादी गरीब है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)

4.1 MPI को ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 में विकसित किया गया था।

4.2 मुख्यत: 10 संकेतकों पर MPI का आकलन किया जाता हैं। इनमें पोषण, स्वच्छता, आवास एवं स्कूल में व्यतीत किए गए वर्ष शामिल हैं। ये 10 संकेतक तीन श्रेणियों में विभाजित हैं

4.2.1 स्वास्थ्य: पोषण व शिशु मृत्यु दर

4.2.2 शिक्षा: स्कूलिंग वर्ष व स्कूल में उपस्थिति

4.2.3 रहन-सहन: खाना पकाने का ईंधन, शौचालय, पेयजल, बिजली, आवास व संपत्ति।

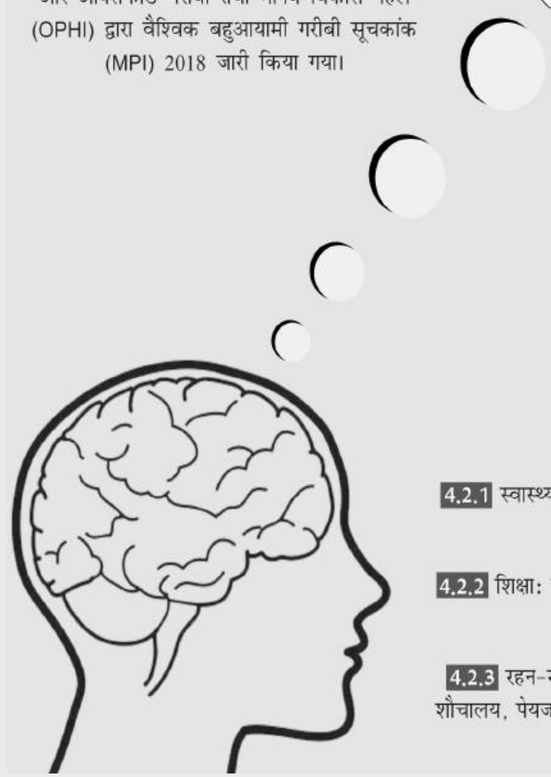

जी-4 राष्ट्रों का सम्मेलन

चर्चा का कारण

1.1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया को लेकर जी-4 देशों के बीच बैठक न्यूयार्क में आयोजित की गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया में कोई ठोस प्रगति नहीं होने पर जी-4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने चिंता जताई है।

1.2 इन देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि यह प्रक्रिया लंबे समय से ठंडे बस्ते में है। संयुक्त राष्ट्र की इस शक्तिशाली संस्था के औचित्य और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए इसमें शीघ्र सुधार की जरूरत है।

बैठक के मुख्य बिंदु

2.1 संयुक्त राष्ट्र में स्थित भारतीय मिशन में जी-4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई।

2.2 भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मेजबानी में हुई इस बैठक में सुधार प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

2.3 इस बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि विदेश मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद में सुधार के मसले पर चर्चा की और अपने राजनयिकों को सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तरीकों पर गौर करने को कहा।

2.4 सुधार की इस प्रक्रिया को अंतर सरकारी वार्ता के तौर पर जाना जाता है। जी-4 के चारों देश सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रमुख पक्षधर हैं।

2.5 विदेश मंत्रियों द्वारा दिये गए सामूहिक बयान में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था की कार्यपद्धति को मजबूत करने के साथ-साथ एक-दूसरे की उम्मीदवारी के लिये उनके समर्थन पर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई

जी-4 समूह

3.1 सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग के लिये जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील ने जी 4 के नाम से एक गुट बनाया है और स्थायी सदस्यता के मामले में एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में विस्तार का यूएफसी देश विरोध करते हैं। इनमें इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया जैसे 13 देश शामिल हैं, जिन्हें 'कॉफी क्लब' कहा जाता है। यह देश स्थायी सदस्यता के विस्तार के पक्षधर न होकर अस्थायी सदस्यता के विस्तार के समर्थक हैं।

सुरक्षा परिषद

4.1 यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1945 में हुआ था और इसके पाँच स्थायी सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन) हैं।

4.2 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के उस शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है, जब सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था।

4.3 इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को दो साल के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी-बारी से दो-दो वर्ष के लिये परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं।

धारा-497

चर्चा का कारण

1.1 सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 27 सितंबर 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एकमत से व्यभिचार कानून पर फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली इस बेंच ने कहा कि किसी भी तरह से महिला और पुरुष के साथ अतार्किक भेदभाव नहीं किया जा सकता।

1.2 सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्त्री और पुरुष के बीच विवाहोत्तर संबंधों से जुड़ी IPC की धारा 497 को गैर-संवैधानिक करार दिया है।

1.3 **पाँच जजों की इस संवैधानिक पीठ में पूर्व मुख्य न्यायाधीश** दीपक मिश्रा, एम. खानविलकर, नरीमन, चंद्रचूड़ और इंदू मल्होत्रा शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

2.1 मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि IPC की धारा 497 महिला के सम्मान के खिलाफ है।

2.2 मुख्य न्यायधीश के अनुसार महिलाओं को हमेशा समान अधिकार मिलना चाहिए। महिला को समाज की इच्छा के हिसाब से सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

2.3 न्यायालय ने कहा कि व्याभिचार किसी तरह का अपराध नहीं है, लेकिन अगर इस वजह से आपका पार्टनर खुदकुशी कर लेता है, तो फिर उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला माना जा सकता है।

2.4 इसके बाद सभी पांच जजों ने एक मत से इस धारा को असंवैधानिक करार दिया।

2.5 सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर शामिल थे।

याचिकाकर्ता के बारे में

3.1 केरल के एक अनिवासी भारतीय जोसेफ साइन ने इस संबंध में याचिका दाखिल करते हुए आईपीसी की धारा-497 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था और जनवरी में इसे संविधान पीठ को भेजा था।

धारा-497 क्या है?

4.1 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-497 के तहत यह प्रावधान था कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उक्त महिला का पति एडल्टरी (व्यभिचार) के नाम पर उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है।

4.2 हालांकि, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है और न ही विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष की पत्नी इस दूसरी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है।

4.3 इस धारा के तहत ये भी प्रावधान है कि विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है। किसी दूसरे रिश्तेदार अथवा करीबी की शिकायत पर ऐसे पुरुष के खिलाफ कोई शिकायत नहीं स्वीकार होगी।

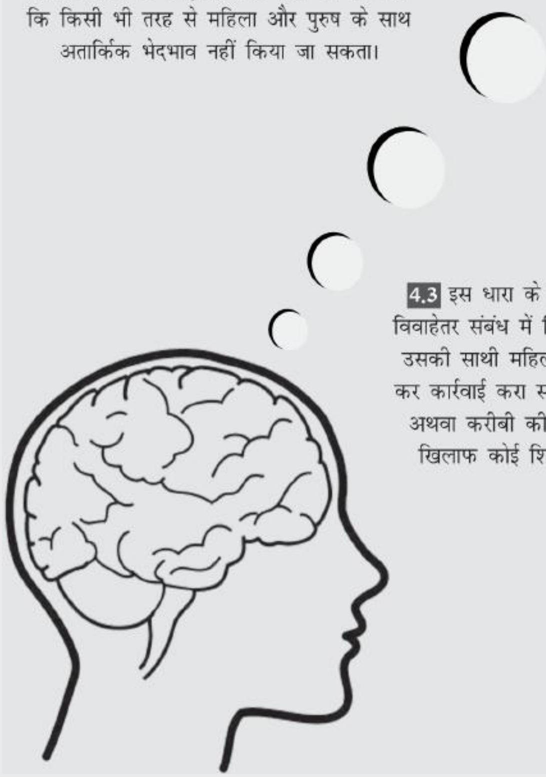

ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के उपायों के मामले में भारत पिछड़ा हुआ है।

1.2 ह्यूमन कैपिटल की अनदेखी की वजह से उसकी समग्र विकास पर केंद्रित वैश्विक रैंकिंग गिर रही है।

वर्तमान स्थिती

2.1 विख्यात अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'द लांसेट' में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि 1990-2016 के दौरान स्कूली शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर दुनिया के देशों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है।

2.2 भारत जैसे देश की स्थिति सोचनीय है जो अपनी श्रम पूंजी या ह्यूमन कैपिटल के मामले में फिसड्डी है।

2.3 195 देशों की सूची में भारत का नंबर 158वां है। और यह तब है जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर 1990 के बाद न जाने कितने अभियान, कार्यक्रम, नीतियां और निवेश किए जा चुके हैं।

2.4 ताजा मामला पिछले दिनों लागू हुई स्वास्थ्य बीमा की आयुष्मान भारत योजना का है। हालांकि इस अध्ययन में 2016 तक की ही तस्वीर पेश की गई है लेकिन अलग अलग वैश्विक सूचकांकों में 2017 और 2018 का अब तक का हाल भी भारत के लिए संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता।

2.5 भारत में ह्यूमन कैपिटल की बदहाली कोई छिपी हुई बात नहीं है और यह भी छिपा नहीं है कि अमीर और गरीब के बीच खाई निरंतर चौड़ी हुई है और संसाधनों पर भीषण तरीके से कब्जे हुए हैं।

विशेष

3.1 रिपोर्ट में डाटा संग्रहण की प्रविधि और प्रक्रिया ध्यान खींचती है। इसे वास्तविक हालात के बरक्स रख कर देखें तो इसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर संदेह नहीं रहता। बेशक कुछ कमियां भी हैं।

3.2 कुल आकलन बताता है कि दुनिया के कई देश अपने मानव संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना वे शिक्षा और स्वास्थ्य को समग्र विकास की अवधारणा से जोड़ना चाह रहे हैं और ना सार्वजनिक पूंजी को बढ़ा पा रहे हैं।

3.3 विशेषज्ञ इस बात को बार बार रेखांकित करते रहे हैं कि किसी देश का ह्यूमन कैपिटल तभी निर्मित होता है, जब उस देश की आर्थिक उत्पादकता में योगदान करने वाली कार्यशील जनसंख्या बेहतर तौर पर शिक्षित, स्वस्थ, जानकार और कौशल संपन्न हो।

3.4 शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित इस अध्ययन में पता लगाने की कोशिश की गई थी कि व्यक्ति कितनी शिक्षा हासिल कर पाता है और कितने लंबे समय तक उसमें प्रभावी कार्यक्षमता बनी रहती है।

3.5 किस देश ने ह्यूमन कैपिटल पर कितना निवेश किया और उसका क्या हासिल रहा- यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। क्योंकि इससे ही पता चलता है कि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कितनी क्षमता रखता है। जैसे अमेरिका की ही बात करें तो वह छठें स्थान से खिसककर 27वें पर आ गया है।

3.6 विश्व आर्थिक मंच ने भी इस तरह का ह्यूमन कैपिटल सूचकांक 2017 में जारी किया था, जिसमें भारत का नंबर 130 देशों की सूची में 103 पर था। दक्षिण एशिया में श्रीलंका और नेपाल की रैंकिंग उससे ज्यादा थी।

3.7 भारत के समक्ष बेरोजगारी और असमानताएं बड़ी चुनौतियां मानी जाती हैं। रोजगार सिकुड़ रहे हैं, नए अवसर नहीं बन रहे हैं। कुल मिलाकर समावेशी विकास का सूचकांक नीचे गिर रहा है और यह तब हो रहा है जबकि भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश है जिसके पास प्रचुर सामर्थ्य, संसाधन, कौशल और तकनीक उपलब्ध है।

3.8 वैश्विक सूचकांकों में ऐसी खराब स्थिति का अर्थ यह है कि पूरी विकास प्रक्रिया और उसे लागू करने की नीतियों और इच्छाशक्ति में ही कहीं झोल है। सार्वजनिक पूंजी पर निजी सेक्टर का निवेश हावी है।

3.9 आर्थिक सुधारों से विषमता कम होने का दावा किया गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आ गए हैं। वैसे भारत की संपत्ति का आकार भी बढ़ा है लेकिन इसका लाभ गरीबों और वंचितों को नहीं मिला है। बात वहीं पर आकर ठहरती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी से बेहतर ह्यूमन कैपिटल बनाने की। उस काम ने गति ही नहीं पकड़ी। यानी सबकी गतिशीलता मे कई किस्म के अवरोध हैं। उन्हे चिंहित करने और हटाने की जरूरत है।

3.10 2030 तक समावेशी और सतत आर्थिक विकास, मुकम्मल रोजगार और कार्यक्षमता विकास के संयुक्त राष्ट्र लक्ष्यों से भारत भी जुड़ा है। लेकिन योजनाओं के अमल के तरीकों और प्रक्रियाओं पर भी पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत है। रिपोर्टों और अध्ययनों पर मुंह बिसोरने या उनमें कोई साजिश देखने से ज्यादा हालात को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य जारी रहना चाहिए। क्योंकि मानव संसाधन की बेहतरी के पैमाने को अलग कर सिर्फ आर्थिक सुधार और निवेश के बल पर समृद्धि को नहीं आंका जा सकता है।

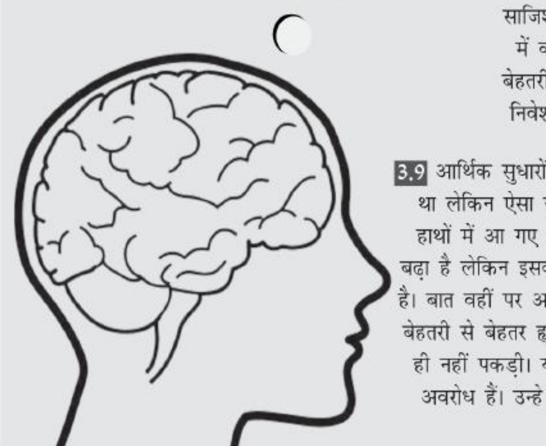

कुपोषण से निपटने के लिये मानदंड

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में युनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट को देखते हुए भारत की शीर्ष पोषण समिति, 'राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड' (National Technical Board on Nutrition& NTBN) ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन से संबंधित मानदंड जारी करने की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड

2.1 भारत सरकार ने पोषण संबंधी नीतिगत मामलों पर तकनीकी सुझाव देने के लिये 2017 में पोषण पर राष्ट्रीय तकनीकी बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया था।

2.2 बोर्ड की भूमिका सलाहकारी और विशिष्ट होगी।

NTBN की सिफारिशें

3.1 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज, दाल और सब्जियों से तैयार ताजा भोजन तथा आंगनवाडी केंद्रों द्वारा वितरित किया गया पौष्टिक आहार खिलाना चाहिये।

3.2 छह महीने से तीन साल की उम्र के बच्चों को दिया जाने वाला भोजन स्थानीय रूप से उपलब्ध उपयुक्त खाद्य सामग्री से तैयार किया जाना चाहिये।

3.3 सिफारिशों के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्रों को गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सुबह का पौष्टिक नाश्ता तथा गर्म ताजा भोजन उपलब्ध कराना होगा।

3.4 इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और कंद, विटामिन सी से समृद्ध फलों के साथ-साथ ताजा दूध और हर सप्ताह 3-4 अंडे भी दिया जाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार का भोजन स्थानीय स्वयं-सहायता समूहों, माँ या ग्रामीण समितियों द्वारा तैयार किया जाना चाहिये।

3.5 दिशा-निर्देशों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान करने, उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा या पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजने के लिये आंगनवाड़ी श्रमिकों और सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) की भूमिका तय की गई है।

3.6 शेष बच्चों को 'समुदाय आधारित प्रबंधन' के तहत नामांकित किया गया है, जिसमें पोषण संबंधी प्रावधान, प्रगति की निरंतर निगरानी, एंटीबायोटिक दवाओं पर नियंत्रण और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ-साथ परामर्श सत्र और पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना शामिल है।

3.7 नये उपाय कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिये 'समुदाय आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन' का हिस्सा हैं। सरकार ने अब तक केवल गंभीर रूप से कुपोषित ऐसे बच्चों जिनका चिकित्सकीय उपचार जटिल है, को अस्पताल में भर्ती करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा इन दिशा-निर्देशों को वर्ष 2011 में सार्वजनिक किया गया था।

3.8 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार, भारत में 5 साल से कम आयु के 7.5% या 8 मिलियन बच्चे गंभीर रूप से वेस्टिंग जैसी समस्या से पीड़ित हैं

बोर्ड का कार्य

4.1 महिलाओं और बच्चों से संबंधित पोषण के बारे में तकनीकी सुझाव देना तथा भारत विशिष्ट विकास संकेतकों का निर्माण करना।

4.2 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिये सुरक्षात्मक उपायों (व्यवहार परिवर्तन सहित) पर सलाह देना।

4.3 मौजूदा वैज्ञानिक और परिचालित अनुसंधान का विश्लेषण करना, शोध अंतराल की पहचान करना और अनुसंधान संबंधी विषयों पर तकनीकी सिफारिशें देना।

4.4 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, अन्य क्षेत्रों तथा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित पोषण सर्वेक्षणों की रूपरेखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं अन्य सर्वेक्षणों के साथ उनकी संबद्धता का तकनीकी रूप से मार्गदर्शन करना।

वेबपोर्टल पीएसबी लोन 59 मिनट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 59 मिनट में एमएसएमई व्यापार ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की एक वेबपोर्टल सुविधा लांच किया है।

1.2 अब कोई भी व्यक्ति इसके लिए केवल 59 मिनट यानि लगभग 1 घंटे में वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

1.3 केन्द्र सरकार ने कुछ साल पहले माइक्रो एवं छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट की स्थापना की थी।

विशेषताएँ

2.1 इस योजना का लाभ लेने के लिए एवं आसानी और तेजी से इसके लिए आवेदन करने के लिए एक आम वेबपोर्टल की शुरुआत की कई है। दरअसल पहले लोन के लिए आवेदन करना काफी मुश्किल होता था और समय भी बहुत लगता था, किन्तु अब इस आम ऑनलाइन वेबपोर्टल की मदद से यह आसान हो गया है।

2.2 अब तक इस व्यापार ऋण योजना में ऋण के लिए आवेदन करने एवं ऋण प्राप्त करने में 20 से 25 दिनों का समय लगता था, किन्तु अब इस नए लांच किये गये पोर्टल के माध्यम से ऋण प्रोसेसिंग एवं समय में कमी आयेगी। अब सिर्फ 59 मिनट में ही इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।

2.3 इस योजना के तहत दिये जानो वाले ऋण का वितरण अब 7 से 8 दिनों के अंदर कर दिया जायेगा। इस योजना में 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

2.4 इस पोर्टल में केवल छोटे उद्योग विकास बैंक या 5 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक एवं इंडियन बैंक आदि से ऋण लेने के लिए मंजूरी दी गई है।

आवेदन करने के तरीका

3.1 सबसे पहले आवेदकों को इस अधिकार वेबपोर्टल की लिंक http://psbloansin59com/signup पर क्लिक करना होगा।

3.2 उनके सामने इसका होमपेज खुलेगा, यहां एमएसएमई व्यापार ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए साइन अप फॉर्म भरना होगा।

3.3 यहाँ उन्हें मौजूदा व्यवसाय या नया व्यवसाय, अपना नाम, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी सभी आवश्यक जानकारी भर कर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको ओटीपी नंबर की मदद से अपना मोबइल नंबर चेक करना होगा।

3.4 यह सब हो जाने के बाद आपको प्रोसीड बटन दबाना होगा, फिर आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं।

3.5 इसके बाद आपको मौजूदा व्यवसाय/नए व्यवसाय के लिए फण्ड की आवश्यकता वाली लिंक पर क्लिक कर अपनी आवश्यकता का चयन करना होगा।

3.6 आपके सामने एमएसएमई व्यापार ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म खुल जायेगा।

3.7 यहाँ आपको अपनी सभी जानकारी प्रदान करनी होगी और साथ ही बैंकिंग पार्टनर का चयन करना होगा फिर आप ऋण की मंजूरी के लिए अप्रूवल प्राप्त करेंगे।

3.8 सभी मौजूदा सदस्य अगली बार अपने ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर टाइप करके अपनी जानकारी तक पहुँचने के लिए लॉग-इन कर सकते हैं।

जाँच की प्रक्रिया

4.1 यह वेबपोर्टल कॉर्पोरेट मंत्रालय और क्रेडिट ब्यूरो के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि ऋण की मंजूरी से पहले उत्पादों की जाँच की जा सके और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो सके। व्यवसायियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद यह पोर्टल ऋण अप्रूवल से पहले बैंक एंड चेक करेगा।

4.2 यदि आप चाहते हैं कि ऋण की मंजूरी जल्द से जल्द हो, तो आपको अपने व्यवसायों के बैंक स्टेटमेंट के साथ अपने जीएसटी आयकर की जानकारी जमा करनी होगी। और साथ ही अपने मौजूदा/नये व्यवसायों से जुड़े सभी दस्तावेजों की सूची भी जमा करना आवश्यक होगा। इससे सरकार उन व्यवसायों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत कर सकती है, जोकि औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस लिंक https://psbloansin59minutes.com/signup पर क्लिक कर सकते हैं।

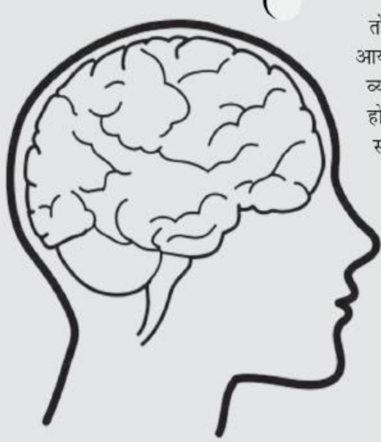

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. फॉल आर्मीवार्म

प्र. फॉल आर्मीवार्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. फॉल ओर्मीवार्म (एफएडब्लू) या स्पोडोप्टेरा फ्रूग्रीवेर्डो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक कीट हैं।
2. फॉल आर्मीवार्म कीट एक बार में 100 से 200 तक अंडे दे सकते हैं।
3. भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मई, 2018 में इस विनाशकारी कीट की मौजूदगी कर्नाटक में दर्ज की गई थी।
4. भारतीय उपमहाद्वीप में फैलने का मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का आर्मीवार्म के अनुकूल होना हैं जो उन्हें पूरे साल भोजन उपलब्ध कराती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 व 4
(c) केवल 1, 3 व 4 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही मे कर्नाटक के किसानों के सामने फॉल या स्पोडोप्टेरा फ्रूगीवेर्डा के रूप में एक नई समस्या ने दस्तक दी है। यह अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाये जाने वाला एक कीट है। यह कीट एक बार में 900-1000 अंडे दे सकता है इसलिए कथन 2 गलत है इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

2. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2018

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2018 के अनुसार 2005-06 के बाद से भारत में 270 मिलियन से ज्यादा लोग गरीबी से मुक्त हुए और देश में गरीबी दर 10 साल की अवधि में लगभग आधी हो गई है।
2. रिपोर्ट के अनुसार भारत में दिल्ली, केरल और गोवा में गरीबों की संख्या सबसे कम है।
3. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को ऑकन फोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 में विकसित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2018 के अनुसार 2005-06 के बाद से भारत में 270 मिलियन से ज्यादा लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं और देश में गरीबी दर 10 साल की अवधि में लगभग आधी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, केरल और गोवा में गरीबों की संख्या सबसे कम है। इस सूचकांक को ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 में विकसित किया गया था। दिए गये तीनों कथन सत्य है इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

3. जी-4 राष्ट्रो का सम्मेलन

प्र. जी-4 राष्ट्रो का सम्मेलन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें-

(a) सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग के लिये जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील ने जी-4 नाम से एक गुट बनाया है जो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के मामले में एक दूसरे का समर्थन करते है।

(b) सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में हुआ था।

(c) सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है।

(d) 5 स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अन्य देशों को दो साल के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है।

उत्तरः (b)

व्याख्याः सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1995 में हुआ था। इस तरह कथन (b) गलत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया को लेकर जी-4 देशों के बीच बैठक आयोजित की गई। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मेजबानी में हुई इस बैठक में सुधार प्रक्रिया की समीक्षा की गई। ■

4. धारा-497

प्र. आईपीसी की धारा 497 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में स्त्री और पुरुष के बीच विवाहेत्तर संबंध से जुड़ी आईपीसी की धारा 497 को गैर-संवैधानिक करार दे दिया है।
2. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायधिश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ में न्यायाधीश आर.एफ. नरीमन, डॉ. डी.वाई. चंद्रचूर्ण, इंदू मल्होत्रा और ए.एम. खानविलकर शामिल थे।
3. इस धारा के तहत ये भी प्रावधान है कि विवाहेत्तर संबंध में

लिप्त पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज करवा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) 1, 2 व 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले के तहत स्त्री और पुरुष के बीच विवाहेत्तर संबंधों से जुड़ी आईपीसी की धारा 497 को गैर संवैधानिक करार दे दिया है। इस संदर्भ में दिए गये सभी कथन सही हैं इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

5. ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट

प्र. विख्यात अंतर्राष्ट्रीय जर्नल 'द लासेंट' में प्रकाशित ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इस रिपोर्ट के अनुसार 195 देशों की सूची में भारत का स्थान 150वाँ है।
2. शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित इस अध्ययन में पता लगाने की कोशिश की गई थी कि व्यक्ति कितनी शिक्षा हासिल कर पाता है और कितने लंबे समय तक उसमें प्रभावी कार्यक्षमता बनी रही है?
3. नये अध्ययन में यह बात सामने आई है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के उपायों के मामले में भारत अग्रणी देश है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः अंतर्राष्ट्रीय जर्नल 'द लासेंट' में प्रकाशित ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट के अनुसार 195 देशों की सूची में भारत का स्थान 158 वां है न कि 150 वां अतः कथन 1 गलत है। नये अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के उपायों के मामले में भारत फिसड्डी देश है। अतः कथन 2 भी गलत है। इस संदर्भ में कथन 3 सही है। ■

6. कुपोषण से निपटने के लिए मानदंड

प्र. भारत की शीर्ष पोषण समिति, ''राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड'' (national Technical Board on Nutrition & NTBN) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत सरकार ने पोषण संबंधी नीतिगत मामलों पर तकनीकी सुझाव देने के लिए 2017 में 'एनटीबीएन' का गठन किया था।
2. समिति का कार्य महिलाओं और बच्चों से संबंधित पोषण के बारे में तकनीकी सुझाव देना तथा भारत विशिष्ट विकास संकेतकों का निर्माण करना।
3. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर सलाह देना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) 1 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट को देखते हुए भारत की शीर्ष पोषण समिति 'एनटीबीएस' ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पोषण व प्रबंधन से संबंधित मानदंड जारी करने की शिफारिश की है। 'एनटीबीएन' के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही है। ■

7. वेब पोर्टल पीएसबी लोन 59 मिनट

प्र. वेब पोर्टल पीएसबी लोन 59 मिनट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 59 मिनट में एमएसएमई व्यापार ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की एक वेबपोर्टल सुविधा लॉच किया है।
2. इस योजना के तहत दिये जाने वाले ऋण का वितरण अब 7 से 8 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।
3. इस योजना में 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है।
4. इस पोर्टल में सभी उद्योग विकास बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से ऋण लेने के लिए मंजूरी दी गई है।

उपुर्यक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 3 और 4

(c) 2, 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 59 मिनट में एमएसएमई व्यापार ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की एक वेबपोर्टल सुविधा लॉन्च किया है अतः कथन (1) सही है। इस योजना के तहत दिये जाने वाले ऋण में वितरण अब 7 से 8 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा अतः कथन (2) भी सही है। इस योजना के तहत 5 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपये तक के लिए आवेदन किया जा सकता है। अतः कथन 3 गलत है। इस पोर्टल में केवल लघु उद्योग विकास बैंकों या 5 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे एस.बी.आई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, विजया बैंक एवं इंडियन बैंक आदि से ऋण लेने के लिए मंजूरी दी गई है अतः कथन (4) भी गलत है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड' से सम्मानित किया गया है?

   - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

2. चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है?

   - जेम्स पी एलिसन और तासुकू होंजो

3. वह राज्य जिसने चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ दिए जाने की घोषणा की?

   - असम

4. हाल ही में किन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

   - आर्थर आशकिन, गेर्रांड गौरोड और डेला स्ट्रिकलैंड

5. हाल ही में यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवॉर्ड के लिए किस हवाई अड्डे को चुना गया है?

   - कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

6. कौन सा देश 2018 में मूक-बधिर टी-20 विश्व कप की मेजबानी करेगा?

   - भारत

7. हाल ही में किन खिलाड़ियों को खेल का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया?

   - विरोट कोहली और मीराबाई चानू

सात महत्वपूर्ण खेल

1. ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2018

- वर्ष 2018 की पहली टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 'ऑस्ट्रेलियन ओपन', 2018 मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) में संपन्न। (15-28 जनवरी, 2018)

प्रतियोगिता परिणाम

- पुरुष एकल
  - विजेता-रोजर फेडरर (स्विट्ज़रलैंड)
  - उपविजेता-मारिन सिलिच (क्रोएशिया)
- महिला एकल
  - विजेता-कैरोलीन वोज्नियाकी (डेनमार्क)
  - उपविजेता-सिमोना हालेप (रोमानिया)
- पुरुष युगल
  - विजेता-ओलिवर माराच (ऑस्ट्रिया) एवं मैट पेविक (क्रोएशिया)
  - उपविजेता-जुआन सेबस्टियन कैबल एवं रॉबर्ट फराह (दोनों कोलम्बिया)
- महिला युगल
  - विजेता-तिमेया बाबोस (हंगरी) एवं क्रिस्टिना म्लाडेनोविक (फ्रांस)
  - उपविजेता-कैटरीना माकारोवा एवं एलेना वेस्नीना (दोनों रूस)
- मिश्रित युगल
  - विजेता-गैब्रिएला डाब्रोवस्की (कनाडा) एवं मैट पेविक (क्रोएशिया)
  - उपविजेता-तिमेया बाबोस (हंगरी) एवं रोहन बोपन्ना (भारत)

विशेष-

- फेडरर का यह रिकॉर्ड 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जो पुरुषों में सर्वाधिक है।
  - उनके आगे जर्मनी की स्टेफी ग्राफ (22), अमेरिका की सेरेना विलियम्स (23) और ऑस्ट्रेलिया की मार्गेट कोर्ट (24) हैं।
  - फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन छठीं बार जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी (नोवाक जोकोविक एवं रॉय इमर्सन) भी की।
  - फेडरर रिकॉर्ड 30 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना चुके हैं।
  - फेडरर वर्ष 1972 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज (36 वर्ष, 5 माह, 20 दिन) खिलाड़ी बने।
  - डेनमार्क की कैरोलीन वोज्नियाकी का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है।
  - इस जीत के साथ वोज्नियाकी विश्व की नंबर एक खिलाड़ी भी बन गईं।

2. फ्रेंच ओपन, 2018

- टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन, 2018 (रोलैंड गैरोस) पेरिस, फ्रांस में संपन्न। (21 मई, 2018-10 जून, 2018)
- लॉन टेनिस की इस प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता (वर्ष की दूसरी) के परिणाम इस प्रकार रहे-

पुरुष एकल

- विजेता-राफेल नडाल (स्पेन)
- उपविजेता-डोमिनिक थिएम (ऑस्ट्रिया)

महिला एकल

- विजेता-सिमोना हालेप (रोमानिया)
- उपविजेता-स्लोन स्टीफेंस (अमेरिका)

पुरुष युगल

- विजेता-पियरे ह्यूग्स हर्बर्ट और निकोलस महुत (दोनों फ्रांस)
- उपविजेता-ओलिवर माराच (ऑस्ट्रिया) और मेट पैविक (क्रोएशिया)

महिला युगल

- विजेता-कैटरीना सिनियाकोवा और बारबोरा क्रेजसिकोवा (दोनों चेक गणराज्य)
- उपविजेता-मकोटो निनोमिया और इरी होजुमी (दोनों जापान)

मिश्रित युगल

- विजेता-लतीशाचान (चान युंग-जन) (चीनी ताइपे) और इवान डोडिग (क्रोएशिया)
- उपविजेता-गैब्रिएला डाब्रोवस्की (कनाडा) और मेट पैविक (क्रोएशिया)

विशेष-

- राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन का खिताब 11वीं बार जीता है।
- सिमोना हालेप ने फ्रेंच ओपन का खिताब पहली बार जीता है।
- सिमोना हालेप तीसरी बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थीं।
- फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब सर्वाधिक बार अमेरिकी खिलाड़ी क्रिस एवर्ट (7 बार) ने जीता है।
- सिमोना हालेप ने पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है।

3. यूएस ओपन, 2018

- सत्र, 2018 की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन, 2018 (हार्डकोर्ट) न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में संपन्न। (27 अगस्त से 9 सितंबर, 2018)

प्रतियोगिता परिणाम

- पुरुष एकल
  - विजेता-नोवाक जोकोविक (सर्बिया)
  - उपविजेता-जुआन मार्टिन डेल पेत्रो (अर्जेंटीना)
- महिला एकल
  - विजेता-नाओमी ओसाका (जापान)
  - उपविजेता-सेरेना विलियम्स (संयुक्त राज्य अमेरिका)
- पुरुष युगल
  - विजेता-माइक ब्रायन और जैक सॉक (दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका)
  - उपविजेता-लुकास्ज कुबोत (पोलैंड) और मार्सिलो मेलो (ब्राजील)
- महिला युगल
  - विजेता-एश्ले बर्टी (ऑस्ट्रेलिया) और कोको वेंडेवेघे (संयुक्त राज्य अमेरिका)
  - उपविजेता-तिमेया बाबोस (हंगरी) और क्रिस्टिना मलाडेनोविक (फ्रांस)
- मिश्रित युगल
  - विजेता-बेथानी मैटेक-सैंड्स (संयुक्त राज्य अमेरिका) और जेमी मरे (यूनाइटेड किंगडम)
  - उपविजेता-अलिक्जा रोसोलस्का (पोलैंड) और निकोला मेकटिक (क्रोएशिया)

विशेष-

- नोवाक जोकोविक द्वारा विजित यह 14वां ग्रैंड स्लैम खिताब है।
- इस खिताब के साथ ही जोकोविक ने पीट सम्प्रास के 14 ग्रैंड स्लैम जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया।
- रोजर फेडरर और राफेल नडाल ने क्रमशः 20 ग्रैंड स्लैम और 17 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है।
- जोकोविच द्वारा इस वर्ष विजित यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है।
- इससे पूर्व उन्होंने विंबलडन, 2018 का खिताब जीता था।
- नाओमी ओसाका ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली जापान की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी हैं।
- फाइनल मैच में हार के बाद सेरेना ने अंपायर पर नस्लभेदी होने का आरोप लगाया।

4. विंबलडन चैम्पियनशिप

- 2018 विंबलडन चैम्पियनशिप एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो यूनाइटेड किंगडम के लंदन, विंबलडन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रोक्वेट क्लब में आयोजित किया गया।
- मुख्य टूर्नामेंट 2 जुलाई 2018 को शुरू हुआ और 15 जुलाई 2018 को समाप्त हुआ। 2018 टूर्नामेंट चैम्पियनशिप का 132 वां संस्करण था।
- पुरुष एकल
  - नोवाक जोकोविच (सर्बिया)
  - केविन एंडरसन (दक्षिण अफ्रीका)
- महिला एकल
  - एंजेलिक केर्बर (जर्मनी)
  - सेरेना विलियम्स (यूएसए)
- पुरुष युगल
  - माइक ब्रायन (यूएसए) और जैक सॉक (यूएसए)
  - माइकल वीनस (न्यूजीलैंड) और रावेन क्लासन (दक्षिण अफ्रीका)
- महिला युगल
  - बारबोरा क्रेजिसकोवा (चेक गणराज्य)और कैटरीना सिनाकोवा (चेक गणराज्य)
  - निकोल मेलिचार (यूएसए) और क्वेटा पेस्के (चेक गणराज्य)

- मिक्स युगल
  - अलेक्जेंडर पेया (ऑस्ट्रिया) और निकोल मेलिचर (यूएसए)
  - विक्टोरिया अजरेंका (बेलारूस) और जेमी मरे (यूनाइटेड किंगडम)
- यह जोकोविक के कॅरियर का 13वाँ ग्रैंड स्लैम खिताब (6 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 1 फ्रेंच ओपन, 4 विम्बलडन एवं 2 यू.एस. ओपन) है।
- एंजेलिक कर्बर ने ऑस्ट्रेलियन तथा यू.एस. ओपन, 2016 के बाद अपने कॅरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है।
- केविन एंडरसन वर्ष 1921 में ब्रायन नॉर्टन के बाद विम्बलडन के पुरुष एकल फाइनल में पहुँचने वाले प्रथम दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बने।
- एंडरसन एवं जॉन इस्नर के मध्य खेला गया सेमीफाइनल मैच 6 घंटे एवं 36 मिनट की अवधि तक चला और यह विम्बलडन में पुरुष एकल के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा पुरुष एकल मैच था।
- टेनिस इतिहास का सबसे लंबा पुरुष एकल मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड जॉन इस्नर के नाम है।
- इस्नर ने वर्ष 2010 के विम्बलडन टूर्नामेंट के पहले दौर में फ्रांस के निकोलस माहुत को (11 घंटे, 5 मिनट) तक चले मैच में पराजित किया था।
- नोवाक जोकोविच ने चौथी बार पुरुष एकल का खिताब जीता। एंजेलिक केर्बर ने महिला एकल का खिताब जीता। टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (ITF) द्वारा आयोजित किया जाता है।

5. BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, 2018

- नानजिंग (चीन) में संपन्न। (30 जुलाई 5 अगस्त, 2018)
- चीन ने चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 2 रजत एवं 4 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक प्राप्त कर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- भारत ने 1 रजत पदक प्राप्त कर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया।
- प्रतियोगिता परिणाम

पुरुष एकल

- स्वर्ण पदक-केंटो मोमोटा (जापान)
- रजत पदक-शी यूकी (चीन)
- कांस्य पदक-चेन लांग (चीन) एवं ल्यू डैरेन (मलेशिया)

महिला एकल

- स्वर्ण पदक-कैरोलीना मारिन (स्पेन)
- रजत पदक-पी.वी. सिंधु (भारत)
- कांस्य पदक-हे बिंग जियाओ (चीन) एवं अकाने मामागुची (जापान)

पुरुष युगल

- स्वर्ण पदक-ली जुन्हुई एवं ल्यू युचेन (दोनों चीन)
- रजत पदक-ताकेशी कामूरा एवं केगो सोनोदा (दोनों जापान)

महिला युगल

- स्वर्ण पदक-मायु मत्सुमोतो एवं वकाना नागाहारा (दोनों जापान)
- रजत पदक-यूकी फुकुशिमा एवं सयाका हिरोटा (दोनों जापान)

मिश्रित युगल

- स्वर्ण पदक-झेंग सिवेई एवं हुआंग भाकियोंग (दोनों चीन)
- रजत पदक-वांग यिलू एवं हुआंग डोंगपिंग (दोनों चीन)

विशेष-

- सिंधु का यह विश्व चैंपियनशिप का चौथा पदक है। इससे पूर्व वह 2013 और 2014 में कांस्य तथा 2017 में रजत पदक जीत चुकी हैं।
- केंटो मोमोटा विश्व चैंपियनशिप के पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीतने वाले जापान के पहले शटलर हैं।
- कैरोलीना मारिन तीन बार (इससे पूर्व वर्ष 2014 एवं 2015) विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं।

6. IPL-11 ट्वेंटी-20 टूर्नामेंट, 2018

- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा प्रकाशित 11वां IPL ट्वेंटी-20 (प्रयोजक - वीवो) क्रिकेट टूर्नामेंट भारत के विभिन्न शहरों में संपन्ना (7 अप्रैल से 27 मई, 2018)
- मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (कप्तान - एम.एस. धौनी) ने सनराइजर्स हैदराबाद (कप्तान - केन विलियम्सन) को 8 विकेट से पराजित कर तीसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया।
- चेन्नई सुपर किंग्स ने तीसरा IPL खिताब जीतकर मुंबई के सर्वाधिक खिताब (2013, 2015 एवं 2017) जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
- फाइनल में 57 गेंदों पर नाबाद 117 रन बनाने वाले शेन वाटसन (चेन्नई सुपर किंग्स) को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।
- कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नारायण को आईपीएल के इस सत्र का 'सबसे मूल्यवान खिलाड़ी' चुना गया।

IPL–11: प्रमुख तथ्य

- **आरेंज कैप-** (सर्वाधिक रन बनाने के लिए) - केन विलियम्सन (735 रन), सनराइजर्स हैदराबाद
- **पर्पल कैप-** (सर्वाधिक विकेट लेने के लिए) - एंड्रयू टाई (24 विकेट), किंग्स इलेवन पंजाब
- **सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर-** (एक पारी में) - ऋषभ पंत - (128 रन नाबाद, दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध)
- **सबसे तेज शतक-** शेन वाटसन (चेन्नई सुपर किंग्स), 51 गेंदों पर सनराइजर्स हैदराबाद एवं राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध।

IPL, 2018 : खिलाड़ियों की नीलामी

- इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें संस्करण हेतु खिलाड़ियों की नीलामी बंगलुरू में संपन्न। (27-28 जनवरी, 2018)
- इंग्लैण्ड के बेन स्टोक्स पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने।
- उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 12.50 करोड़ रुपये में खरीदा।
- भारतीय खिलाड़ियों में जयदेव उनादकट सबसे महंगे खिलाड़ी रहे और इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने ही 11.50 करोड़ रुपये में खरीदा।
- **सबसे तेज अर्द्धशतक:** लोकेश राहुल (किंग्स इलेवन पंजाब), 14 गेंदों पर, दिल्ली डेयरडेविल्स के विरुद्ध।
- **सर्वाधिक छक्के:** 37, ऋषभ पंत (दिल्ली डेयरडेविल्स)
- **सर्वाधिक चौके:** 68, ऋषभ पंत (दिल्ली डेयरडेविल्स)
- **सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी:** ऋषभ पंत (दिल्ली डेयरडेविल्स)
- **FBB स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन:** ऋषभ पंत (दिल्ली डेयरडेविल्स)
- **टाटा नेक्सॉन सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन:** सुनील नारायण (कोलकाता नाइट राइडर्स)
- **वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन:** ट्रेंट बोल्ट (दिल्ली डेयरडेविल्स)
- **स्टार प्लस नई सोच अवॉर्ड:** महेंद्र सिंह धौनी (चेन्नई सुपर किंग्स)
- **फेयर प्ले आवॉर्ड:** मुंबई इंडियंस

7. महिला विश्व कप, 2017

- ICC महिला क्रिकेट विश्व कप, 2017 (11वां संस्करण) संपन्न। (24 जून - 23 जुलाई, 2017)
- मेजबान- इंग्लैंड एवं वेल्स
- प्रतिभागी टीमें (8)- इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका एवं पाकिस्तान।
- मेजबान इंग्लैंड ने फाइनल (लॉर्ड्स, लंदन) में भारत को 9 रन से पराजित कर चौथी बार विश्व कप का खिताब जीत लिया।
- प्लेयर ऑफ द मैच-(फाइनल)- अन्या श्रबसोले (6 विकेट, 46 रन, 9.4 ओवर)
- प्लेयर ऑफ द सीरीज- टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड), टूर्नामेंट में सर्वाधिक 410 रन।
- इंग्लैंड की टीम का कप्तान हीथर नाइट तथा भारत की कप्तान मिलाती राज थीं।
- मिताली राज ने ग्रुप चरण के एक मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलते हुए इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड्स के एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक 5992 रनों का रिकॉर्ड को तोड़कर 6000 रनों का आंकड़ा पार किया और ऐसा करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई।
- भारत की हरमनप्रीत कौर ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध नाबाद 171 रनों की पारी खेली।
- यह महिला विश्व कप के नॉकआउट चरण में अब तक का उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर है।
- साथ ही यह महिला विश्व कप में किसी भारतीय खिलाड़ी का उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर भी है।
- 12वां ICC महिला विश्व कप वर्ष 2021 में न्यूलीलैंड की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा।
- 24 जुलाई, 2017 को ICC द्वारा घोषित वर्ष 2017 की महिला विश्व कप टीम का कप्तान, भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज को चुना गया है।
- इस टीम में शामिल दो अन्य भारतीय हैं- हरमनप्रीत कौर एवं दीप्ति शर्मा

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. अहिंसा से आप क्या समझते हैं? गाँधी जी के अनुसार अहिंसक होने का क्या अर्थ है? क्या इसमें हिंसा के लिए कोई स्थान है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

2. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि ''उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए समानता को सीमित कर सकती है और साम्यवादी व्यवस्था समानता के स्तर को बनाए रखने के लिए व्यक्गित स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है।'' इस कथन के संदर्भ में समाजवादी व्यवस्था का दम्भ भरने वाले राष्ट्रों का समलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

3. जेट स्ट्रीम के विकास के लिए आवश्यक कारकों का जिक्र करते हुए इसके महत्व को बताइए।

4. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहल से आप क्या समझते है? क्या आप को लगता है कि यह पहल किफायती, विश्वसनीय व सतत ऊर्जा तक पहुँच सुगम बनाने में सहायक होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दे।

5. द्वीतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ''शासन में विवेकशीलता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है'' इस कथन के संदर्भ में भ्रष्टाचार कम करने के उपाय बताए।

6. हाल ही में केन्द्र सरकार ने मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया है। केन्द्र सरकार के इस कदम से मेडिकल के क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।

7. विकासशील देशों की उन चुनौतियों की चर्चा करें जो उनके विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

THE JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH THE FIRST STEP

Comprehensive All India

IAS PRELIMS TEST SERIES PROGRAMME - 2019
(OFFLINE & ONLINE)

Reshape Your Prelims Strategy with us.

कार्यक्रम विवरण

कुल टेस्ट 31

18th Nov. to 19th May, 2019

GS-25, CSAT-6

मुख्य विशेषताएँ:

- प्रश्नों की बदलती प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार सिविल सेवा प्रतियोगियों को उनके अध्ययन की रणनीति एवं स्रोत को पुन: आकार देने की आवश्यकता है। अत: हमारा प्रयास प्रतियोगियों के दृष्टिकोण को प्रारंभिक परीक्षा के प्रति विस्तृत करना है।
- इस उद्देश्य हेतु हमारा मुख्य केन्द्र बिन्दु इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर बुक, सरकारी वेबसाइटें, मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट एवं समसामयिक मुद्दों पर होगा।
- टेस्ट सीरीज यूपीएससी की परीक्षा के समरूप होगी।
- टेस्ट सीरीज में प्रतियोगियों को अधिक संख्या में सम्मिलित विद्यार्थियों के कारण उचित प्रतियोगी वातावरण प्राप्त होगा, क्योंकि यह अखिल भारतीय स्तर पर एवं हमारे सभी केन्द्रों पर आयोजित होगी।
- चूंकि अब सीसैट पेपर-II के अंक मूल्यांकन में नहीं जोड़े जाते बल्कि केवल इसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है अत: हमने आवश्यकता के अनुरूप 6 सीसैट टेस्ट को संपूर्ण सामान्य अध्ययन टेस्ट के साथ कराने की योजना बनायी है।
- परीक्षण पुस्तिका 4 सेटों A, B, C एवं D में एवं मुद्रित प्रारूप में होगी।
- प्रत्येक टेस्ट के बाद व्याख्यात्मक उत्तर प्रदान किये जायेंगे।
- परीक्षण पुस्तिका एवं व्याख्यात्मक उत्तर दोनों को यूपीएससी के अनुरूप द्विभाषी प्रारूप में निर्मित किया जायेगा।
- OMR को अखिल भारतीय रैंकिंग के अनुसार मूल्यांकित किया जायेगा।

शुल्क विवरण

OFFLINE

ध्येय विद्यार्थी: ₹ 5000/-

अन्य विद्यार्थी: ₹ 7000/-

ONLINE

ध्येय विद्यार्थी: ₹ 3000/-

अन्य विद्यार्थी: ₹ 5000/-

मेधावी छात्रों हेतु आकर्षक अवसर

सामान्य अध्ययन मेरिट परीक्षा

4th NOVEMBER

12:00- 2:00 PM

100 सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए 100% नि:शुल्क

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR : 011-49274400 | 9205274741, **RAJENDRA NAGAR** : 011-41251555 | 9205274743, **LAXMI NAGAR** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW** : 0522-4025825 | 9506256789, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038 **BHUBANESWAR** : 08599071555

Live Streaming Centres

BIHAR - PATNA 9334100961, **CHANDIGARH** - 8146199399, **DELHI & NCR** - FARIDABAD 9711394350, 01294054621, **GUJRAT** - AHMEDABAD 9879113469, **HARYANA** - HISAR 9996887708, KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR - 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR - 9907553215, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA - 9926207755, 7662408099, **PUNJAB** - JALANDHAR 9888777887, PATIALA 9041030070, LUDHIANA 9876218943, **RAJASTHAN** - JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND** - HALDWANI 7060172525, **UTTAR PRADESH** - ALIGARH - 9837877879, 9412175550 BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570090003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर

Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9355174440 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400